

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र]
First Session



[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. II contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

खण्ड 2, अंक 11, शुक्रवार, 31 मार्च, 1967/10 चैत्र, 1889 (शक)
 Vol. 2, No. 11, Friday, March 31, 1967/Chaitra 10, 1889(Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
169. कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials ..	711—717
171. इस्पात के सौदों संबंधी जांच समिति	Enquiry Committee on Steel Transactions ..	717—724
172. रेलवे दुर्घटनाएं	Railway Accidents ..	724—728
173. भारत के इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी की रिपोर्ट	West German Report Regarding Indian Steel Industry ..	728—730
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
4. आयात संबंधी नीति	Import Policy ..	730—734
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
170. सलेम इस्पात कारखाना	Salem Steel Plant ..	734
174. शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे	S. S. Light Railway ..	735
175. अवमूल्यन के बाद निर्यात	Exports after Devaluation ..	735
176. लमडिंग मरयानी सेक्शन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment on Lumding Mariani Section ..	736

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
177. ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	.. 736
178. रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	.. 737
179. लघु-उद्योग	Small Scale Industries	.. 737—738
180. तांबा परियोजनाओं का विकास	Development of Copper Projects	.. 738
181. रेलवे में तोड़फोड़	Sabotage on Railways	.. 738—739
182. निर्यात और आयात	Exports and Imports	.. 739
183. निर्माताओं को स्टेनलेस स्टील की सप्लाई	Supply of Stainless Steel to Manufacturers	.. 739—740
184. रबर का मूल्य	Price of Rubber	.. 740
185. दिल्ली में रेलवे फाटक तथा ऊपरी पुल	Level Crossings and Over-Bridges in Delhi	.. 740—741
186. मोटर गाड़ियों के मूल्य	Prices of Automobiles	741
187. रबर का आयात	Import of Rubber	.. 741—742
188. निर्यात	Exports	742
189. कारों और स्कूटरों का निर्माण	Production of Cars and Scooters	743
190. संयुक्त राष्ट्र संघ से निर्यात संबर्द्धन विशेषज्ञों का प्रति-निधिमण्डल	Delegation of Export Promotion Experts from U. N.	.. 743
191. हरियाना में रेलवे लाइन	Railway Lines in Haryana	.. 743—744
192. कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	744
193. इंजीनियरी उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity in Engineering Industry	.. 744—745
194. रेल के माल डिब्बे	Railway Wagons	.. 745
195. छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars	.. 746
196. कपड़े के उत्पादन पर नियंत्रण	Control on Production of Textiles	.. 746
197. बौक्साइट खानों के लिये मशीनरी तथा उपकरणों का आयात	Import of Machinery and Equipment for Bauxite Mines	.. 746—747
198. पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना का स्थान	Location of 5th Steel Plant	.. 747

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
251. गॉल्फ के सामान का आयात	Import of Golf Equipment	.. 747—748
252. खुरदा रोड से बालंगीर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Khurda Road to Balangir	.. 748
253. सुपौल-प्रतापगंज रेलवे लाइन का विस्तार	Extension of Supaul-Pratap Ganj Railway Line	.. 748—749
254. हथकरघा से बने कपड़े की बिक्री	Sale of Handloom Cloth	.. 749
255. मेसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	M/s Golcha Properties (P) Ltd., Delhi	.. 749—750
256. पटना में गंगा नदी पर पुल	Bridge over Ganges at Patna	.. 750
257. नांगल से ऊना तक बड़ी लाइन	B. G. Railway Line from Nangal to Una	.. 750—751
258. कांगड़ा में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Kangra	.. 751
259. मद्रास राज्य में सोने की जाली (गोल्ड लेस) बनाने का कारखाना	Gold lace Factory in Madras State	.. 751
260. कुम्बकोणम स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	Overbridge near Kumbakonam Station	.. 751—752
261. तूतीकोरिन तथा सेलम के बीच बड़ी लाइन	B. G. Line between Tuticorin and Salem	.. 752
262. स्टेशन मास्टर्स तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स द्वारा 'नियम के अनुसार काम करो' आन्दोलन	Work to Rule Movement by S. Ms. and A. S. Ms.	.. 752
263. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल पटरी को उड़ा देने की घटना	Blowing up of Railway Track on N. E. F. Rly.	.. 753
264. मोतिहारी रेलवे स्टेशन	Motihari Railway Station	.. 753—754
265. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Rural Areas	.. 754
266. गैर-सरकारी क्षेत्र में शस्त्रास्त्रों का निर्माण	Production of Arms and Ammunition in the Private Sector	.. 754—755
267. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर	Lakshmi Rattan Cotton Mills, Kanpur	.. 755
268. कारों के मूल्य	Car Prices	.. 756

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
269. विदेश व्यापार	Foreign Trade	.. 756—757
270. कोटा यार्ड में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment in Kotah Yard	.. 757
271. विदर्भ में कपड़ा उद्योग	Textile Industry in Vidarbha	.. 758
272. कानपुर में पटसन मिलों का बन्द होना	Closure of Jute Mills in Kanpur	758
273. रेलवे दुर्घटनाएं	Railway Accidents	758
274. गाजियाबाद-दिल्ली शटल	Ghaziabad-Delhi Shuttle	.. 759
275. कोककर (कोकिंग) कोयले का उत्पादन	Production of Coking Coal	759
276. दक्षिण-मध्य रेलवे खंड की स्थापना पर व्यय	Expenses on the Creation of South Central Railway Zone	.. 759—760
277. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में फालतू इंजीनियर	Surplus Engineers in H. E. C. Ranchi	.. 760
278. वातानुकूलित गाड़ियां	Air Conditioned Trains	761
279. टिसुआ रेलवे स्टेशन पर छापा	Raid on Tisua Railway Station	761
280. यात्रियों द्वारा रेल की पटरी पर धरना	Squatting on Railway Track by Passengers..	761—762
281. 384 डाउन फरक्का सवारी गाड़ी में डकैती	Robbery in 384 Down Farakka Passenger Train	.. 762
282. उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Orissa	.. 762—763
283. मधुसूदन गोरधनदास एण्ड यूनिवर्सल एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट एजेंसी	Madhusudan Gordhandas and Universal Export and Import Agency	.. 763
284. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड	All India Handloom Board	.. 763—764
285. बृन्दावन एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Brindavan Express Train	.. 764—765
286. मद्रास अरकोनम सैक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Madras-Arkonam Section	.. 765
287. आयात लाइसेंस	Import Licences	.. 765—766
288. दिल्ली में पटेल नगर में रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Overbridge at Railway Crossing in Patel Nagar, Delhi	.. 766

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
भता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
289. ग्रामीण क्षेत्रों में सॉफ्ट कोक का इस्तेमाल लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Soft Coke in Rural Areas..	766—767
290. कोयला खानों का देय राज-सहायता	Subsidies Payable to Collieries ..	767—768
291. कोककर (कोकिंग) कोयले का उत्पादन तथा आवंटन	Production and Allocation of Coking Coal ..	768
292. पालघाट के निकट पारिल रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over-bridge at Paril Railway Crossing near Palghat ..	769
293. केरल में कालीकट तथा कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों पर पानी की कमी	Water Shortage at Calicut and some of the Railway Stations in Kerala ..	769
294. उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa	770
295. साहू-जैन कम्पनी ग्रुप के विरुद्ध मुकद्दमें	Proceedings against Sahu-Jain Group of Companies ..	770
296. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore ..	771
297. ट्रकों का निर्माण	Production of Motor Trucks	771
298. मालडिब्बों की कमी	Wagon Shortage ..	771—772
299. बरहामपुर और फूलबनी के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Berhampur and Phulbani	772
300. दीमापुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी	Arrest at Dimapur Railway Station ..	772—773
301. प्रशुल्क आयोग द्वारा रबड़ का मूल्य निर्धारण	Fixation of Price of Rubber by Tariff Commission	773
302. संश्लिष्ट रबड़ का आयात	Import of Synthetic Rubber ..	773—774
303. केरल के रबड़ उत्पादक	Kerala Rubber Growers ..	774
304. भारती मिल्स, पांडिचेरी	Bharathi Mills, Pondichery ..	774—775
305. रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में सामग्री पड़तालकर्ता (मैटीरियल चैकर)	Material Checkers in Railway Electrification Project ..	775
306. मुगलसराय डीजल लोको शेड के स्थानापन्न कर्मचारी	Substitute Workers of Mughal Sarai Diesel Loco Shed ..	776

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
307. हथकरघा बुनकरों के लिये सूत	Yarn for Handloom Weavers	.. 776
308. इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	.. 777
309. चाय का निर्यात	Export of Tea	.. 777—778
310. पटसन के माल का निर्यात	Export of Jute Goods	.. 778
311. रेजर ब्लेडों का निर्माण	Production of Razor Blades	.. 779
312. भारतीय फिल्मों द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Indian Films	.. 779
314. सुखाई गई झींगा मछली (प्रान) का बर्मा को निर्यात	Export of Dried Prawn to Burma	.. 779—780
315. बाल बेयरिंग का निर्माण	Production of Ball Bearings	.. 780
316. कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन	Kota-Chitorgarh Railway Line	.. 780
317. गंगापुर के निकट रेलवे पुल	Railway Bridge near Gangapur	.. 780—781
318. रेलवे विभाग के कोटा में नियुक्त हरिजन कर्मचारियों के क्वार्टरों का गिराया जाना	Demolition of Quarters of Harijan Employees of Kota Railway Deptt.	.. 781
319. पश्चिम रेलवे में टिकट कलेक्टरों का प्रशिक्षण	Training of Ticket Collectors on Western Railway	.. 781—782
320. रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Railwaymen	.. 782
321. लखनऊ में नियुक्त उत्तर रेलवे के कैटिन कर्मचारी	Canteen Employees of Northern Railway Stationed at Lucknow	.. 783
322. सीमेंट बनाने की नई विधि	New Process of Cement Manufacture	.. 783—784
323. नये उद्योगों के लिये लाइसेंस	Licences for New Industries	784
324. औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय के अधीन संविहित बोर्डों का गठन	Composition of Statutory Boards under the Ministry of I. D. & C. A.	.. 784—785
325. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	National Small Industries Corporation	.. 785
326. समस्तीपुर जयनगर बड़ी रेलवे लाइन	Samastipur Jaynagar B. G. Line	.. 785—786
327. मधुबनी, सकरी और चिकना स्टेशन	Madhubani, Sakri and Chikna Stations	.. 786

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
328. बम्बई-हावड़ा ट्रंक लाइन पर जनता एक्सप्रेस गाड़ी	Janata Express train on Bombay Howrah Trunk Line	.. 786—787
329. अमरावती रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	Overbridge at Amravati Railway Station	.. 787
330. डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, लखनऊ के कार्यालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes personnel in Divisional Supdt's Office, Lucknow	.. 787
331. आंध्र प्रदेश में एस्बेस्टस का सामान बनाने का कारखाना	Asbestos Plant in Andhra Pradesh	.. 788
332. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अधीन दूसरी खान की खुदाई	Second mine cut in Neiveli Lignite Corporation	.. 788
333. सागर, दमोह और सतना स्टेशनों के रेलवे फाटकों पर मार्ग	Passages on Level Crossings of Sagar, Damoh and Satna Stations	.. 788—789
334. उड़ीसा में उद्योग समूह	Industrial Complex in Orissa	.. 789
335. मोर के पंखों का निर्यात	Export of Peacock Feathers	.. 789—790
336. उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa	.. 790
337. भारत-नेपाल सीमा पर रेलवे लाइन का विस्तार	Extension of Railway Lines in Indo-Nepal Border	.. 790—791
338. भारत नेपाल सीमा पर रेलवे यातायात का पुनरारम्भ	Resumption of Railway Traffic on Indo-Nepal Border	.. 791
339. चकिया स्टेशन पर चाय की दूकान	Tea Stall at Chakia Station	.. 791—792
340. रेलवे कर्मचारियों को रात्रि में कार्य करने के लिये भत्ता	Night Duty Allowance to Railwaymen	792
341. दानापुर लोको शेड के स्थानापन्न मजदूर	Substitute Labour at Danapur Loco Shed	.. 792—793
342. बरुइपुर रेलवे स्टेशन के निकट पुल.	Bridge Near Baruipur Railway Station	.. 793
343. बरुइपुर रेलवे स्टेशन	Baruipur Railway Station	.. 794
344. सियालदह (दक्षिण) स्टेशन पर प्लेटफार्म गेट	Platform Gate at Sealdah South Station	.. 794—795

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
345. दीवा दसगांव रेलवे लाइन	Diva-Dasgaon Railway Line	.. 795
346. मध्य प्रदेश में सीमेंट फ़ैक्टरी	Cement Factory in Madhya Pradesh'	.. 795
347. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	H. E. L. Bhopal	.. 796
348. भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में शिकायतें	Complaints regarding expansion on Bhilai Steel Plant	.. 796—797
349. लमडिंग और डिब्रुगढ़ के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का बन्द किया जाना	Suspension of Passenger Trains running between Lumding and Dibrugarh	.. 797
350. बरेली-आगरा फ़ास्ट पैसेंजर ट्रेन में हत्या	Murder in Bareilly-Agra Fast Passenger Train	.. 798
351. मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उद्योग	Centrally sponsored Industries in Mysore State	.. 798
352. वैतरना रेलवे स्टेशन	Vaitarna Railway Station	.. 798—799
353. साइकिल के टायरों तथा ट्यूबों का निर्यात	Export of Cycle Tyres and Tubes	.. 799
व्यवस्था का प्रश्न—	Point of Order—	
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re. Calling Attention Notice	.. 799
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारत में उर्वरक का उत्पादन	Fertilizer production in India	.. 800—801
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshvari Sinha	.. 800
श्री अशोक मेहता	Shri Ashok Mehta	.. 800—801
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 801—804
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	.. 804—805
सभा का कार्य	Business of the House	.. 805—806
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order	.. 806
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	Motion on—President's Address	.. 806—811
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaia	.. 806—807
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	.. 807—811

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	.. 811
यन्त्रीकरण पर रोक लगाने के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Ban on Automation— Negatived	.. 812—822
श्री के० अनिरुधन	Shri K. Anirudhan	.. 812—813, 822
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	.. 813—814
श्री मणिभाई जे० पटेल	Shri Manibhai J. Patel	814
श्री पाशा भाई पटेल	Shri Pashabhai Patel	.. 814—815
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	.. 815
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	.. 815—816
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	.. 816
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 817—818
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	.. 818
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	.. 818
श्री समरेन्द्र कुण्डू	Shri S. Kundu	.. 818—819
श्री प्रसन्न कुमार घोष	Shri P. K. Ghosh	.. 819
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	.. 819—821
कपड़ा उद्योग में संकट के बारे में संकल्प	Resolution Re. Crisis in Textile Industry	.. 822—823
श्री पी० पी० एस्थोस	Shri P. P. Esthose	.. 822—823
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	.. 823
श्रीमती स्वेतलाना एलील्यूवा के भारत से पश्चिमी देश को चले जाने के बारे में चर्चा	Discussion Re. Departure of Svetlana Allelueva from India	.. 823—829
डा० राममनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	.. 823—824
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	.. 824—825
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. 825
श्री उमानाथ	Shri Umanath	.. 825—826
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	Shrimati Lakshmikantamma	.. 826
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	.. 826
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	.. 826
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 827
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	.. 827
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	.. 827—829

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 31 मार्च, 1967/10 चैत्र, 1889 (शक)
Friday, 31 March, 1967/Chaitra 10, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कच्चे माल की कमी

+

*169. श्री स० चं० सामन्त :

श्री नि० चं० चटर्जी :

श्री प्र० कु० घोष :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में देश में उपलब्ध तथा आयात किये जाने वाले कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) क्या अनेक उद्योग पूरी पारी पर काम नहीं कर सके और उन्हें घाटा हुआ;

(ग) नई आयात नीति के कब तक घोषित किये जाने की आशा है और क्या इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि वर्तमान उद्योग संतोषजनक रूप में काम करते रहें; और

(घ) 1966-67 में आयात किये जाने वाले कच्चे माल की कितनी आवश्यकता पूरी की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप घोषित उदार आयात नीति में 59 प्राथमिकता वाले उद्योगों के

लिए (जो देश की आवश्यकता का 85 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन करते हैं) 1966-67 में आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करने की व्यवस्था कर दी गई है।

गैर-प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग 1964-65 के आवंटन के स्तर पर की जा रही है।

जहां तक देशी कच्चे माल का सम्बन्ध है यही समस्या केवल उस माल तक सीमिति है जिनकी सप्लाई कम है। इनके बारे में प्राथमिकता-प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की आवश्यकताएं उपलब्धि के अनुसार यथासम्भव पूरी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। 1966-67 में प्रमुख वस्तुएं जैसे एल्युमिनियम तथा इस्पात की उपलब्धि में सुधार हुआ है।

(ख) कच्चे माल की कमी के कारण किसी भी उद्योग द्वारा हानि उठाये जाने के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है। फिर भी देखा गया है कि स्ट्रक्चरल तथा अलौह धातु प्रयोग करने वाले कुछ एकक कच्चे माल की कमी के कारण पूरी पारी काम नहीं कर सके हैं।

(ग) निर्यात आयात सलाहकार परिषद की 21 तथा 22 अप्रैल को होने वाली बैठक के कुछ दिन बाद 1967 मार्च, 1968 के लिए एक आयात नीति की घोषणा कर दी जायेगी। आयात नीति बनाते समय वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) जैसा कि भाग (क) में बताया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं को शतप्रतिशत पूरा किया जा रहा है किन्तु जहां तक गैर-प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों का सम्बन्ध है, आवश्यकताएं 1964-65 के आवंटन के स्तर पर पूरी की जा रही हैं।

श्री स० चं० सामन्त : बाहर से कच्चा माल मंगाने के मामले में सरकार इस समय कौन सी मूल नीति अपना रही है। क्या मंत्रियों के बदल जाने के साथ इस नीति में कोई परिवर्तन आयेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमने उद्योगों को दो भागों में बांट दिया है—यथा, प्राथमिकता-प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग। जहां तक प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों का सम्बन्ध है, जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, हमारा लगभग 85 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के अन्तर्गत आता है—वर्ष 1966-67 के दौरान कच्चे माल तथा पुर्जों सम्बन्धी उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी की गईं। वर्ष 1967-68 के लिए भी आयात नीति निर्धारित करते समय वर्तमान उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : भारत की लघु उद्योग संस्था की फेडरेशन ने गत 30 दिसम्बर को हुए अपने सम्मेलन में देशी तथा विदेशी कच्चे माल की सप्लाई के बारे में कई बातों की सिफारिश की है। लोकनाथ समिति ने भी कुछ सिफारिशों की हैं। क्या सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है और उनका वह अनुसरण कर रही है ?

श्री फरूद्दीन अली अहमद : इस नीति को निर्धारित करते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया था ।

श्री रा० बरुआ : पिछले जुलाई से जारी किये गये कितने आयात लाइसेन्सों का उपयोग नहीं किया गया है और उन्हें वापस नहीं लौटाया गया है और वे मूल्य के आयात के लिए दिये गये थे ?

श्री फरूद्दीन अली अहमद : वर्तमान प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है तथापि यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जानकारी दे सकता हूँ ।

श्री उमानाथ : केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन के सभापति ने हाल में यह कहा है कि अमरीकी सहायता के अन्तर्गत आयातित कच्चे माल के मूल्य विश्व बाजार मूल्यों की तुलना में 30 से लेकर 40 प्रतिशत तक ऊंचे हैं और इसके परिणामस्वरूप कई आयात लाइसेन्सों का उपयोग नहीं किया गया अथवा उन्हें लौटा दिया गया । यदि इस बात में सच्चाई है, तो क्या सरकार ने इस स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और इस प्रश्न पर अमरीकी सरकार के साथ बातचीत आरम्भ कर दी है ।

श्री फरूद्दीन अली अहमद : जहां तक मुझे जानकारी है, नई नीति के आधार पर पिछले छः महीनों के दौरान दिये गये लाइसेंस वापस नहीं लौटाये गये हैं । यदि मेरा ध्यान किसी खास मामले की ओर दिलाया जाये, तो मैं निश्चित रूप से इस बारे में जांच करूंगा ।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न तो रसायन उद्योग के लिए कच्चे माल के सम्बन्ध में था ।

श्री फरूद्दीन अली अहमद : मैं इस मामले में जांच करूंगा । मैं इस समय 'हां' या 'ना' कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

श्री पें० बेंकटसुब्बय्या : आयातित कच्चे माल के न मिलने के कारण सभी बड़े उद्योग संकट से गुजर रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश में कपड़ा उद्योग भी संकट का सामना कर रहा है और कई कपड़ा-मिल बन्द होने की स्थिति में हैं ? क्या आयातित रुई के न मिलने के कारण ऐसा हो रहा है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री फरूद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कपड़ा उद्योग 59 प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में से एक है और जहां तक कच्चे माल के सम्बन्ध में उसकी आवश्यकता की बात है, उस पर विचार किया गया था और उस आधार पर प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई कर दी गई है । जहां तक आगामी वर्ष के लिए उनकी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर सलाहकार परिषद् में विचार किया जायेगा ।

श्री स्वैल : क्या विभिन्न औद्योगिक कारखानों में कच्चे माल की कमी के कारण अथवा अन्य कारणों से पूरा काम नहीं हो रहा है, यदि हां, तो निर्धारित क्षमता से कितने प्रतिशत कम क्षमता काम में लाई जा रही है और इस कमी को दूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ तक प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों का सम्बन्ध है, वे कच्चे माल की कमी के कारण बेकार नहीं पड़े हैं, किन्तु जहाँ तक अलौह तथा तामीराती पुर्जों आदि से सम्बन्धित 15 प्रतिशत गैर-प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों का सम्बन्ध है, कच्चे माल की कुछ कमी जरूर है। उस पर यथासंभव विचार किया जा रहा है। उनके लिए हम वर्ष 1964-65 के आवंटन के स्तर पर कच्चे माल की व्यवस्था करने में सफल रहे हैं।

श्री दमानी : कपड़ा उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई के बारे में मुझे यह कहना है कि कपड़ा मिलों को सप्ताह में काम का एक दिन कम करके उत्पादन घटाना पड़ा है। क्या सरकार का विचार आगामी छः महीनों में सप्लाई को बढ़ाने का है जिससे कि मिलों में सप्ताह में पूरे छः दिन काम हो ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने पहले बताया है, वर्ष 1967-68 के लिए नीति घोषित करते समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री डी० एन० पाटोदिया : क्या वनस्पति कारखाने प्राथमिकता-प्राप्त सूची में हैं और यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय को पता है कि कच्चे माल के न मिलने के कारण वनस्पति के उत्पादन में कमी करने का प्रस्ताव है ? मूँगफली के तेल के गिरते हुए मूल्यों को ध्यान में रखकर क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कच्चे माल की वास्तव में कमी है अथवा नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि कच्चे माल के न मिलने के कारण किसी उद्योग के बन्द होने की संभावना है किन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे सूची दें, तो मैं जांच करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

श्री पाटोदिया : उत्पादन घटाया जा रहा है।

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know the number of such factories as have written to the Government that they are facing a crisis on account of non-availability of raw material and also the number of factories that have requested the Government to expedite the supply of raw material to them ?

Shri F. A. Ahmed : We have not received any letter of this nature from any factory so far.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether nylon and rayon threads have been given priority over other commodities which are imported from other countries and if so, whether these are considered to be essential commodities and if so, the quantities imported thereof ?

Shri F. A. Ahmed : No, As I have already pointed out, so far as Industries coming under the priority list are concerned, their requirements for raw materials or components are met in full, and the question of giving priority to a commodity over others does not arise. The industries requiring these articles were given licenses for these articles under the licensing policy.

श्री राम सेवक यादव : क्या नाइलोन और अन्य रेयन धागों को अन्य वस्तुओं से वरीयता दी गई है और यदि हां, तो क्यों ?

Shri F. A. Ahmed : Priority industries are given the commodities required by them. There is no question of giving priority to one over the other.

श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की कमी से निर्यात पर प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम से कम अच्छे किस्म के निर्यात योग्य वस्तुएं तैयार करने वालों के लिये विशेषकर सूती कपड़ा मिलों को कच्चे माल की सप्लाई करने के हेतु समुचित कार्यवाही करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कच्चे माल तथा पुर्जों आदि सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार किया गया था और उस आधार पर लाइसेंस दिये गये थे। जहां तक अगले वर्ष का सम्बन्ध है, प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की आवश्यकताओं पर सलाहकार समिति विचार करेगी और कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये यथासंभव प्रयत्न किया जायेगा।

श्री राम किशन : क्या माननीय मंत्री जी को टी० एम० ए०, अमृतसर से कच्चे माल के न मिलने तथा उस सीमावर्ती जिले में फैली हुई बेरोजगारी के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन सभी मामलों पर सलाहकार परिषद् विचार कर रही है।

Shri Abdul Gani : May I know whether attention of the Hon. Minister has been drawn to the fact that nylon worth Rs. 50 lacs were imported in the name of defence through the two parties only, but not even the least quantity out it was utilised for defence purposes and the nylon was sold in the open market and the parties concerned earned crores of rupees therefrom, and whether Government is also aware that a good deal of raw materials arriving at Bombay is sold there in the black market daily and if so, whether the Government will take adequate steps to check this practice ? May I know further whether any action has been taken against these two parties and the officers responsible for this malpractice committed in the matter of nylon imported for defence purposes ?

Shri F. A. Ahmed : We have no information about it, however, we will definitely take action in the matter in case we are furnished details regarding the same.

Shri Abdul Gani : The Hon. Minister has pleaded ignorant of the fact. How will the work go on ?

श्री हमायून कबिर : माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुये कि प्राथमिकता प्राप्त-उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी नहीं होने दी जायेगी, क्या उनका ध्यान

इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत के पूर्वी भाग में लाइट इंजीनियरिंग उद्योग ने बड़े पैमाने पर काम बन्द कर दिया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण किसी उद्योग का काम बन्द हो गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : My Hon. Friend Shri Damani has just now said that the textile industry had to stop production of cloth by closing mills on one working day in a week on account of shortage of raw materials. In view of the present crisis, I want to know whether the export of our raw cotton to other countries will be suspended; and whether the Government is prepared to import raw cotton from other countries in order to meet this shortage and if so, the time likely to be taken by the Government in finalising the whole process ?

Shri F. A. Ahmed : All these matters—the raw materials requirements of our cotton mills and also the question of quantity for exports—are being looked into by our Import-Export Advisory Council and whatever is possible will be done by the Ministry concerned. At the same time the question of resources at our command for the import of raw materials will have to be looked into and the decision will be taken only on the basis of our resources.

डा० रानेन सेन : दो वर्ष पहले, इस सभा में प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसी वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिये देश में ही औद्योगिक कच्चे माल तथा मशीनों का यथासंभव उत्पादन करने के प्रयत्न किये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनका वास्तविक परिणाम क्या निकला है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे पास इस समय तो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि पिछले दो वर्षों के दौरान उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल तथा पुर्जों का देश में उत्पादन करने के सम्बन्ध में काफी प्रयत्न किया गया है और इस उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है ।

श्री आर० के० बिड़ला : इस ओर के सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अब्दुल गनी तथा श्री हुमायून कबिर को मौका दिया है । यदि सभी सदस्यों को अवसर दिया जायेगा, तो हम केवल एक प्रश्न से आगे कभी नहीं बढ़ सकते । मैं श्री बिड़ला से पूछता हूँ कि क्या उक्त सदस्य उस ओर से नहीं हैं ?

श्री पी० के० घोष : क्या यह सच है कि उपलब्ध आयातित अथवा देशी कच्चे माल का केवल 6 प्रतिशत भाग लघु उद्योग को दिया जा रहा है, जबकि उसका 94 प्रतिशत हिस्सा मझले तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को दिया जा रहा है ? इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लघु उद्योगों में अधिक व्यक्तियों को काम मिल सकता है, क्या मंत्री महोदय लघु उद्योगों के लिये वृद्धि करेंगे ?

श्री फरूद्दीन अली अहमद : इस प्रश्न पर भी प्राथमिकता तथा गैर-प्राथमिकता के आधार पर विचार किया गया है। जहां तक प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग का सम्बन्ध है, हम उसे उसी आधार पर कच्चा माल देने का प्रयत्न कर रहे हैं जिस पर कि बड़े उद्योगों के मामले में दिया गया है और इस बारे में अनुमान लगाने के लिये, हमने जो कुछ किया है वह यह है कि वर्ष 1964-65 में इन उद्योगों को दिये गये कच्चे माल के मूल्य के तिगुने मूल्य का कच्चा माल दिया गया है। जहां तक गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योग का सम्बन्ध है, उसके बारे में वही तरीका अपनाया गया है जो कि बड़े उद्योग के मामले में अपनाया गया है।

श्री एम० एमसी : जब देश में कच्चे माल की बहुत कमी है, तब अतिरिक्त तकुओं का आयात क्यों करने दिया गया है ?

श्री फरूद्दीन अली अहमद : यह विषय वाणिज्य मंत्रालय का है।

Shri Shashi Ranjan : As has been pointed out, there are cases of irregularity, mal-practice and black marketing so far as imported raw materials including rayon are concerned. I want to know whether the Government will revise their priority list keeping in view the nature of the raw materials requirements of the country as a whole as a number of pesticides factories are defunct now on account of non-availability of raw materials and if so, the time by which it will be done.

Shri F. A. Ahmed : We will do it very soon.

Shri Hardyal Devgun : The question of allowing import of spindlage or installing additional spindlage comes within the purview of the Ministry of Industrial Development and not the Commerce Ministry. The Minister has replied wrong. Hence I raise a point of order.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

इस्पात के सौदों सम्बन्धी जांच समिति

+

* श्री मधु लिमये :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री बाबू राव पटेल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के पचासवें प्रतिवेदन के अनुसरण में नियुक्त की गई इस्पात के सौदों सम्बन्धी जांच समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) क्या इस प्रतिवेदन को देखते हुए लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रेड्डी): (क) लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है कि 1951-52 से अब तक जारी किये गये सभी बड़े लाइसेंसों / परमिटों की छानबीन की जाय। इसलिए लाइसेंस जारी करने, आयात नीतियों आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े समय-समय पर लागू नियमों और बहुत सी सम्बन्धित सांख्यिक सूचना इकट्ठी की जानी है और उसकी छानबीन की जानी है। अतः आदरणीय सदस्य स्वयम् अनुभव करेंगे कि इन सबको इकट्ठा करने में पर्याप्त समय लगेगा। यह पता चला है कि अब व्यापक जांच आरम्भ हो गई है और 3000 के लगभग लाइसेंसों के मामलों में से, जिनकी जांच होनी है, लगभग 400 की पड़ताल की जा चुकी है जब तक पूर्ण जांच नहीं हो जाती तब तक समिति को दिये गये निर्देशों उन अनियमितताओं के बारे में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना जिनके कारण सरकार को हानि हुई अथवा व्यक्तिगत फर्मों का पक्षपात किया गया और उचित विभागीय, दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की सिफारिश करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई प्रगति के बारे में कोई गुणात्मक निर्धारण नहीं किया जा सकता। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति समिति के प्रधान हैं और आशा की जाती है जांच शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जायेगी। फिर भी मंत्रालय समिति से निकट संपर्क बनाये रहेगा और यथासंभव इसके कार्य की समाप्ति के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डा० रानेन सेन : वह बहुत शीघ्र पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के लम्बे उत्तर सभा-पटल पर रख देने चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the Minister has just told that the investigation committee has been appointed. There has been so many matters and documents before it to examine that it would take some time. But I want to draw the attention of the Hon. Minister at page 96 of the 50th Report of the Public Accounts Committee, on the basis of which this committee, was appointed. In which report he has mentioned what these Companies—Ram Krishna Kulwant Rai and Amin Chand and Pyare Lal have done.

'In quite a few cases parties imported materials either without any valid licence or without any licence at all'

'कुछ मामलों में पक्षों ने बिना किसी वैध लाइसेंस के या किसी भी लाइसेंस के बिना ही माल का आयात किया।'

He further says.

"It is strange that such unauthorised imports have mainly been done by the same group of firms and they have been condoned by the office of the Iron and Steel Controller".

"यह बात विचित्र है कि इस प्रकार का अनधिकृत आयात मुख्यतः उसी सार्थ-समूह द्वारा किया गया और लोहो तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय ने उस आयात को मुआफ कर दिया।

It was a disease. In connection with its treatment he says that it would take time. But in between, several cases of the firm Amin Chand and Pyare Lal have been brought before the House. Now this disease has not been limited to the Iron and Steel Controller, but it has spread in the Central Board of Revenue and Law Ministry also. In those matters which I inquired, the Law Ministry has now given its views after consulting the Board of Revenue. It did exactly the same thing which the Iron and Steel Controller's Office used to do. It used to issue licences to even those who had not have any or correct licences before. According to the press report M/S Amin Chand Pyare Lal or its allied Companies, viz. Ram Krishna Kulwant Rai are engaged in the unlicensed imports or imports without licences. May I know whether Ministry of Law has taken upon itself the task of selling its Counsel in view of the fact that the Board of Revenue and the Law Ministry are exonerating those defaulting firms.

It has been printed in the 'Patriot'. Will the Finance or Steel Minister consider in this regard? I do not want to take the precious time of the House. If you want I can give it to you.

Dr. Chenna Reddy : Mr. Speaker. The question is regarding progress and I have tried to reply the same. The question which has now been asked is in connection with unlicensed imports or imports without licences. So it cannot be replied just now.

Shri Madhu Limaye : Why can't he reply? This committee has been appointed to investigate the wrong deeds, but the similar work is being done by the Ministry of Law and Finance, then how can he refuse to reply?

Deputy Prime Minister and the Finance Minister (Shri Morarji Desai) : I could not understand how the Finance Ministry is concerned with it?

Shri Madhu Limaye : He says that he could not follow. It is because he was talking with somebody. The Central Board of Revenue had asked the views of the Ministry of Law, because the custom imposed fines on the Steel and other goods imported without licences. The report of the Investigation Committee in this regard would be submitted after two years. Does it mean that the Finance Ministry would not take any action in this regard during this period?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पृथक निश्चित प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दिया जायेगा। इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

Shri Madhu Limaye : They are interlinked.

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको इस प्रकार उत्तर नहीं मिलता है तो आप दूसरे उपाय अपना सकते हैं। यदि आप इस्पात मंत्री से प्रश्न पूछेंगे तो वह इसका जवाब देंगे। यदि वह उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं और समय मांगते हैं तो वह बाद में विस्तार से जानकारी देंगे। अतः प्रत्येक मंत्री से इस प्रकार उत्तर देने के लिए मत कहिये। यह उनके लिए कठिन होगा।

Shri Madhu Limaye : I want your opinion.....

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए । मैं इस विषय पर और चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूँ । यदि आप पूछना चाहते हैं तो कोई विशेष प्रश्न पूछिये अन्यथा मैं और सदस्य से प्रश्न पूछने को कहूँगा । और सदस्यों को भी अवसर मिलना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the Steel Ministry is aware of the opinion asked for by the Central Board of Revenue from the Ministry of Law in connection with the import by these firms. If so, what action the Government is taking against these firms. The report of the Investigation Committee would be submitted after two years.

Dr. Chenna Reddy : This question relates to the progress of the inquiry committee and I have already replied it. So far as the present question is concerned, I will not be able to reply it unless a notice is given.

Shri Madhu Limaye : You have asked a question.

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिए सूचना चाहते हैं ।

Shri Madhu Limaye : What for this notice? Supplementaries are permitted. It is a convention here that supplementaries connected with the main question may be asked. This matter is linked with. He is a new minister from Andhra and I am prepared to give him the time. This question may be taken up on next Friday.

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्रिमंडल समस्त भारत का है न कि आंध्र प्रदेश का ।

Shri Madhu Limaye : I am prepared that this question may be taken on next Friday.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के अन्तर्गत कोई भी सदस्य बोलते समय ऐसे विषय का उल्लेख नहीं करेगा जिसकी अदालती जांच चल रही हो ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बाबूराव पटेल : माननीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाही की जायेगी । दीवानी कार्यवाही का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह धोखे का सौदा किसी समय सन् 1960 में किया गया था । अतः समय की सीमा के कारण दीवानी कार्यवाही नहीं हो सकेगी । जहां तक फौजदारी कार्यवाही का सम्बन्ध है, मुझे पता लगा है कि इससे सम्बन्धित बहुत सी फाइलें गायब हैं । क्या यह सच है कि इस मामले से सम्बन्धित फाइलें अप्रैल सन् 1966 से गायब हैं ?

डा० चेन्ना रेड्डी : यह प्रश्न नियमों के संदर्भ में है कि क्या इस सम्बन्ध में दीवानी या फौजदारी कार्यवाही की जाये । इस विषय में समिति ही निर्णय करेगी । यह सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत किया जायेगा । फाइलों के खो जाने के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Taking into consideration that there have been serious allegations against these firms and the allegations are under investigation by a high level committee; whether it is a fact that these firms have been black listed by the Ministry of Steel and no connection would be kept with these firms unless result of the investigation is out.

Dr. Chenna Reddy : The Ministry has no intention to make any alterations in this regard.

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, this was not my question. Those who are in the black list before the investigation, the names would be kept as it is. Does it mean that investigation would be continued against these firms and the Government would also have connections with them. How could the Government have connections with these firms while they are under investigation ?

Dr. Chenna Reddy : If they are in black list, the question of taking them out does not arise at all.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : I want to know whether they have been kept in the black list or not ? If they have been kept in the black list, how could the Government have relations with them ?

Shri D. N. Tiwari : The Hon. Minister has just informed that there have been three thousand to four thousand cases in which inquiry would have to be conducted. In four hundred cases inquiry has already been done. In such cases in which the commission has come to some conclusion and they have not been found guilty, they should be declared not guilty. I want to know if they have been found guilty what is the difficulty in taking action against them ?

Dr. Chenna Reddy : In this connection in the terms of reference of the commission, it has been said that "make a report or reports, interim or final to the Government".

“सरकार को प्रतिवेदन, अन्तरिम या अन्तिम, दें ।”

It is a question of the power of the committee. If they think it proper and necessary that it may submit some interim report so that it may have some effect on the firm, it is in their power. The action would be taken on their report being received by the Government.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : लोक लेखा समिति ने लोहा और इस्पात नियंत्रक के विषय में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब इस रिपोर्ट में निर्णयात्मक सबूत हैं तो सरकार लोहा और इस्पात नियंत्रक के विरुद्ध कार्यवाही करने में क्यों असफल रही है। मैं यह मानता हूँ कि समिति को आपको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लगेगा। सरकार को लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के मिले सबूतों के आधार पर लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के विरुद्ध कार्यवाही करने में क्या परेशानी है ?

डा० चेन्ना रेड्डी : जब यह और इससे सम्बन्धित मामले समिति को सौंपे गये थे तो सरकार ने सोचा था इससे पहले कि वह अन्तिम निर्णय ले, वह समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।

एक माननीय सदस्य : आखिर कब तक ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह कोई उत्तर नहीं है । मैंने भी ठीक इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : वह समय की सीमा बताने में असमर्थ हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : परन्तु लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कार्यालय के विरुद्ध, उन तथ्यों के आधार पर जो कि समिति ने बताये हैं, सरकार को कार्यवाही करने से कौन रोकता है ? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । हम यह जानते हैं कि वह समिति को सौंपा गया है ।

डा० चेन्ना रेड्डी : इस तरह से सरकार को दोहरी कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि यह केवल लोहा और इस्पात नियंत्रक के विरुद्ध होगी परन्तु हो सकता है कि और भी मामले हों जो इस समय दिखाई नहीं पड़ते । फिर यह प्रश्न उठाया जायेगा कि सरकार को इसमें कार्यवाही करनी चाहिये थी । इसलिये सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम इसे समिति पर ही छोड़ दे जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : In the last session of the Lok Sabha the Report of the Public Accounts Committee was the centre of discussion in connection with the matter of Amin Chand Payare Lal. Even then the Government have not come to the senses. The Public Accounts Committee have mentioned in its report about the great scandle and lists of the firms black listed. Taking all these aspects into consideration, the Government says that it is not in the terms of reference. Whether the Government is considering to investigate all these matters and intend to submit an interim report and thereafter a final report may be submitted ?

Dr. Chenna Reddy : In connection with the interim report I have already read the terms of reference. It is within the power of the committee. If it wants it can submit an interim report.

Shri Bibhuti Mishra : My point of order. In the last session it had been discussed in detail and it is a very important question. Even then the Government has not yet been awaken.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न कहां है ?

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि सरकार संसद तथा देश की स्थिति के प्रति सतर्क तथा जागरूक है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस प्रकार उठकर चिल्लाना नहीं चाहिये । यह कोई तरीका नहीं है ।

Dr. Chenna Reddy : I have already mentioned regarding the interim report. We took one step to close the business of Amin Chand Pyare Lal. In that connection they filed a writ petition in the Calcutta High Court. An interim injunction was issued to them due to that. Thirdly, on 2-12-66 the Previous Minister on replying to an unstarred question has said.

“It will not be possible or proper for the Ministry to make periodical reports on the work of an independent committee presided over by a former Chief Justice of India. The Ministry will, however, keep in close touch with the committee and facilitate its work in every possible way towards early completion.”

In spite of this I have given all the information that I can give.

Shri Prakash Vir Shastri: In spite of submitting this report twice by the Public Accounts Committee to the House, these cases have been referred to the commission, because two ministers were involved in it and it would have been helpful to them. But after studying the report of the Public Accounts Committee, it was clear that the officers were guilty in that and the same was admitted by the Government. In that situation whether any action according to the decision of the Commission, to remove those officers was taken, so that it may be felt that the Government have taken some steps.

Dr. Chenna Reddy: I have already told before that the dual functioning would not be proper. So we did not think proper to take action with regard to a few cases.

श्री दी० चं० शर्मा: मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर न देने में, अंतिम रिपोर्ट के स्थान पर अन्तरिम रिपोर्ट न प्रस्तुत करने में, और कम से कम उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने में जिन्होंने मद्रास, आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों की उच्च न्यायालयों में रिट पेटिशन दर्ज नहीं कराये, न्यायोचित हैं ?

डा० चेन्ना रेड्डी: यह सभा में कहे गये तथ्यों की अवहेलना का ही प्रश्न नहीं। सरकार ने इस विषय पर सब दृष्टिकोण से विचार किया है और जो समिति इस विषय पर विचार कर रही है उसे विस्तार से जानकारी उपलब्ध की जा रही है। मैं सभा की व्यथा भलीभाँति, समझता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही देने के लिये आतुर है। मुझे आशा है कि इस साल की समाप्ति से पूर्व वह अपनी रिपोर्ट दे देगी।

Shri Madhu Limaye: Whether you are excusing those companies ?

श्री ज्योतिर्भय बसु: क्योंकि कलकत्ता की जनता का यह विचार रहा है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कार्यालय भ्रष्टाचार और दुष्टता का अड्डा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार को तथा सतर्कता आयोग को पिछले तीन सालों में कितने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के मामलों की सूचना मिली है ?

Shri Madhu Limaye: Thousands.

अध्यक्ष महोदय: मुझे और अधिक अनुपूरक प्रश्नों के पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु 40 मिनट व्यतीत हो गये हैं और हम अभी दूसरे प्रश्न पर ही हैं। मैं एक माननीय सदस्य को उधर की ओर से तथा दूसरे माननीय सदस्य को उधर की ओर से पुकार रहा हूँ। माननीय मंत्री ने अभी ही अपना कार्य भार संभाला है उन्हें इस विषय पर अभी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना

होगा। शायद वह इस विषय की पिछली सारी स्थिति समझने के लिये कुछ अधिक समय लेंगे। स्वाभाविक तौर पर अगले सत्र में वह पूरी जानकारी देने में समर्थ होंगे। इस समय यदि सभा की अनुमति हो तो मैं नया प्रश्न पूछने के लिये कहूँ।

Shri Madhu Limaye : Therefore, I asked that it should be taken next week.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Mr. Speaker, at least ten questions should be dealt within this hour.

Mr. Speaker : You are right. But Hon. Members want to ask supplementaries on every question.

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री ज्योति बसु का प्रश्न रिकार्ड में आ गया है और उसका उत्तर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः मैंने यह निर्णय लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक आवश्यक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी भी कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप का उत्तर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिया जा सकता है? आपको भी युक्तियुक्त होना चाहिये। यह इस प्रश्न से असंगत है।

रेल दुर्घटनाएं

+
*172 श्री यशपाल सिंह : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री सी० सी० देसाई : श्री रा० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले छः महीनों में सभी रेलों पर जोन-वार कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुई;
- (ख) प्रत्येक मामले में, पृथक-पृथक कितने व्यक्ति हताहत हुए और रेल सम्पत्ति को कितनी हानि हुई;
- (ग) क्या जन अथवा सम्पत्ति की हानि के लिये निकटतम संबंधियों को मुआवजा दे दिया गया है;
- (घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;
- (ङ) इन दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में विभागीय जांच समितियों या अन्य जांच समितियों के निष्कर्ष क्या थे; और
- (च) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क), (ख) और (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-169/67]

(ग) अभी तरु कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(च) दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें अच्छा प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक शिक्षा, रेलवे के कर्मचारियों के कार्य करने के ढंग पर कड़ा निरीक्षण तथा दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक साधन जैसे गतिमापक (स्पीड रिकार्ड) तथा अधिक अच्छे सिगनल उपकरण व्यापक रूप से उपलब्ध कराये गये हैं। रेलवे उपकरणों के रख-रखाव में सुधार करने के प्रयत्न भी जारी हैं।

Shri Yashpal Singh : What is the reaction of the Government to Hon. Shri S. K. Patil's statement that some parties had resorted to sabotage activities with a view to maligning him which resulted in accidents? How far that statement is correct?

Shri Madhu Limaye : The public have answered that.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : विवरण में हुई दुर्घटनाओं और उनके कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ें तो उनको पता लगेगा कि तोड़फोड़ की कार्यवाहियों से 541 में केवल 5 दुर्घटनाएं हुई हैं।

Shri Yashpal Singh : To what extent the Government endorses the view of the experts that the main cause of accidents here being the century old track not matching with the latest engines?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ क्षेत्रों पर तो यह बात लागू होती है जहां कि रेलवे लाइनों में इंजनों की गति और बारम्बारता को सहन करने की क्षमता नहीं है। अतः लाइनों को मजबूत करने और इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। यांत्रिक, लाइनों और बिजली सम्बन्धी त्रुटियों के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या विवरण में दी गई है। यह क्रमशः 37,12 और 3 है।

श्री सी० सी० देसाई : क्या यह सच है कि संसार के सभ्य देशों में हमारे देश में ही सब से अधिक और गंभीर रेल दुर्घटनाएं होती हैं। और यदि हां, तो क्या सरकार जापान और फ्रांस जैसे देशों में, जहां कि रेल दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, सुरक्षा उपायों का अध्ययन करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को, मन्त्रियों को नहीं, भेजेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri George Fernandes : Several times it has been alleged that the steel used in the manufacture of railway lines is not tempered to the desired degree due to which the railway track has given way at many a point resulting in accidents. It is also learnt that a committee

is enquiring into it and the proceedings whereof are confidential. Will the Hon. Minister lay the report of that committee on the Table and convert that secret inquiry into an open one.

श्री चे० मु० पुनाचा : जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, विशेष रूप से रेल की लाइनों और इस्पात के अन्य पुर्जों परीक्षण के आधार पर रखे गये विशिष्ट विवरणों के अनुसार होते हैं। ये विशिष्ट विवरण भारतीय मानक संस्थान द्वारा रखे गये हैं। उसके अनुसार रेलवे में केवल वही माल उपयोग किया जाता है जिसका परीक्षण कर लिया गया हो। दुर्गापुर, भिलाई या अन्य किसी इस्पात मिल से आये माल का एक छिद्रण द्वारा परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण समय-समय पर सक्षम तकनीकी अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं। भारतीय मानक संस्थान का भी इससे सम्बन्ध है। भारतीय रेलों की लाइनों अथवा उसके अन्य पुर्जों में घटिया किस्म का कच्चा माल नहीं लगाने दिया जाता है।

Shri George Fernandes : What are the findings of the committee which was set up ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं पता लगाऊंगा कि समिति कब नियुक्त की गई थी और उसका प्रतिवेदन क्या है यदि कोई प्रतिवेदन होगा तो मैं उसको सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री रा० बरुआ : विद्रोहियों द्वारा तोड़फोड़ की बढ़ती हुई कार्यवाहियों के कारण आसाम उत्तर सीमान्त रेलवे क्षेत्र में रात के समय रेलगाड़ियां चलाना बन्द कर दिया गया है। यहां तक कि दिन के समय भी रेलगाड़ियों का चलना सुरक्षित नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार रेलवे लाइन के साथ-साथ जंगलों का सफाया कर रही है जैसा कि इस सभा में पहले आश्वासन दिया गया था और क्या सरकार एक सड़क का भी निर्माण कर रही है ताकि सुरक्षा कर्मचारी रेलवे लाइनों की उचित देखभाल कर सकें ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मामला रेलवे अधिकारियों, राज्य सरकार और उस क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा संगठन के विचाराधीन है।

श्री हेम बरुआ : पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के आसाम सैक्शन में अब तक जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वे नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों के कारण हुई हैं जिन्होंने बम्ब फेंक कर रेल की पटरी को जला दिया है। वे रेलगाड़ियों पर भी बम्ब फेंक रहे हैं। वहां पर दुर्घटनाओं के ये कारण हैं। हम यहां पर सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि वह कड़ी कार्यवाही करे। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के क्षेत्र में नागा विद्रोही रेलवे को हानि पहुंचाते हैं। वहां पर हमारा सुरक्षा बल है और समूची सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथ में है। रेलवे सुरक्षा बल ने सहायता के लिये वहां दो बटैलियन दे रखी हैं। उसके अतिरिक्त आसाम सरकार ने भी अपने काफी कर्मचारी दे रखे हैं। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है वहां पर हमने यह व्यवस्था कर रखी है। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है हम एक स्पेशल सर्च लाइट इंजन, एक एस्कोर्ट या पाइलट चलाते हैं। सर्च लाइट स्पेशल रेलगाड़ी से आधा घंटा आगे चलती है। फिर, लाइनों पर निरन्तर रूप से गश्त की जाती है। इन उपायों के परिणामस्वरूप हम दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम कर सके हैं। हाल ही में कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई है।

श्री हेम बरुआ : 2 मार्च को हुई दुर्घटना के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : क्योंकि यह खतरा है कि वहां पर असामाजिक तत्व पटरी पर आग लगाने वाले बम्बे रखने का प्रयत्न करते हैं इसलिये पटरी पर निरन्तर गश्त की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्टेशनों पर सवारियों के सामान की भी तलाशी ली जाती है। यद्यपि यह तलाशी अन्य यात्रियों के लिये असुविधाजनक है फिर भी हमें ऐसा करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यात्रियों की सुरक्षा कुछ यात्रियों को होने वाली असुविधा से अधिक महत्व रखती है। माननीय मंत्री को प्रश्न काल में लम्बे स्पष्टीकरण नहीं देने चाहिये।

श्री चे० मु० पुनाचा : श्री बरुआ विस्तृत उत्तर चाहते थे।

श्री हेम बरुआ : लुमडिंग से आगे गाड़ियां बंद करने के अतिरिक्त और क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : विवरण में यह दिया गया है कि 466 रेल दुर्घटनाओं में 327 रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। रेल कर्मचारियों की अकार्यकुशलता के क्या कारण हैं, और सरकार किन उपायों द्वारा इन कठिनाइयों पर काबू पाना चाहती है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इनका सम्बन्ध छोटी दुर्घटनाओं से है जो लापरवाही या गलती के कारण हो जाती हैं। ऐसे मामलों में जांच की जाती है और दोषी कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत दंड दिया जाता है।

श्री नम्बियार : जो वक्तव्य दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि मानुषिक गलतियों तथा असफलताओं के दृष्टान्त हुए हैं। क्या सरकार ने इन कारणों का पता लगाना आवश्यक समझा है कि रेलवे के सुचारु रूप से काम करने के रास्ते में यह मानुषिक पहलू क्यों आता है तथा क्या सरकार ने जहां कम कर्मचारी है वहां और कर्मचारी देना तथा कार्यभार को दूर करना, जो कर्मचारियों की असफलता का कारण रहा है, आवश्यक समझा है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक इसके कार्यभार तथा थकान पहलू का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित नियम बने हुए हैं जिसके अनुसार रेलवे में किसी भी व्यक्ति को जस्टिस राज्याध्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार निश्चित कार्यभार से अधिक काम नहीं दिया जाता है।

Shri O. P. Tyagi: May I know the reasons for increase in the number of accidents after the achievement of Independence as compared to the English time. Is it not one of the causes that our Railway staff from top to bottom lacks in discipline ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रतिशततावार दुर्घटनाएं कम हुई हैं। दूसरे काम दस गुना बढ़ गया है।

श्री मुहम्मद इमाम : कुछ महीने पहले पूना-बंगलौर एक्सप्रेस गाड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें 32 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसे तोड़फोड़ का

मामला बताया गया था। क्या इस तोड़फोड़ के बारे में कोई जांच की गई थी तथा किसी व्यक्ति को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया था? यह दुर्घटना मैसूर और महाराष्ट्र सीमा के बिल्कुल निकट हुई थी।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस मामले की रेलवे सुरक्षा संगठन ने, जो असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, जांच की थी। उसकी हमें अभी रिपोर्ट मिली है।

श्री मुहम्मद इमाम : बैलगांम के निकट भी एक रेल दुर्घटना हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, संख्या 173 लिया जाये। श्री विभूति मिश्र।

West German Report regarding Indian Steel Industry

+
*173. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the West German Reconstruction and Loan Corporation has prepared a report regarding the Indian Steel Industry ; and

(b) if so, the main features thereof?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : (क) “भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग का विकास और उद्देश्य” के सम्बन्ध में मेसर्स क्रेडिटानस्टाल्ट ने (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) पश्चिम जर्मनी का पुर्ननिर्माण तथा ऋण निगम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। प्रारम्भतः यह रिपोर्ट उन्होंने अपने उपयोग के लिए तैयार की थी। रिपोर्ट की एक प्रति मिल गई है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-170/67]

Shri Bibhuti Mishra : It is mentioned in the statement :

“यह सुझाव दिया गया है कि नई मिलों का निर्माण-कार्य स्थगित किया जाना चाहिये तथा भविष्य में वर्तमान मिलों के विकास के लिये पूंजी लगाई जानी चाहिए क्योंकि अन्तिम प्रक्रम में वर्तमान सुविधाओं से उत्पादन लागत बहुत कम हो जायेगी तथा इन मिलों की उत्पादन शक्ति बढ़ जायेगी।”

We should also use the raw material very economically. Apart from it it is mentioned in the statement :

“प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत उन मिलों को वरीयता दी जानी चाहिये जिन्हें बहुत शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकता है।”

These are very valuable suggestions given in that statement. May I know the steps Government is taking to implement these suggestions?

Dr. Chenna Reddy : As I stated just now this is report of the committee itself. This is not the committee set up by Government. Apart from that Government is keeping in view the good points regarding raw material and for the expansion of existing mills instead of constructing new ones.

Shri Bibhuti Mishra : It is correct that Government has not set up a committee. But to what extent Government is endeavouring to accept the good points mentioned by it.

Dr. Chenna Reddy : At present emphasis is being given for the expansion of existing steel units. Efforts are being made to implement the suggestion given regarding the raw material.

Shri Bibhuti Mishra : It is mentioned in the report that in future no new mill be set up and that no steel mill be set up. May I know whether Government have postponed the setting up of a unit in Salem which was under dispute keeping in view this report.

Dr. Chenna Reddy : As far as the question of setting up new mills is concerned a decision can be taken only when the full picture of Fourth Plan comes before Government and Government can consider this question only at that time.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, my question has not been answered. Government says that it is a good report. It is mentioned in this report that in future no mill should be set up and instead only existing mills should be expanded so that they could work efficiently. May I know whether Government will act according to this report when they consider that it is a good report.

Shri K. N. Tiwary : It is mentioned in the recommendations laid on the Table of the House :

“इस्पात कारखानों का विकास तथा सहायक उपक्रमों जैसे ड्रैसिंग और सिन्टरी उपक्रमों का निर्माण करने के लिये अपेक्षित समय को बहुत कम करना चाहिये ।

In this connection may I know which are the existing industries which will be effected by this recommendation and which are the mills that will be expanded accordingly.

Dr. Chenna Reddy : At present there is a programme to expand Durgapur Steel Plant. The second stage of Rourkela Steel Plant has been completed and the third is under consideration.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उससे यह पता चलता है कि पश्चिमी जर्मन नई परियोजनायें स्थापित करने की बजाय वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार के लिये अधिक जोर दे रहा है । परन्तु इस संक्षेप से यह स्पष्ट नहीं होता है, जो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रूरकेला परियोजना का और विस्तार करने के मामले में वे कच्चे माल का नहीं, भारत में बने माल का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिये सहमत हो गये हैं अथवा वे यह सामान भी आयात करना चाहते हैं ?

डा० चेन्ना रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखना हमारी मूल नीति है कि जितनी मात्रा में देश में बना माल उपलब्ध हो उसे विस्तार कार्यक्रम में प्रयोग किया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन जर्मन लोगों का क्या विचार है ।

डा० चेन्ना रेड्डी : इस बारे में कोई मतभेद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न घण्टा समाप्त हो गया है । अब हम अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4 लेते हैं ।

डा० कर्णी सिंह : मेरा निवेदन यह है कि आप नियम 46 के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 175 तथा 188 के बारे में, जो देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि वे अवमूल्यन के बारे में हैं, यह अनुज्ञा दे दें, कि वे प्रश्न घण्टा समाप्त होने के बाद लिये जायें । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इससे अवश्य सहमत हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

Shri M. A. Khan : I want that some words be expurged from yesterday evening's proceedings which have been entered into the proceedings of this House.

अध्यक्ष महोदय : आप उस बात को उठाना चाहते हैं जो कल हुई थी । कृपया अब उसे मत उठाएँ । जो कल हुआ था । आप मेरे कक्ष में आ जायें और हम उस बारे में विचार कर लेंगे । आप उस बात को अब यहां नहीं उठा सकते हैं । What the Hon. Deputy Speaker did yesterday cannot be raised now.

आयात सम्बन्धी नीति

अ० सू० प्र० सं० 4. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के लिये आयात संबंधी नीति को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आयात नीति को अन्तिम रूप देने से पहले आयात-निर्यात सलाहकार परिषद् में व्यापारी वर्ग के सुझावों पर विचार किया जाता है । परिषद् की बैठक 21 तथा 22 अप्रैल, 1967 को होनी है । नई सरकार को इस मामले पर पूरा ध्यान देने के लिये समय चाहिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि परिषद् की बैठक होने में देरी हुई है—ऐसा कभी-कभी हो जाता है—और आयात सम्बन्धी नीति को अन्तिम रूप देने में देरी इसलिए हुई है क्योंकि सार्थसंघ की बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि गैर-परियोजना सहायता कितनी मिलेगी ताकि उसे आगामी छः महीनों के लिए आयात सम्बन्धी नीति को अन्तिम रूप देने में निगमित किया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां। निस्सन्देह सार्थसंघ की बैठक नीति घोषित होने से पहले हो जानी चाहिए थी। परन्तु मैं फिर भी यही कहूंगा कि देरी होने का यह मुख्य कारण नहीं है चाहे एक महत्वपूर्ण कारण है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने रैंड बुक अर्थात् छः मासिक आयात नीति सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित करने की संपूर्ण प्रणाली के बारे में जांच की है, क्या इस अंक के बारे में जांच की गई है ताकि विदेशी मुद्रा बजट उचित रूप से तैयार किया जा सके? क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है? क्या सरकार इस बारे में कुछ रोशनी डाल सकती है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को पता ही होगा कि विदेशी मुद्रा बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है तथापि हम इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : हम बातें तो अधिक अनाज पैदा करने की करते हैं परन्तु अनाज पैदा करने के लिए खाद का होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। मद्रास राज्य में हमें पर्याप्त मात्रा में खाद लेने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। अतः क्या सरकार जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक खाद आयात करने का प्रयत्न करेगी?

श्री दिनेश सिंह : हम इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

Shri P. C. Verma : May I know whether Government will take some steps to examine and remove the loopholes prevalent in the existing import-export policy because it is due to these loopholes that big capitalists make an unfair use of this policy which is used for them and is misused for the owners of small factories? May I know whether Government wants to modify the policy in such a way that the underinvoicing and overinvoicing in export promotion might be checked.

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir. We will take into consideration all these points.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the Hon. Minister is aware of the facts that some traders had surrendered their import licences some time after devaluation? If so, what was the number of licences surrendered by them and what were the reasons for which these were surrendered? May I know the policy that the Hon. Minister would like to formulate keeping this thing in view?

Shri Dinesh Singh : I will keep this thing in view. It has been told in connection with the previous question that import during last year was much less than that of previous years. We will also keep that in view.

Shri Kanwar Lal Gupta : How many import licences were surrendered?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध आयात नीति से है न कि वास्तविक राशि से ।

श्री पें० वेंकटसुब्बय्या : माननीय मंत्री अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में यह कहते रहे हैं कि आयात नीति को अन्तिम रूप देने में देरी भारत सहायता सार्थसंघ की बातचीत के कारण हुई है । इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार आयात नीति पर पुनर्विचार करने का है ताकि औद्योगिक लाइसेंस उद्योग समूहों को न दिये जायें ।

श्री दिनेश सिंह : हम अवश्य इस बात पर विचार करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री को पहले ही पता है कि वस्त्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है । इसका कारण रुई की कमी है । इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जहां तक रुई का सम्बन्ध है नियमों में इस तरह से संशोधन किया जायेगा कि अधिक रुई उपलब्ध हो सके ।

श्री दिनेश सिंह : हम इस बारे में विचार करेंगे ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह सच है कि आयात नीति को अन्तिम रूप देने के काम को इसलिए स्थगित किया गया है ताकि आयात-निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बड़े मसले पर विचार किया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से मामलों में सामान आयात करने में बीजक में अधिक राशि दिखाई जाती है सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है कि विदेशों से सामान मंगाते समय इस चीज को रोका जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ उस पर यह टिप्पणी की जाती है । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : अवमूल्यन, निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था जो दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हुआ है । परन्तु निर्यात का सम्बन्ध आयात से भी जोड़ना होता है । अतः सरकार का विचार उचित आयात नीति बनाये बिना निर्यात का आयात से कैसे सम्बन्ध जोड़ने तथा अवमूल्यन को कैसे रूप तथा प्रभाव देने का है ? क्या वह इस बारे में सभा को कुछ बतायेंगे ?

श्री उमानाथ : वह इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : एक वर्तमान आयात नीति है । परन्तु हम अभी आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये आयात नीति की बात कर रहे हैं । जब इस आयात नीति की घोषणा कर दी जायेगी तो मुझे आशा है कि माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था । वर्तमान आयात नीति का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है । इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि क्या कोई नई आयात नीति बनाई जायेगी तथा सरकार अपनी नई नीति बनाने में देर क्यों कर रही है ताकि अवमूल्यन नामक उपाय को प्रभावी बनाया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह कह चुका हूँ कि नई नीति बनाते समय हम इन सब बातों पर विचार करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप मुझे भी एक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ।

श्री हेम बरुआ : यह युवक मंत्री बहुत होशियार है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अब तक यह अवश्य समझ गये होंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब मेरे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रत्येक प्रश्न पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सबके लिए है न कि केवल उस माननीय सदस्य के लिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश को एक महत्वपूर्ण विषय से वंचित रखा जा रहा है । हम उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं जो बेची नहीं जा सकतीं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारी औद्योगिक विकास नीति तो बड़ी अवधि के लिए बनाई जाती है तथा हमारी आयात नीति छः महीने की अवधि के लिये बनाई जाती है । अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि औद्योगिक विकास को इस आयात नीति से कैसे एकीकृत किया जायेगा जो तीन अथवा चार महीने में बनने वाली है ?

श्री दिनेश सिंह : औद्योगिक विकास एक बड़ा ढांचा है जिसमें हम अपनी वार्षिक आयात नीति बनाते हैं । वह छः महीने के लिए नहीं बनाई जाती है । हम अन्य नीति के बड़े ढांचे में विशिष्ट आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं ।

Shri Har Dayal Devgun: May I know from the Hon. Minister whether in the new policy small industries will also get raw material according to their capacity as the big industries get ?

Shri Dinesh Singh: This question can arise when the new policy is framed ?

श्री कंवर लाल गुप्त : हम आपकी सहायता चाहते हैं। माननीय मंत्री हमारे प्रश्न का उत्तर कहीं दे रहे हैं।

श्री हरदयाल देवगुण : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था। क्या नयी नीति में बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों में कोई भेदभाव रहेगा ? प्रश्न यह है कि क्या छोटे उद्योगों को भी उनकी क्षमता के अनुसार कच्चा माल मिलेगा जैसे बड़े उद्योगों को मिलता है ?

Shri Dinesh Singh. I had understood the question all right. I cannot answer it in parts. Unless the full policy is formulated what can I say ?

श्री एस० आर० दामानी : अवमूल्यन के बाद सात महीनों में हमने 13 करोड़ डालर का कम निर्यात किया है क्योंकि निर्यात के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। क्या नई आयात नीति में निर्यात के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा। ताकि हम न केवल उतना ही निर्यात करते रहें बल्कि उसमें वृद्धि भी कर सकें।

श्री दिनेश सिंह : इस सुझाव को कार्यान्वित किया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सलेम इस्पात कारखाना

*170. श्री सेन्नियान : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में सलेम में इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी): (क) नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में, कुछ स्थलों की उपयुक्तता का, जिसमें सलेम भी शामिल है, कई भारतीय तथा विदेशी फर्मों ने सर्वेक्षण किया है। मद्रास राज्य में सलेम के स्थान पर इस्पात कारखाना लगाने के बारे में भारत सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

S. S. Light Railway

*174. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some complaints have been received about the working of the Shahdara-Saharanpur Light Railway ;

(b) the date upto which this Railway line will continue to be worked by a private company ; and

(c) whether Government propose to take over this line and to subsequently convert it into a broad-gauge line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No complaint has been received in the recent past about the working of the Shahdara-Saharanpur Light Railway.

(b) and (c). This Railway is being worked by the Company under an agreement with the Central Government. As per the agreement the Central Government have the option to purchase the Railway at intervals of seven years. The next option to purchase this Railway falls due on 18-4-1969 when the matter will be considered in detail.

अवमूल्यन के बाद निर्यात

*175. डा० कर्णो सिंहजी :	श्री वी० विश्वनाथ मेनन :
श्री सूपकार :	श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री अ० क० गोपालन :	श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :	श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० जनार्दनन :	श्री एम० वी० राजशेखरन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :	श्री एन० के० सोमानी :
श्री पट्टियम गोपालन :	श्री एस० आर० दामानी :
श्री के० एम० अब्राहम :	श्री के० अनिरुधन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद से भारत के निर्यात व्यापार में कोई वृद्धि तथा आयात व्यापार में कमी हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले छः मास के निर्यात के आंकड़े 1965-66 की इसी अवधि के निर्यात के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-171/67]

लमडिंग-मरयानी सेक्शन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

*176. श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मार्च, 1967 को उपद्रवी नागाओं ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेलवे के लमडिंग-मरयानी सेक्शन पर टिटाबार तथा खारीकटिया स्टेशनों के बीच लेटेकुजान स्टेशन पर एक गाड़ी पटरी से उतार दी थी;

- (ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;
(ग) इससे रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई; और
(घ) क्या इस मार्ग पर बार बार दुर्घटनाएं होती रही हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां ।

(ख) 1 व्यक्ति मरा और 5 घायल हुए ।

(ग) 2,425 रुपये ।

(घ) जी हां । तोड़-फोड़ और रेल-पथ के साथ छेड़-छाड़ के कारण इस खण्ड पर कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

*177. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से भारत में ट्रैक्टर बनाने की योजना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के पेश किये जाने में कितना और समय लगने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पहले भाग के अगले महीने मिल जाने की आशा है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार

*178. श्री सूपकार : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने का निकट भविष्य में और विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित विस्तार के लिए जर्मनी का और अधिक सहयोग तथा पश्चिम जर्मनी से माल का आयात करना, जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी, आवश्यक होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी): (क) और (ख). चौथी पंच-वर्षीय योजना के मसौदे की रूपरेखा में रूरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात-पिंडों के बारे में उत्पादन क्षमता 18 लाख से 25 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्योरो ब्योरेवार परियोजना-प्रतिवेदन तैयार कर रहा है। यद्यपि यह प्रतिवेदन देशीय साधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर तैयार किया जा रहा है तथापि कारखाने की कुछ चीजों तथा उपकरणों का आयात करने के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार इस बारे में जर्मन संघीय गणतन्त्र की सरकार से बातचीत कर रही है।

लघु उद्योग

*179. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री एस० आर० दामानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड की एक समिति ने लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु उद्योग राष्ट्रीय विनियोजन गृह स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या समिति ने औद्योगिक बस्तियों को धन देने के लिए जीवन बीमा निगम को राजी कराने का भी सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फल्लूद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां; लघु उद्योग बोर्ड ने स्वयं भी लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लघु उद्योगों के वास्ते एक राष्ट्रीय विनियोजन गृह की स्थापना करने की सिफारिश की है। लघु उद्योग बोर्ड की सरकारी स्तर की समिति ने 27 फरवरी, 1967 को हुई अपनी बैठक में इस सिफारिश की पुनरोक्ति की है।

(ख) जी, हां; लघु उद्योग बोर्ड तथा उसकी सरकारी स्तर की समिति ने सरकार से इस बात पर जोर दिया है कि वह जीवन बीमा निगम को औद्योगिक बस्तियों के लिए वित्त व्यवस्था जारी रखने के लिए तैयार करे।

(ग) और (घ). उपर्युक्त भाग (क) का प्रस्ताव, रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा वित्त मंत्रालय भाग (ख) वाला प्रस्ताव, भारत जीवन बीमा निगम को बता दिया गया है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

तांबा परियोजनाओं का विकास

*180. श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री के० पी० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव : श्री अ० दीपा :
श्री गु० च० नायक :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू तीन मुख्य तांबा परियोजनाओं, अर्थात् राजस्थान में खेती, विहार में राखा और आन्ध्रप्रदेश में अग्निगांडला का विकास करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक नई कम्पनी बनाई जाएगी;

(ख) क्या यह कम्पनी इस क्षेत्र में परामर्श सेवा भी आरम्भ करेगी; और

(ग) राखा परियोजना कब आरम्भ की जायेगी तथा उसमें कितनी पूंजी लगाई जायेगी और उसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी): (क) हां महोदय।

(ख) प्रस्ताव है कि यह नई कम्पनी कुछ समय बाद तांबा विदोहन क्षेत्र में परामर्श सेवाओं का विकास करे।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने राखा निक्षेपों को शुरू में छोटे पैमाने पर खनन करने की योजना बनाई है। इस पर 6.50 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और संकेन्द्रित उत्पादित किये जायेंगे जिनसे 3500 टन तांबा प्रति वर्ष निकलेगा। इस योजना का अध्ययन किया जा रहा है। राखा परियोजना के शुरू होने के लक्ष्य की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। परन्तु खान खोलने में तथा इस योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने पर उत्पादन आरम्भ करने में लगभग ढाई वर्ष (30 महीने) लग जायेंगे।

रेलवे में तोड़फोड़

*181. श्री स० चं० सामन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे सम्पत्ति को चोरी, तोड़फोड़ तथा छात्रों के दुर्व्यवहार आदि के कारण होने वाली हानि से बचाने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) 1966-67 में तोड़फोड़, छात्र असंतोष तथा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप सरकारी और गैर-सरकारी जन-धन की कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये और उन्हें सजा दी गई तथा अन्य अपराधियों का पता न लग सकने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां। छात्रों के दुर्व्यवहार या तोड़फोड़ से होने वाली हानि, सठाईगीरी और नुकसान से रेल सम्पत्ति की हिफाजत करने के लिए रेलों पर राज्य सरकार की पुलिस और रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(ख) 201 व्यक्ति मारे गये। रेल सम्पत्ति को कुल लगभग 39.16 लाख रुपये की क्षति का अनुमान है।

(ग) 79 मामलों में अपराधियों को पकड़ लिया गया और 2 मामलों में अपराधियों को सजा दी गई। बाकी मामलों में पुलिस जांच कर रही है या मुकदमा चलाया जा रहा है।

निर्यात और आयात

*182. श्री अरंगिल श्रीधरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातकर्त्ताओं द्वारा निर्यात का मूल्य से कम बीजक बनाये जाने तथा विशेषकर विदेशी फर्मों के भारत में काम कर रहे सहायक सार्थों द्वारा आयात का अधिक राशि का बीजक बनाये जाने की प्रथा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) निर्यात का मूल्य से कम का बीजक बनाये जाने तथा फर्मों के द्वारा, जिनमें विदेशी फर्मों के सहायक सार्थ भी शामिल हैं आयात का अधिक राशि का बीजक बनाये जाने सम्बन्धी कुछ मामले ध्यान में आये हैं।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और/अथवा विदेशी विनिमन नियंत्रण अधिनियम 1947 के अन्तर्गत प्रत्येक मामले पर उसकी परिस्थितियों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

निर्माताओं को स्टेनलेस स्टील की सप्लाई

*183. श्री मद्दी सुदर्शनम : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेनलेस स्टील के बर्तन तथा अन्य वस्तुओं के निर्माताओं को सीधे स्टेनलेस स्टील की सप्लाई करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी): (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ का मूल्य

*184. श्री अ० क० गोपालन :	श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :	श्री सी० जनार्दनन :
श्री नम्बियार :	श्री पी० सी० अदीचन :
श्री वासुदेवन नायर :	श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सुशीला गोपालन :	श्री अरंगिल श्रीधरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने सरकार को बताया है कि हाल में रबड़ की कीमतों में कमी इस कारण से हुई है कि रबड़ का आयात उस समय किया गया जब भारत में रबड़ का उत्पादन काफी बढ़ गया था;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रबड़ के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख). जी, हां। प्राकृतिक रबड़ के हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु उस वृद्धि के बावजूद भी निर्माता क्षेत्र की कुल मांग में 30,000 मे० टन की कमी रहती है जिसे आयात से पूरा करना पड़ता है। आयातित तथा स्वदेशी रबड़ के चालू मूल्यों के सन्दर्भ में यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वास्तविक कमी हुई है। प्रतिबन्धित आयातों और संश्लिष्ट रबड़ के कारखाने में एक दुर्घटना के कारण 1966 में देश में रबड़ की अत्यधिक कमी हो गई थी जिसके फलस्वरूप स्थानीय मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई। यह असामान्य वृद्धि अब समाप्त हो गई है।

(ग) टैरिफ आयोग से कहा गया है कि वह स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के उचित मूल्यों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें दे। उनका प्रतिवेदन मई, 1967 में प्राप्त होने की आशा है और उनकी सिफारिशें प्राप्त होने पर रबड़ के मूल्यों के स्थिरीकरण सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली में रेलवे फाटक तथा ऊपरी पुल

*185. श्री बलराज मधोक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में कितने रेलवे फाटक हैं और वे कहां-कहां पर हैं ;

(ख) अब तक कितने ऊपरी पुल बनाये गये हैं और वे कहां-कहां पर बनाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और ऊपरी पुल बनाने का है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-172/67]

मोटर गाड़ियों के मूल्य

*186. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मोना :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटरगाड़ियों के मूल्य कम करने और मोटरगाड़ी सहायक उद्योग को सुदृढ़ आधार पर व्यवस्थित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस समय दो सौ से भी अधिक फर्मों मोटरगाड़ियों के एक या एक से अधिक सहायक पुर्जों के निर्माण में लगी हुई हैं। सामान्यतः अब लगभग सभी मुख्य पुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। अब तक की गई प्रगति को देखते हुये ट्रकों में लगने वाले उपकरणों को छोड़कर मोटरगाड़ी के सहायक पुर्जों के निर्माण के लिये नये एककों को लाइसेंस देने पर अब रोक लगा दी गई है। वर्तमान एककों को विस्तार तथा विविध उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है जिससे वे उत्पादन के आर्थिक स्तर को पहुंच सकें।

सहायक वस्तुओं के निर्माताओं को मोटरगाड़ी के सहायक पुर्जों का निर्माण प्रारम्भ करने के लिये प्रोत्साहन देने के वास्ते मुख्य निर्माताओं तथा सहायक निर्माताओं के बीच उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है और अधिकांश सहायक वस्तुओं का विकास कार्य सहायक निर्माताओं के लिये ही सुरक्षित रख दिया गया है।

मोटरगाड़ी निर्माताओं तथा सहायक पुर्जों के निर्माताओं दोनों में कहा गया है कि वे जहां तक व्यवहारिक हो, किस्म तथा क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना वे अपने-अपने पुर्जों का मानवीकरण करें।

रबड़ का आयात

*187. श्री वासुदेवन नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में रबड़ के आयात के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कितनी मात्रा के लिये ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ का स्टॉक जमा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो आयात लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). अक्टूबर, 1966 से मार्च, 1967 की अवधि में लगभग 6100 मे० टन रबड़ आयात करने के लिये 83 लाइसेंस दिये गये ।

(ग) जी, नहीं । 1965 तथा 1966 में रबड़ के स्टॉक की मासवार स्थिति को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-173/67] इससे स्पष्ट हो जायेगा कि 1966 में रबड़ का स्टॉक लगभग उतना ही रहा है जितना कि 1965 के तत्स्थानी महीनों में था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात

*188. श्री उमानाथ :

श्री सी० के० चक्रपाणि :

श्री पट्टियम गोपालन :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री बी० विश्वनाथ मेनन :

श्री के० एम० अब्राहम :

श्री पी० पी० एस्थोस :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री ओंकार सिंह :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

श्री रामकिशन गुप्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के बाद निर्यात आशा के विपरीत कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है और कितनी कमी हुई है;

(ग) यह कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क), (ग) तथा (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें निर्यात में हुई कमी के कारण और स्थिति को सुधारने के लिये की गई कार्यवाही बताई गई है (विवरण 1) । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-174/67]

(ख) एक अन्य विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें जून-दिसम्बर, 1965 की तुलना में 1966 की इसी अवधि में निर्यात की प्रमुख मदों में वृद्धि तथा कमी बताई गई है (विवरण 2) । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-175/67]

कारों और स्कूटरों का निर्माण

*189. श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि देश में कारों और स्कूटरों का काफी निर्माण घट गया है ;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ; कारों और स्कूटरों का उत्पादन प्रतिवर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ से निर्यात संवर्द्धन विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल

*190. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित निर्यात संवर्द्धन विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आया था ;
(ख) यदि हां, तो वह प्रतिनिधिमंडल कितने कारखानों में गया ; और
(ग) उसने क्या-क्या सुझाव दिये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री. दिनेश सिंह) : (क) विशिष्ट इंजीनियरी तथा रासायनिक उद्योगों की निर्यात सम्भावनाओं को बढ़ाने के उपाय ढूँढने के लिये निर्यात उत्पादन सम्बन्धी एक सात-सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रीय दल, 16 जनवरी, 1967 से पांच सप्ताह की अवधि के लिये भारत आया था ।

(ख) 132 ।

(ग) दल की अन्तिम सिफारिशें सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हरियाणा में रेलवे लाइन

*191. श्री अब्दुल गनी दर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में कुल कितने मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाने का विचार है और ये रेलवे लाइनें कहां-कहां बिछाई जायेंगी ; और
(ख) इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी योजना में बनाई जाने वाली नई लाइनों से सम्बन्धित सुझावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) अभी तक हरियाणा की नयी राज्य सरकार से चौथी योजना में नई लाइनें बनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं मिला है। लेकिन भूतपूर्व पंजाब सरकार ने गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाने का सुझाव दिया था।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

*192. श्री के० रमानी : श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री उमानाथ : श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) फरवरी, 1967 में कुल कितनी कपड़ा मिलें बन्द रहीं ;
 (ख) मद्रास राज्य में इसी अवधि में (एक) कपास की कमी, (दो) वित्तीय संकट और (तीन) कुप्रबन्ध के कारण कुल कितनी मिलें बन्द रहीं ;
 (ग) इस संकट के परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारी बेरोजगार हुये ; और
 (घ) इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 28

(ख) 7—4 वित्तीय कारणों से, 2 मजदूरों की हड़ताल के कारण तथा एक बिजली की कमी के कारण, और कोई भी मिल रुई की कमी के कारण बन्द नहीं रही ;

(ग) 31,640

(घ) जब कभी आवश्यक होता है, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अधीन जांच की जाती है और जांच की रिपोर्टों के आधार पर, उपयुक्त मामलों में, राज्य सरकार से सलाह करके अधिनियम की धारा 18ए के अनुसार प्राधिकृत नियंत्रक / प्राधिकृत अभिकर्ताओं की नियुक्ति करके बन्द मिल को पुनः चलाने के लिये कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक मामले के गुणावगुण को देखते हुये उपयुक्त मामलों में वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

इंजीनियरी उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता

*193. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋयादेशों की कमी होने के कारण इंजीनियरी उद्योग में पिछले एक वर्ष से क्षमता का अप्रयोग बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी हां केवल कुछ उद्योगों के मामले में । ऐसे मामलों में उद्योगों को यह सलाह दी गई है, वे विविध प्रकार का उत्पादन करें या वे स्वयं ही विविध प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं जिनमें अन्य वस्तुएँ आ जाती हैं ।

रेल के माल डिब्बे

*194. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ब्रैथवैट एण्ड कम्पनी आदि फर्मों को रेल के माल डिब्बों के लिये दिये गये क्रयादेशों में अत्यधिक कमी हो गई है जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी होने की आशंका है ;

(ख) माल डिब्बे बनाने वाली विभिन्न फर्मों को किस आधार पर क्रयादेश दिये जाते हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुचित पक्षपात किये जाने की शिकायतें आई हैं ; और

(ग) क्या माल डिब्बों की अनुमानित मांग में कमी देश में अनुपेक्षित आर्थिक मन्दी के कारण हुई है अथवा गलत आयोजना के कारण ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) माल यातायात के सम्बन्ध में रेलों की आवश्यकता के अनुरूप माल डिब्बों की संशोधित-मांग और रेलों के वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुये सभी निर्माताओं को कम माल डिब्बों के लिये आर्डर दिये गये हैं ।

(ख) माल डिब्बों के लिए जितना आर्डर देना था, उसे विभिन्न माल-डिब्बा निर्माताओं में बांट दिया गया है । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि पिछले आर्डरों में से फर्मों से कितने माल डिब्बे मिलने को बाकी थे और उनका पिछला काम कैसा रहा । आर्डरों का वितरण इस तरह किया गया है ताकि विभिन्न निर्माताओं को यथोचित आर्डर मिल सके । ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जिन निर्माताओं ने अधिक दर मांगी थी, उनको दी जाने वाली कीमतों में इस तरह समंजन किया जाये कि माल डिब्बों की खरीद पर होने वाला कुछ खर्च निम्नतम स्तर पर रहे ।

जिन फर्मों ने कम दर मांगी थी और/या जिन्होंने माल डिब्बों के निर्यात के आर्डर प्राप्त किये थे, उन्हें अतिरिक्त आर्डर के रूप में थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया गया । एक फर्म ने शिकायत की है कि उसके साथ भेदभाव बरता गया लेकिन पता चला है कि इस शिकायत का कोई आधार नहीं है ।

(ग) माल डिब्बों की मांग में कमी देश की आर्थिक गतिविधियों में अप्रत्याशित मंदी के कारण हुई है ।

छोटी कार का निर्माण

* 195. श्री के० लक्ष्मण :

श्री एम० वी० राजशेखरन

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने छोटी कार का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०-176/67]

Control on Production of Textiles

*196. Shri D. S. Patil :

Shri Dhuleshwar Meena :

Shri T. R. Patil :

Shri Khagapathi Pradhani :

Shri Ramchandra Ulaka :

Shri Heerji Bhai :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to remove control on the production of textiles ;

(b) whether the Textiles Advisory Committee has asked for the removal of the control;

and

(c) if so, the decision taken in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi):

(a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

बौक्साइट खानों के लिये मशीनरी तथा उपकरणों का आयात

* 197. श्री प्र० के० देव :

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री गु० च० नायक :

श्री अ० दीपा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बौक्साइट खानों के विकास के लिए निर्यात-आयात बैंक ने इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी को अमरीका से मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिये 20 लाख डालर का ऋण दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण के अन्तर्गत देश में किन-किन बौक्साइट खानों का विकास किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) मार्च 1965 में इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि०, कलकत्ता को अमरीकी एगजिम बैंक के साथ बातचीत करने की आज्ञा दी गई थी

ताकि वह मैसूर प्रान्त के बेलगांव नगर में नई एल्यूमिनियम परियोजना के सम्बन्ध में प्लांट का भाग तथा मशीनरी के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देने में कुछ सहायता प्राप्त कर सकें जिसमें प्रस्तावित एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिये बौक्साइट (स्फोदिज) की खानों का विकास शामिल है। २१-२-६७ को एगजिम बैंक ने भारतीय कम्पनी को २ मिलियन अमरीकी डालर ऋण देने की घोषणा की।

(ख) ऋण के बिषय में विस्तृत अनुबन्धों तथा शर्तों पर बात-चीत चल रही है।

(ग) बेलगांव का एल्यूमिनियम प्रद्रावक महाराष्ट्र के दक्षिणी कोल्हापुर खण्ड के स्फोदिज निक्षेपों तथा बेलगांव और मैसूर के अन्तरीय कन्नड़ मिलों के निक्षेपों पर आधारित है।

पांचवें इस्पात कारखाने का स्थापना स्थान

*198. श्री सेक्षियान :	श्री धुलेश्वर मीना :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री सुपकार :
श्री रामचन्द्र उलाका :	श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकारी क्षेत्र में पांचवें इस्पात कारखाने के स्थापना स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता क्या होगी तथा इस पर कितना धन व्यय करने का निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गॉल्फ के सामान का आयात

251. डा० कर्णो सिंहजी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गॉल्फ के सामान की अत्याधिक कमी तथा खेल के सामान, जैसे हाकियों और फुटबालों के निर्यात द्वारा प्राप्त की जा रही विदेशी मुद्रा को भी दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस प्रकार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का कुछ भाग गॉल्फ के सामान के आयात के लिए नियत करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). पंजीकृत निर्यातकों के लिये वर्तमान नीति के अनुसार, केवल पुनर्भरण के लिये, अर्थात् निर्यात के उत्पादों के उत्पादन या निर्माण के लिये आवश्यक माल के आयात करने की ही अनुमति दी जाती है।

वर्तमान आयात नीति की शर्तों के अनुसार, गॉल्फ की गेंदों के आयात के लिये मान्यता प्राप्त क्लबों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाता है।

खुर्द रोड से बालंगीर तक रेलवे लाइन

252. श्री अ० दीपा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरास्ता दासपल्ला, पुरुनाकटक, बाघियापारा तथा तरभा, खुर्द रोड से बालंगीर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए पहले सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दोबारा सर्वेक्षण करने के लिए विचार कर रही है; और

(ग) सरकार का विचार इस काम को अगली पंचवर्षीय योजना में कब आरम्भ करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) खुर्द रोड और बालंगीर के बीच एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण 1946-47 में किये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Extension of Supaul-Pratap Ganj Railway Line

253. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it was decided sometime ago that the railway line upto Supaul would be extended to Pratap Ganj via Thurbhita Bhaptiahi-Raghopur in Bihar and that it was inaugurated on the 23rd October, 1966 by the former Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh at Supaul (Bihar);

(b) whether it is also a fact that an assurance was given to provide employment to drought-stricken local people on the construction of this line;

(c) if so, the number of local people provided with employment so far; and

(d) when this railway line is likely to be completed, and the route it will pass through between Thurbhita and Bhaptiahi?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A decision was taken to restore only a portion of the abandoned Supaul-Bhaptiahi line between Supaul and Thurbhita (12.78 KMs). This work was inaugurated by the former Minister of State for Railways on 23-10-1966, and is now in progress.

(b) No such assurance was given.

(c) Although no assurance was given, about 500 local people as were found suitable have been employed on this work.

(d) The restoration of Supaul-Thurbhita portion is expected to be completed by May, 1967. The portion between Thurbhita and Bhaptiahi is not proposed to be restored for the present.

हथकरघा से बने कपड़े की बिक्री

254. श्री. वाई० जी० गौड़ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा देश के बाहर हथकरघे से बने कपड़े की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता के आधार पर अथवा सरकार द्वारा कोई समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966 में उसने कुल कितने मूल्य का कपड़ा बेचा;

(ग) बिक्री के लिए किन-किन स्रोतों से कपड़ा प्राप्त किया गया;

(घ) सहकारी समितियों, व्यापारियों तथा प्रधान बुनकरों से कितना प्रतिशत कपड़ा प्राप्त किया गया;

(ङ) यदि अपेक्षित कपड़ा सहकारी समितियों से भी खरीदा जाता है; तो सबसे अधिक कपड़े की सप्लाई किस समिति ने की और उसका मूल्य कितना था; और

(च) बिक्री के लिए अथवा अन्य देशों को निर्यात करने के लिए अपेक्षित कपड़े की खरीद के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। इस प्रकार की एक सहकारी समिति है जो 'दि आल इण्डिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बम्बई' कहलाती है।

(ख) सहकारी वर्ष 1965-66 में 2,31,16,713 रुपये की बिक्री हुई।

(ग) हिस्सेदारों से, जिनमें राज्यों की शिखर बुनकर समितियां; प्राथमिक बुनकर समितियां; राज्य सरकारों के राज्य व्यापार संगठन; हथकरघा उद्योग का काम करने वाले व्यक्ति तथा फर्म शामिल हैं।

(घ) सहकारी समितियों से प्राप्त कपड़ा — 45 प्रतिशत
अन्य साधनों से प्राप्त कपड़ा — 55 प्रतिशत

(ङ) चेन्नीमलाई हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सेल्स एण्ड प्रोडक्शन सोसाइटी लिमिटेड, चेन्नीमलाई ने।

मूल्य — 4,37,967 रुपये।

(च) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-177/67]

मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, देहली

255. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री, 29 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606-क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के लेनदारों के संबंध में जो

मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के विचाराधीन था, क्या इस पर उस न्यायालय ने इस बीच कोई निर्णय दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) नहीं श्रीमान्, अभियोग की सुनवाई के लिये 4-4-1967 तैनात है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bridge over Ganges at Patna

256. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar Government have requested the inclusion of the construction of a bridge over the Ganges at Patna in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No request has recently been received for a Railway Bridge at Patna, across the River Ganga.

(b) Does not arise.

नांगल से ऊना तक बड़ी लाइन

257. श्री हेमराज : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ी रेलवे लाइन नहीं है;

(ख) क्या नांगल से ऊना तक बड़ी रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव था;

(ग) क्या यह भी सच है कि पौंग में नांगल हैडवर्क्स को व्यास बांध हैडवर्क्स से मिलाने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन कालका स्टेशन और इस स्टेशन तक जाने वाली बड़ी लाइन का लगभग तीन मील लम्बा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). नांगल और ऊना के बीच के भाग की जांच-पड़ताल के सिवाय, जो कि इस रेल सम्पर्क का एक भाग है, कोई अन्य जांच-पड़ताल नहीं की गयी। नांगल-ऊना रेल सम्पर्क (19 कि० मी०) का यातायात सर्वेक्षण 1956-57 में किया गया था। जिससे पता चला कि इस परियोजना का वित्तीय औचित्य नहीं है। वित्तीय उपलब्धियों का अनुमान लगाने के लिए 1963 में नांगल-ऊना-तलवाड़ा (पौंग बांध के समीप) रेल सम्पर्क (90 कि० मी०) का यातायात

की दृष्टि से भी मूल्यांकन किया गया था, जिससे ज्ञात हुआ कि अर्द्ध-पहाड़ी भू-प्रदेश इस लाइन के निर्माण पर 9.5 करोड़ रुपये लागत आयेगी और यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद रहेगी।

कांगड़ा में सीमेंट कारखाना

258. श्री हेमराज : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम ने कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए उस जिले में चूने के पत्थर के निक्षेपों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण से क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फख्खीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास राज्य में सोने की जाली (गोल्ड लेस) बनाने का कारखाना

259. श्री सेक्षियान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य में कुंभकोणम के निकट सोने की जाली (गोल्ड लेस) बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुंभकोणम स्टेशन के निकट उपरि पुल

260. श्री सेक्षियान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुंभकोणम निद-मंगलम सेक्सन (दक्षिण रेलवे) पर कुंभकोणम रेलवे स्टेशन के निकट एक उपरि पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय दक्षिण रेलवे के मायूरम-तंजाऊर खण्ड पर कुंभकोणम स्टेशन के समीप कि० मी० 315/9-10 पर बने वर्तमान समपार की जगह ऊपरी सड़क पुल के निर्माण से है।

वर्तमान नीति के अनुसार रेलें व्यस्त सम्पारों की जगह ऊपरी/निचले सड़क पुलों की योजनाएं तभी हाथ में लेती हैं जब ऐसी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित की गयी हों और उनके सम्बन्ध में अग्रता का उल्लेख किया गया हो। कुंभकोणम में ऊपरी सड़क पुल बनाने से संबन्धित प्रस्ताव मद्रास सरकार द्वारा तीसरी योजना अवधि में अस्थाई रूप से रखा गया था, लेकिन बाद में धन की कमी के कारण राज्य सरकार ने इसे छोड़ दिया था।

अभी तक राज्य सरकार ने चौथी योजना की अवधि में ऊपरी/निचले सड़क पुलों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों के बारे में रेलवे को सूचित नहीं किया है।

तूतीकोरिन तथा सेलम के बीच बड़ी लाइन

261. श्री सेन्नियान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन और सेलम के बीच बरास्ता मदुरे, डिंडीगुल तथा करूर एक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने धन की व्यवस्था की गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितना कार्य पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) . दिण्डुक्कल के रास्ते करूर से मदुरे तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने और मदुरै-तुत्तुकुडि मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है। इस बड़ी लाइन का प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण भी आगामी वर्ष में करने का विचार है। सर्वेक्षण हो जाने और उनके परिणाम मिलने के बाद इसके निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

Work to Rule Movement by S. Ms. and A. S. Ms.

262. **Shri Atal Behari Vajpayee** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that action has been taken against a number of Station Masters and Assistant Station Masters because of their taking part in the 'Work to Rule' movement ;

(b) if so, details of the action taken against these employees Railway-wise ; and

(c) whether it is a fact that in all cases, refusal to work against rule on the part of employees, was the basis on which action has been taken ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No action was taken for 'Working to Rule' ; however, action has been taken against certain staff for obstructive working and adopting dilatory tactics.

(b) and (c). Do not arise in view of reply to part (a) above.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल की पटरी को उड़ा देने की घटना

263. श्री यशपाल सिंह :

श्री हेम बरुआ :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 फरवरी, 1967 को खरिकटिया और मरियानी स्टेशनों के बीच प्लास्टिक बमों द्वारा रेल की पटरी उड़ा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुई; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि बम किस प्रकार का था।

(ख) कोई हताहत नहीं हुआ। रेल सम्पत्ति को 2,425 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) मरियानी की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 (दुर्भावना से गाड़ी गिराना या गाड़ी गिराने का प्रयास) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और अभी इसकी जांच हो रही है इस तरह की घटनाओं से गाड़ियों की संरक्षा के लिये नीचे लिखे निरोधात्मक उपाय किये गये हैं :

(एक) इस खण्ड के इंजीनियरिंग गैंगमैनों की गश्त के अलावा, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षा सैनिकों का भी रेल की पटरी आदि की अच्छी तरह गश्त लगाने का अपना प्रबन्ध है।

(दो) हथियार बन्द अनुरक्षकों के साथ सर्च लाइट गश्ती दल सवारी गाड़ियों के आगे-आगे चलते हैं।

(तीन) राज्य सरकार रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा यात्रियों की संयुक्त रूप से जांच की जाती है।

(चार) शाम से सुबह तक इस खण्ड में सवारी गाड़ियों का चलना सीमित किया जा चुका है।

Motihari Railway Station

264. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the road near the West Cabin of Motihari Railway Station on the North-Eastern Railway has been closed ;

(b) whether it is also a fact that by keeping only the East-Cabin road open, the passengers have to face great difficulty due to a large number of trains running to and fro, this road also has to remain closed ; and

(c) if so, the steps Government propose to take to remove the difficulties caused to the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Level crossing No. 161 at the west of Motihari Railway Station had to be closed due to expansion of railway yard to meet Defence requirements. The traffic passing through it had to be diverted through adjacent level crossing numbers 160 and 162. These level crossings pass about 18 trains a day, 8 during daylight hours and remain closed for a total period of one and a half hours during the daylight hours. However, for the pedestrians, provision of a foot over-bridge at the site of the old level crossing No. 161 is under consideration.

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग

265. श्री च० चु० देसाई :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे नगरों में तथा विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के प्रयासों पर जोर देने का विचार है और क्या इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण यह रहेगा कि छोटे नगरों तथा विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया जाए जो दुर्लभ कच्चे माल पर निर्भर नहीं हैं । फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए धन की अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) . चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से स्वीकृत हो जाने पर ही इस प्रस्ताव का ब्योरा तैयार किया जाएगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में शस्त्रास्त्र का निर्माण

266. डा० कर्णी सिंहजी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक निशानेबाजी अभियान के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शस्त्रास्त्र का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) सरकार को गैर-सरकारी उद्योगपतियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में यह उद्योग शुरू करने के लिये विदेशी सहयोग के क्या प्रस्ताव हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार शस्त्रों और गोला-बारूद के निर्माण पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है किन्तु फिलहाल प्राइवेट फर्मों द्वारा हवाई राइफलों/हवाई बन्दूकों का निर्माण करना शस्त्र और गोला-बारूद बनाने पर लगे प्रतिबन्धों के क्षेत्र से निकाल दिया गया है। इस प्रकार की हवाई राइफलों/हवाई बन्दूकों के निर्माण के लिए, जिनके लिए शस्त्र अधिनियम और नियमों के अधीन अपने पास रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, गैर सरकारी क्षेत्र में बनाने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) गुजरात की एक फर्म को शस्त्र अधिनियम और नियमों के अधीन ऐसी राइफलों और हवाई बन्दूकें बनाने के लिए एक लाइसेंस मंजूर कर दिया गया है जिनको अपने पास रखने के लिए उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के अधीन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अनुबन्ध 1 में संलग्न सूची के अनुसार सात आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-178/67]

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित गुजरात की फर्म के पास से हवाई राइफलों बनाने के लिये विदेशी फर्म के साथ सहयोग करने के बारे में जो योजना प्राप्त हुई थी उसके लिए 1965 के अन्त में स्वीकृति भी दे दी गई थी।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर

267. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को अभी तक अपने नियंत्रण में नहीं लिया है यद्यपि इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति ने एकमत से इस आशय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) . जांच समिति का प्रतिवेदन अभी तक सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

कारों के मूल्य

268. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) भारत में कारों के मूल्य घटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;
- (ख) क्या कारें अपनी लागत मूल्य से बहुत अधिक दामों पर बेची जा रही हैं; और
- (ग) यदि हां, तो इस दिशा में कोई कारगर कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) . देश में निर्मित मोटरकारों के विक्रय मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से उत्पादन कम होने, आयात किये गये और देशी पुर्जों और कच्चे माल की लागत अधिक होने तथा करों का भार अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक मोटर कारों का विक्रय मूल्य कम करने की बहुत कम सम्भावना है। इसके विपरीत हाल के कुछ वर्षों में विशेषकर अवमूल्यन के बाद बताये गये कारणों से मूल्य बढ़ाने पड़े थे।

विक्रेता ग्राहकों से सरकार द्वारा स्वीकृत केवल कारखाने से चलते समय के खुदरा विक्रय मूल्य ही वसूल करते हैं। फिर भी इसमें वे निम्नलिखित कारणों से वास्तविक लागत जोड़ देते हैं :

1. सरकार द्वारा लगाया गया उत्पादन शुल्क तथा उस पर लगाने वाला अतिरिक्त शुल्क।
2. केन्द्रीय विक्री कर।
3. राज्य विक्री कर।
4. लाने-लेजाने का खर्च।
5. रजिस्ट्रेशन और सड़क कर।
6. बीमा।

इन कारणों से ग्राहक से अंततोगत्वा वसूल किया जाने वाला मूल्य कारखाने से चलते समय के विक्रय मूल्य से अधिक हो जाता है।

विदेश व्यापार

269. श्री आरंगिल श्रीधरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत के समूचे विदेश व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा यार्ड में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

270. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा यार्ड में दो रेलगाड़ियों के बीच 3 सितम्बर, 1966 को हुई टक्कर के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसमें कितना समय और लगेगा ?

रेलवेमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस दुर्घटना के सम्बन्ध में चार रेल कर्मचारियों को निम्नलिखित दण्ड दिया गया है :

कर्मचारी	दण्ड
(i) संचलन निरीक्षक	250-380 रुपये के ग्रेड से 150-240 रुपये के ग्रेड में प्रधान ट्रेन-क्लर्क के निम्नतर पद पर दो वर्ष के लिये परावर्तित किया गया। इस दण्ड का उसके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा।
(ii) डिप्टी यार्ड मास्टर	205-280 रुपये के ग्रेड से 150-240 रुपये के ग्रेड में प्रधान ट्रेन-क्लर्क के निम्नतर पद पर दो वर्ष के लिये परावर्तित किया गया। इस दण्ड का उसके भविष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(iii) कांटेवाला	80-110 रुपये के 'ए' ग्रेड से 75-95 रुपये के 'बी' ग्रेड में उसी कोटि में दो वर्ष के लिये परावर्तित किया गया। इस दण्ड का उसके भविष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(iv) 505 डाउन मालगाड़ी का चालक	एक वर्ष के लिये वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी। इस दण्ड का उसके भविष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

विदर्भ में कपड़ा उद्योग

271. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर में रुई के लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध से विदर्भ में कपड़ा उद्योग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो मिलों को चालू रखने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). रुई के लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध से विदर्भ में वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में रुई खरीद कर मिलों तक ले जाने के लिये सूती वस्त्र मिलों को अनुज्ञापत्र देने की व्यवस्था है तथा मिलों को अपनी रुई की आवश्यकताएं उपयुक्त उच्चतम सीमा मूल्यों पर प्राप्त करने में सहायता देने के लिये, जहां भी सम्भव हो, अधिग्रहण की भी व्यवस्था है।

कानपुर में पटसन मिलों का बन्द होना

272. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वाणिज्य मंत्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में दूसरी पटसन मिल के बन्द होने के बारे में की जा रही वार्ता का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) सरकार ने इस मिल के लिये कितनी सहायता की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) वार्ता के परिणामस्वरूप मिल को दोबारा खोलने के लिये कोई सम्मत हल नहीं निकला।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे दुर्घटनाएं

273. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में हुई रेलवे दुर्घटनाओं में से कितनी दुर्घटनाओं के बारे में यह सन्देह था कि वे तोड़-फोड़ के कारण हुई हैं ; और

(ख) तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 32 ;

(ख) इस तरह की घटनाओं की जांच करने और तोड़-फोड़ करने वालों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से इन मामलों की रिपोर्ट राज्य सरकार पुलिस को की जाती है।

Ghaziabad-Delhi Shuttle

274. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundreds of passengers including regular Pass Holders come to Delhi in the morning every day by train from Hapur;

(b) whether it is also a fact that these passengers have to face a lot of difficulties for want of accommodation in the morning trains;

(c) whether a suggestion for running Ghaziabad-Delhi Shuttle from Hapur was made recently in this connection; and

(d) if so, the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Only about one hundred passengers (including Pass Holders) travel daily from Hapur to Delhi in the morning.

(b) No, as spare accommodation is available in 1 MD passenger which will be scheduled to arrive Delhi at 9.50 hours from 1-4-1967.

(c) and (d). Yes. Extension of 1/2 GND Ghaziabad-New Delhi passengers to and from Hapur has, however, not been found operationally feasible for want of terminal facilities there.

कोककर (कोकिंग) कोयले का उत्पादन

275. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री खगपति प्रधानी :

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री हीरजी भाई :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कार्यक्रम में पर्याप्त कटौती किये जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में कोककर कोयले के उत्पादन की मात्रा इसकी मांग से अधिक हो जाने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) . चौथी पंचवर्षीय योजना में कोकिंग कोयले का विकास कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जा रहा है कि वह इसकी मांग के अनुरूप हो।

दक्षिण-मध्य रेलवे खण्ड की स्थापना पर व्यय

276. श्री स० चं० सामन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

नये दक्षिण-मध्य रेलवे खण्ड को बनाने तथा उसके कार्य को चलाने के लिये बजट की गई धन की व्यवस्था से और कितनी अधिक धनराशि की आवश्यकता हुई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : पहले, मध्य और दक्षिण रेलों के मूल बजट से निधि का पुनर्विनियोजन करके चालू वर्ष में दक्षिण-मध्य रेलवे के परिचालन व्यय के लिए 35.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। बाद में मुख्यतः बजटोत्तर कारणों जैसे महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, केन्द्रीय बिक्री-कर की दरें बढ़ जाना, ईंधन और अन्य सामानों आदि की कीमतें बढ़ जाना, जिनका प्रभाव सभी रेलों पर पड़ा, के फलस्वरूप लगभग 6 करोड़ की वृद्धि करके यह रकम बढ़ा कर 41.75 करोड़ करनी पड़ी।

दक्षिण-मध्य रेलवे की स्थापना से सम्बन्धित कामों के खर्च के लिए, मुख्यालय की इमारत तथा मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों के लिए 114 लाख रुपये के मूल बजट की अपेक्षा 68 लाख रुपये की और व्यवस्था की गयी है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में फालतू इंजीनियर

277. श्री प्र० कु० घोष :

श्री स० चं० सामन्त :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 948 और 949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुमानतः इस समय हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में फालतू सिविल इंजीनियर कितने हैं और सरकार ने उन्हें उसी परियोजना में अथवा अन्य परियोजनाओं में लगाने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री, (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 1 अप्रैल, 1967 को 51 व्यक्ति जैसा कि नीचे दिखाया गया है फालतू हो जायेंगे :

1. जोनल इंजीनियर/एक्जीक्यूटिव इंजीनियर—4
2. असिस्टेंट इंजीनियर—13
3. इंजीनियर असिस्टेंट/ओवरसियर—34

एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों/जोनल इंजीनियरों को कम्पनी तथा अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में किन्हीं अन्य पदों पर लगाये जाने के लिए यथासंभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। चूंकि असिस्टेंट इंजीनियरों को अन्य कहीं नौकरी मिल सकती है तथा पहले से ही काफी लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए संभावना यह है कि इस वर्ग के फालतू लोगों को अन्य कहीं नौकरी मिल जायेगी तथा उन्हें काम दिलाने की कोई समस्या नहीं रह जायेगी।

जहां तक इंजीनियर असिस्टेंट/ओवरसियरों का सम्बन्ध है उन्हें पुनरभिविन्यास (रिओरियेंटेशन) प्रशिक्षण देना संभव हो गया है तथा उन्हें उत्पादन से सम्बन्धित किन्हीं भी अन्य स्थानों पर लगा दिया जायेगा। अतः छंटनी होने की संभावना नहीं है।

वातानुकूलित गाड़ियां

278. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ और वातानुकूलित गाड़ियां चलाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा ये गाड़ियां किन-किन मार्गों पर चलेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) . 1-4-67 से मद्रास-हवड़ा, हवड़ा-बम्बई (नागपुर होकर) और बम्बई-मद्रास मार्गों पर एक वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जायेगी, जो हफ्ते में एक बार चलेगी । इसके अलावा, नयी दिल्ली-हावड़ा और नयी दिल्ली-बम्बई मार्गों पर हफ्ते में दो बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों का आना-जाना बढ़ाकर उन्हें 11/13-2-67 से हफ्ते में तीन बार चलाया जा रहा है । इसी प्रकार, नयी दिल्ली और अमृतसर के बीच हफ्ते में एक बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों का आना-जाना बढ़ाकर उन्हें भी 12-2-67 से हफ्ते में दो बार चलाया जा रहा है । 1-4-67 से लागू होने वाली समय-सारणी में इन गाड़ियों को हफ्ते में तीन बार चलाया जायेगा ।

टिसुआ रेलवे स्टेशन पर छापा

279. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मार्च, 1967 को बरेली के निकट टिसुआ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर लगभग 15 डकैतों के एक गिरोह ने छापा मारा था और उन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर को पकड़ लिया था और वे स्टेशन का रुपया-पैसा लेकर भाग गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे स्टेशन पर सिविल पुलिस का एक सिपाही ड्यूटी पर था । उसने डाकुओं को ललकारा, जिस पर उन्होंने गोली चला दी । गोली लगने से सिपाही घायल हो गया । बरेली की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और वह इसकी जांच कर रही है । अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी की गई है और न चोरी गया कोई सामान बरामद ही हुआ है ।

यात्रियों द्वारा रेल की पटरी पर धरना

280. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मीकान्तपुर सियालदाह लोकल (पूर्वी रेलवे) ट्रेन के कुछ यात्रियों ने 10 मार्च, 1967 को पटरी पर धरना देकर प्रदर्शन किया जिससे बालीगंज से सभी

गाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया और उन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर भी आक्रमण किया और ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला किया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) रास्ते में इंजीनियरिंग सम्बन्धी पाबंदी के कारण एस० जे० 45 अप (बजबज-सियालदह) स्थानीय गाड़ी बालीगंज स्टेशन पर चार मिनट देर से पहुंची । इस पर एस० एल० 233 अप (लक्ष्मीकान्तपुर-सियालदह स्थानीय गाड़ी) के यात्रियों ने सोचा कि एस० जे० 45 अप को आगे जाने देने के लिये उनकी गाड़ी को रोक रखा जायेगा । इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया । लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप करने और रेल कर्मचारियों के समझाने बुझाने पर स्थिति पर काबू पा लिया गया ।

सरकारी रेलवे पुलिस, सियालदह ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/332 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और इसकी अभी जांच हो रही है । अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

384 डाउन फरक्का सवारी गाड़ी में डकैती

281. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1967 को पूर्व रेलवे के बंश बरिया और बन्देल स्टेशनों के बीच 384 डाउन फरक्का सवारी गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में डकैती हुई थी और डकैत आभूषण तथा कुछ मूल्यवान वस्त्र उठा ले गये और उन्होंने यात्रियों को भी मारा पीटा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 6-3-1967 को नं० 334 डाउन गाड़ी में हुई । एक रेल कर्मचारी और उसका सम्बन्धी इस घटना का शिकार हुए ।

(ख) कटवा की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अधीन एक मामला दर्ज किया है । इस सम्बन्ध में अब तक एक संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है । पुलिस आगे जांच कर रही है ।

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

282. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चौथी योजना अवधि में नई रेलवे लाइनें बनाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुताचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सकाल ही नहीं उठता।

मधुसूदन गोरधनदास एण्ड यूनिवर्सल एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट एजेंसी

283. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइलोन के रेशे के धागे के अवैध आयात के मामले में मधुसूदन गोरधनदास एण्ड यूनिवर्सल एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट एजेंसी नामक फर्म के विरुद्ध की जा रही कानूनी कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या (बम्बई टैक्सटाइल मिल्स को दिये गये) आयात लाइसेंसों में अवैध रूप से संशोधन करने तथा आयातित माल का हस्तांतरी द्वारा स्वयं प्रयोग किये जाने की शर्त पूरी किये बिना धनराज मिल्स को अपना माल बेचने देने के उत्तरदायी टैक्सटाइल कमिश्नर तथा संयुक्त मुख्य निर्यात तथा आयात नियंत्रक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-179/67]

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

284. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का पुनर्गठन पिछली बार कब किया गया था;

(ख) इसका पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था; और

(ग) क्या इसमें मद्रास राज्य के हथकरघा वस्तुओं के गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं अथवा निर्यातकों को कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क). 18 जनवरी, 1963 को।

(ख) बोर्ड का पुनर्गठन करने में निम्न बातों का ध्यान रखा गया था :

(1) दो लाख से अधिक पंजीकृत हथकरघों वाले राज्यों में (आसाम को छोड़कर) प्रत्येक के दो प्रतिनिधि;

(2) एक लाख तथा दो लाख के बीच पंजीकृत हथकरघों वाले राज्यों में प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

- (3) बाकी के राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों से भारत सरकार द्वारा नामित तीन प्रतिनिधि;
- (4) निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिये एक प्रतिनिधि;
- (1) मिल उद्योग,
 - (2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया,
 - (3) सहकारी वित्त-अभिकरण,
 - (4) ऊनी हथकरघा उद्योग,
 - (5) रेशम उद्योग,
 - (6) निर्यातकर्क; तथा
 - (7) प्रौद्योगिकी अथवा अर्थशास्त्र में विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति ।
- (5) अध्यक्ष, अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, बम्बई ।
- (6) कार्यकारी निदेशक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली ;
- (7) संयुक्त सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली ;
- (8) अवैतनिक सलाहकार (हथकरघा), भारत सरकार; तथा
- (9) सहायक वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय, बम्बई ।
- (ग) जी हाँ, मद्रास राज्य का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित व्यक्ति करते हैं :
- (1) निदेशक, हथकरघा, मद्रास;
 - (2) अध्यक्ष, तामिलनाड (मद्रास राज्य) हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि० मद्रास; और
 - (3) एम० एस० ए० मजीद, 34 फर्स्ट मेन रोड, गांधी नगर, मद्रास—20 ।

वृन्दावन एक्सप्रेस रेलगाड़ी

285. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि वृन्दावन एक्सप्रेस रेलगाड़ी को मद्रास-बंगलौर सेक्शन के अरकोणम जंक्शन पर रोकने की व्यवस्था की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) जी हां ।

(ख) लेकिन 39/40 बृन्दावन एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। ये गाड़ियां मुख्य रूप से मद्रास और बंगलूर के बीच वास्तव में तेज गाड़ियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चलाई गयी हैं।

मद्रास-अरकोनम सैंक्शन का विद्युतीकरण

286. श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या रेलवे मंत्री 4 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास सेन्ट्रल और अरकोनम स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : उपनगरीय गाड़ियां चलाने के लिए पहले मद्रास से तिरुवल्लूर तक विद्युतीकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। अरकोणम तक इसके विस्तार के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा। इस खण्ड के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया जा रहा है कि यहां उपनगरीय बिजली गाड़ियां चलाना उचित होगा या उपनगरीय डीजल गाड़ियां चलाना। विद्युतीकरण का निर्णय इस अध्ययन पर, और रकम तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर भी, निर्भर करेगा।

आयात लाइसेंस

287. श्री मुद्दी सुदर्शनम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के बाद कच्चे माल के आयात के लिए कुल कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) महत्वपूर्ण मर्दों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कच्चे माल के आयात सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। 6-6-1966 से 31-1-1967 तक कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा संघटकों के लिये दिये गये वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंसों का कुल मूल्य लगभग 9.25 करोड़ रु० था।

(ख) जिस कच्चे माल के लिए लाइसेंस दिये गये हैं, उसकी अधिक महत्वपूर्ण मर्दों में से कुछ ये हैं :—

- (1) अलौह धातुएं।
- (2) खोपरा।
- (3) अपरिष्कृत रबड़ जिसमें संश्लेषित रबड़ भी शामिल है।
- (4) कागज, लुग्दी तथा अखबारी कागज।
- (5) वस्त्र रेशे।

- (6) पशुओं से उत्पादित और वनस्पति तेल तथा वसाएं ।
 (7) रोगन तथा वार्निशों आदि के लिए रंजक ।
 (8) सगंध तेल ।

दिल्ली में पटेल नगर में रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

288. श्री बलराज मधोक : क्या रेलवे मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ रोड की बस्तियों को शेष सारी दिल्ली से मिलाने वाली पटेल नगर की लेवल क्रॉसिंग के ऊपर एक ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है तो क्या ; और

(ख) उपरोक्त स्थान पर ऊपरी पुल पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अधिकांश तकनीकी व्योरा तय किया जा चुका है और रेलवे ने योजना का जो सामान्य कार्य-क्रम तैयार किया है, वह अनुमोदन के लिए नगरपालिका अधिकारियों को भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ व्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है, जिनमें प्रस्तावित सुरंग-मार्ग का स्थान भी शामिल है। नगरपालिका को भी अभी रेलवे के पास 10.5 लाख रुपये जमा करने हैं, जो इस काम में उसके हिस्से की लागत है।

ज्योंही बाकी व्योरे और नक्शे अन्तिम रूप से तैयार हो जायेंगे और रकम जमा कर दी जायेगी, रेलवे निर्माण कार्य शुरू कर देगी।

(ख) काम के वस्तुतः आरम्भ होने पर, खास पुल बनाने के काम के अपने हिस्से को पूरा करने में रेलवे को लगभग दो वर्ष लगेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सोपट कोक का इस्तेमाल लोकप्रिय बनाना

289. श्री स० चं० सामन्त :

डा० प० मंडल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सोपट कोक का इस्तेमाल लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी डा० लहरी के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने घरेलू कोक को लोक प्रिय बनाने तथा गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने के कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने तथा मार्ग दर्शन करने के लिए कोई समिति अथवा बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) केन्द्रीय ईन्धन अनुसंधान संस्था ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों में सोफ्ट कोक को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रांतों का पाइलट सर्वेक्षण तथा संपरीक्षा करने के लिए डा० लहरी की ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट को सम्बद्ध मंत्रालयों में, जिसमें कार्यकारी विभाग अर्थात् सामुदायिक विकास विभाग, राज्य संस्कारों और दूसरे शामिल हैं, परिचालित किया है। सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की टीका-टिप्पणी प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयला खानों को देय राजसहायता

290. डा० प० मण्डल :

श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 और जनवरी, 1967 के अन्त में कोयला खानों को दी जाने वाली राजसहायता के बिलों सम्बन्धी कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया ;

(ख) कोयला खानों के बिलों के निपटान की क्या प्रक्रिया है और खनन की कठिन परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा रेत हटाने के लिए राज सहायता सम्बन्धी बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि ऋण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन बिलों को ऐसे बिलों में बदल दिया जाये जिनमें छूट मिल सकती हो ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) साहायों की देय रकमें 31-12-66 तथा 31-1-67 को निम्न प्रकार थीं :

	31-12-66	31-1-67
रेत भरण के लिए सहायता के बारे में अध्यर्थनाएं	166 लाख रुपये	181 लाख रुपये
खनन की कठिन परिस्थितियों के लिए सहायता के बारे में अध्यर्थनाएं	55 लाख रुपये	72 लाख रुपये
कुल ...	221 लाख रुपये	253 लाख रुपये

(ख) सूचना का विवरण साथ दिया हुआ है ।

(ग) नहीं, महोदय ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-180/67]

कोककर (कोकिंग) कोयले का उत्पादन तथा आवंटन

291. श्री स० च० सामन्त :

डा० प० मंडल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कोककर कोयले के वर्ष-वार उत्पादन लक्ष्य क्या हैं तथा वर्ष 1965-66 में वास्तविक उत्पादन की तुलना में क्षेत्रवार कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने कोककर कोयले के मुख्य प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है और क्या कोयले की खानों तथा खपत वाले कारखानों के बीच सम्पर्क बना दिया गया है ; और

(ग) तुरन्त आवश्यकताओं से जो कोयला फालतू है सरकार का विचार उसका किस प्रकार प्रयोग करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). चौथी योजना के समय में धातु-कार्मिक उद्योगों के लिये न्यंगार-भावी कोकिंग कोयले की आवश्यकताओं का साल-वार निर्धारण किया गया है और आशा है कि वे निम्न प्रकार की होंगी ।

	(मिलियन टन में)
1966-67	13.10
1967-68	19.56
1968-69	20.83
1969-70	22.22
1970-71	26.24

उत्पादन कार्यक्रम उपरोक्त मांग के समनुरूप बनाया जायगा ।

कोयले की खानों, उपभोक्ता इकाइयों तथा क्षेत्रीय आवंटन के ग्रंथन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । 1965-66 में वास्तविक उत्पादन 16.96 मिलियन टन था (निजी) क्षेत्र 14.18 मिलियन टन, सरकारी क्षेत्र 2.78 मिलियन टन ।

(ग) सरकार ने अधातु कार्मिक परियोजनाओं के लिए न्यंगार-भावी (कोकिंग) कोयले के अस्थायी अतिरेक, को जो कि मुख्य रूप से निम्न श्रेणी का है, मुक्त कर दिया है ।

पालघाट के निकट परलि रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

292. श्री ई० के० नयानर : क्या रेलवे मंत्री 12 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा प्रदान करेंगे कि :

(क) पालघाट जिले के परलि रेलवे स्टेशन पर रेल एवं सड़क फाटक के ऊपर एक ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) और (ख). निर्माण कार्य के नक्शे और अनुमान अन्तिम रूप से तैयार कर लिए गये हैं। नियमों के अनुसार सड़क के पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार को और पुल का निर्माण रेलवे को करना है। ये दोनों काम साथ-साथ किये जायेंगे ताकि अनावश्यक रूप से पूंजी फंसी न रहे। जब राज्य सरकार सड़क के पहुंच मार्गों का काम शुरू करने की स्थिति में होगी तो पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा।

केरल में कालीकट तथा कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों पर पानी की कमी

293. श्री अ० क० गोपालन :

श्री उमानाथ :

श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में रेलवे क्वार्टरों के निवासियों को रेलवे अहाते में स्थित कुओं के सूख जाने के कारण काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि केरल में वेस्ट हिल स्टेशन तथा बडागरा स्टेशन में स्थित पानी के टैंक सूख गये हैं जिसके परिणामस्वरूप रेलवे इंजनों के लिए पानी की सप्लाई करने में कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पानी की इस अत्याधिक कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) और (ख). वेस्ट हिल और बडागरा स्टेशनों पर पानी के स्रोत सूखे नहीं हैं और इंजन के लिए पानी की जरूरत को भी मिलाकर वहां इस समय पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

(ग) नियमित स्रोतों के सूख जाने पर पानी की सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्ध रखा गया है।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

294. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां । कटक और उड़ीसा की विद्यमान दो औद्योगिक बस्तियों तथा प्रत्येक राज्य में क्रमशः 12 और 13 कारखानों का और आगे विस्तार करने के अलावा उड़ीसा राज्य सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का है :

1. औद्योगिक बस्ती, कटक 21 कारखाने, जिला कटक ।
2. औद्योगिक बस्ती, राउरकेला 20 कारखाने, जिला सुंदरगढ़ ।
3. औद्योगिक बस्ती, सुनबेदा 12 कारखाने, जिला कोरापट ।
4. औद्योगिक बस्ती, तलचर 8 कारखाने, जिला ढेंकानल ।
5. औद्योगिक बस्ती, परादीप 12 कारखाने, जिला कटक ।

साहू-जैन कम्पनी ग्रुप के विरुद्ध मुकदमें

295. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहू-जैन ग्रुप की कुछ कम्पनियों के पास से पकड़े गये रिकार्ड तथा कागजात के आधार पर इन कम्पनियों द्वारा समवाय विधि का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार ने इसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई स्थगित करवाने के लिये प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष, साहू-जैन ग्रुप से सम्बन्धित, अनेक अनिर्णीत अभियोगों की स्थिति, बताने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-181/67]

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

296. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिए कुछ विदेशों के साथ हाल में कोई दीर्घकालीन व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) मैंगनीज अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध राज्य व्यापार निगम से न होकर खनिज तथा धातु व्यापार निगम से है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विदेशी ग्राहकों के साथ हाल में कोई दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रकों का निर्माण

297. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर ट्रकों के निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार को हाल में विदेशों से भारी ऋणों का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इन ऋणों की शर्तें क्या होंगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फल्लूद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

माल डिब्बों की कमी

298. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री खगपति प्रधानी :

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री हीरजी भाई :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्राड गेज लाइन तथा मीटर गेज लाइन दोनों लाइनों पर चलने वाले माल डिब्बों की कमी इस समय कितनी है; और

(ख) माल डिब्बों की सप्लाई को अधिक संतोषजनक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) सामान्यतः माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। रेलें इस समय प्रतिदिन बड़ी लाइन पर लगभग 25,000 और मीटर लाइन पर 12,000 माल डिब्बों का लदान करती हैं। भारतीय रेलों में कुल मिलाकर बड़ी लाइन पर लगभग 3 दिन और मीटर लाइन पर 4 दिन का लदान बाकी रहता है। लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ खास तरह के माल डिब्बों की कमी हो सकती है।

रेलवे के काबू से बाहर कुछ परिस्थितियों जैसे नागरिक उपद्रव, बंद, तूफानी मौसम, आदि के कारण भी माल डिब्बों की बकाया मांग बढ़ जाती है। इस तरह की घटनाओं से प्रायः कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

(ख) जिन परिस्थितियों में और जिन क्षेत्रों में परिचालन सम्बन्धी सामान्य कारणों से माल डिब्बों की कमी होती है, उन पर लगातार निगाह रखी जाती है और समय पर कार्यवाही की जाती है। रेलवे के काबू से बाहर की घटनाओं के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भी यथासम्भव कार्रवाई की जाती है।

बरहामपुर और फूलबनी के बीच रेलवे लाइन

299. श्री प्र० के० देव : श्री के० पी० सिंह देव :

श्री गु० च० नायक : श्री अ० दीपा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहामपुर और फूलबनी के बीच रेलवे लाइन बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

दीमापुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी

300. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर रेलवे स्टेशन पर 10 मार्च, 1967 को आसाम मेल के आने पर दो व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ग) इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) दीमापुर की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा जांच का काम पूरा होने पर ही आगे कार्रवाई की जा सकेगी ।

प्रशुल्क आयोग द्वारा रबड़ का मूल्य निर्धारण

301. श्री वासुदेवन नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग देश में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ का एक उचित मूल्य निश्चित करने वाला है;

(ख) क्या आयोग रबड़ के उत्पादन के काम में लगे समस्त बड़े राज्यों का दौरा कर रहा है;

(ग) क्या आयोग को केरल राज्य के 8 छोटे उत्पादकों से यह अभ्यावेदन मिला है कि आयोग उस राज्य का दौरा करे; और

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग का विचार केरल का दौरा करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क), (ग) तथा (घ). जी, हां ।

(ख) आयोग केवल केरल राज्य का दौरा करेगा ।

संश्लिष्ट रबड़ का आयात

302. श्रीमती मुशीला गोपालन :

श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संश्लिष्ट रबड़ का आयात करने के लिए एक बार में 6000 टन से अधिक के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हाल ही में एक बार में 32,000 टन संश्लिष्ट रबड़ के आयात के लिए लाइसेंस दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं । यद्यपि रबड़ के आयात के लिए, चाहे वह प्राकृतिक हो या संश्लिष्ट, आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो भी इस अभिप्राय का कोई विनियम नहीं है कि 6,000 टन से अधिक के लिए एक बार में लाइसेंस न दिया जाये ।

(ख) 1966-67 में संश्लिष्ट रबड़ का कुल आयात केवल 4,700 टन के लगभग हुआ। प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ की खपत करने वाले विभिन्न उद्योगों की रबड़ सम्बन्धी वास्तविक मांग की तुलना में रबड़ की देश में उपलब्ध मात्रा की कमी को ध्यान में रख कर ही यह आयात किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में रबड़ उत्पादक

303. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री पी० सी० अदीचन :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ उत्पादकों के पलाई में हाल में हुए सम्मेलन में रखे गये इन प्रस्तावों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि प्राकृतिक रबड़ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो निश्चित किया जाय तथा रबड़ उत्पादकों की सहायता के लिए रबड़ कारखाने रबड़ बोर्ड के नियन्त्रणाधीन खोले जायें ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के उचित मूल्य नियत करने सम्बन्धी टेरिफ आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन करे और टेरिफ आयोग को अपनी जांच केवल छोटे उत्पादकों तक सीमित रखने के लिए निदेश दे। स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ का मूल्य 6.00 रुपये प्रति किलोग्राम नियत करने के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) छोटे उत्पादकों को ब्याज मुक्त ऋण तथा सहायता दी जाती है ताकि वे अपने बागान का विकास कर सकें। उनकी उपज के उचित मूल्य नियत करने के प्रश्न पर टेरिफ आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

भारतीय मिल्स, पांडिचेरी

304. श्री उमानाथ : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पट्टियम गोपालन : श्री के० अनिरुधन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मिल्स, पांडिचेरी के अनेक भूतपूर्व कर्मचारियों को,

इन मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाने के बाद भी, अभी तक बहाल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्ति अभी तक बेरोजगार हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मिलों के सरकारी नियंत्रक ने इन मिलों को पुनः आरम्भ करने से पहले कर्मचारी संघों के सामने एक शर्त रखी थी कि इन मिलों पर सरकारी कब्जा होने से पहले कर्मचारियों की सेवा की जो शर्तें थीं, उनमें परिवर्तन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार के प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या कर्मचारी संघों के साथ कोई समझौता हुआ था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख). लगभग 600 कर्मचारी, जो मिल के भूतपूर्व कर्मचारियों के लगभग 50 प्रतिशत हैं, पहले ही काम पर बुलाये जा चुके हैं और 150 कर्मचारियों को शीघ्र ही बुलाये जाने की आशा है। इसके बाद लगभग 460 कर्मचारी बच जायेंगे जिनमें से केवल 143 स्थायी कर्मचारी होंगे। सभी कर्मचारियों को काम पर न लगाने का कारण यह है कि मिल में कुल 25,000 तकुओं तथा 386 करघों में से केवल 16,000 तकुओं तथा 96 करघों पर दोबारा काम चालू हुआ है।

(ग), (घ) तथा (ङ). कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर भी प्राधिकृत नियंत्रक ने मिल को लाभप्रद रूप में चलाने के लिये संशोधित कार्य-भार सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों पर कर्मचारी संघों के साथ बातचीत की। परन्तु ये प्रस्ताव मिल को पुनः चालू करने के लिए किसी पूर्व-शर्त के रूप में नहीं थे।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में सामग्री पड़ताल-कर्ता (मैटीरियल चैकर)

305. श्री सत्य नारायण सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में काम करने वाले सामग्री पड़तालकर्ताओं को यह आश्वासन दिया था कि तीसरी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस आश्वासन को अब तक क्रियान्वित कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो नियमित रेलवे सेवा में इन कर्मचारियों के कब खपाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठता।

मुगलसराय डीजल लोको शेड के स्थानापन्न कर्मचारी

306. श्री सत्य नारायण सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में मुगलसराय डीजल लोको शेड के कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) क्या यह सच है कि छंटनी किये गये कर्मचारियों को काम करते हुए छः महीने से भी अधिक समय हो गया था और उनके स्थान पर नये व्यक्तियों को उन्हीं पदों पर नियुक्त किया गया था; और

(ग) ऐसी बातों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). नियमित भर्ती होने तक पूर्णतया अस्थायी तौर पर 74 आदमियों को एवजी कर्मचारियों के रूप में लगाया गया था। नियमित भर्ती के समय दूसरे उम्मीदवारों के साथ-साथ इन 74 आदमियों पर भी विचार किया गया। भर्ती के लिए ली गयी परीक्षा में 47 आदमी फेल हो गये और उनकी जगह उन उम्मीदवारों को रखने का विचार है, जो परीक्षा में सफल रहे हैं। लेकिन वस्तुतः केवल उन 4 आदमियों को सेवा-मुक्त किया गया है, जो नियमित नियुक्ति करने से पहले ली गई डाक्टरी परीक्षा में अयोग्य पाये गये।

(ग) एवजी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है कि वे अपनी नियमित नियुक्ति से पहले उपयुक्त परीक्षा पास करें और यदि वे इस परीक्षा में या प्रारम्भिक डाक्टरी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें सेवा-मुक्त करना पड़ता है।

हथकरघा बुनकरों के लिये सूत

307. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री खगपति प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा बुनकरों को इस समय पर्याप्त मात्रा में सूत उपलब्ध नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

इस्पात का उत्पादन

308. श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सभी इस्पात कारखानों में वर्ष 1966 में इस्पात का उत्पादन बढ़ा है;
(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और
(ग) क्या वृद्धि उत्पादन लक्ष्य के अनुसार हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). नीचे सारणी में सभी इस्पात कारखानों के 1965 तथा 1966 के उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं :

इस्पात कारखाना	1965	1966
	(पिण्डाटन)	
टाटा	1,969,110	2,010,943
इस्को	948,773	924,466
राउरकेला	1,077,582	976,391
भिलाई	1,267,200	1,765,180
दुर्गापुर	1,017,083	780,364
मैसूर आयरन	64,367	72,268

संचालन में कुछ विशिष्टताओं के कारण कई कारखानों में उत्पादन लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ ।

चाय का निर्यात

309. श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) इस वर्ष अनुमानतः कितनी चाय का निर्यात किये जाने की सम्भावना है; और
(ख) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) यह मानते हुए कि 1967 में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष चाय का निर्यात लगभग 21 करोड़ किलोग्राम के स्तर तक पहुंच सकेगा ।

(ख) विदेशी बाजारों में भारतीय चाय को अन्य उत्पादक देशों की चाय और अन्य पेयों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये विभिन्न उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिये चाय उगाने वालों को ब्याज की कम दर पर ऋण दिये जाते हैं ताकि वे अपने बागान का पुनरोपण तथा विस्तार कर सकें और सिंचाई के साधन जुटा सकें।
2. चाय बोर्ड द्वारा किराया-खरीद आधार पर चाय के कारखानों के लिये आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध की जाती हैं।
3. बागान के विस्तार पर किये गये खर्च के 50 प्रतिशत की तथा पुनरोपण पर किये गए खर्च के 40 प्रतिशत की विकास छूट आयकर में दी जाती है।
4. विश्व के बाजारों में चाय की, विशेषतः मध्यम तथा सामान्य किस्म की चायों की प्रतियोगी अवस्था में सुधार करने के लिये गत नवम्बर में चाय पर निर्यात शुल्क कम किया गया था।
5. चाय के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये अन्य चाय उत्पादकों तथा स्थानीय चाय व्यापारियों के साथ मिल कर विदेशों में संवर्धन-कार्य आरम्भ किये गये हैं। इसके अतिरिक्त खपत के प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध भारतीय चाय की मांग बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही की जाती है।
6. उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त कराने में भी उद्योग की सहायता की जाती है।

पटसन के माल का निर्यात

310. श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों को पटसन के माल का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों को पटसन के माल का निर्यात इस समय कितना होता है; और

(ग) पटसन के माल का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 1966 में कुल 743,500 मी० टन पटसन के माल का निर्यात हुआ।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-

182/67]

रेजर ब्लेडों का निर्माण

311. श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री खगपति प्रधानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेजर ब्लेडों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या रेजर ब्लेडों का वर्तमान निर्माण देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 1966 में बड़े क्षेत्र में रेजर ब्लेडों का उत्पादन 90 लाख 60 हजार हुआ था। लघु क्षेत्र में भी कुछ कारखानें हैं जिनकी स्वीकृत क्षमता 5 लाख 80 हजार ब्लेड है। यह उत्पादन अनुमानित मांग की तुलना में संतोषजनक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इनके 2 करोड़ के लक्ष्य के बदले 209 लाख 80 हजार ब्लेडों की क्षमता के लिए स्वीकृति दे दी गई है। अनुभव किया जाता है कि यह क्षमता देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय फिल्मों द्वारा कमाई विदेशी मुद्रा

312. श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भाग लेकर किन्हीं भारतीय फिल्मों ने विदेशी मुद्रा (करेंसी में) कमाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) . यह बताना सम्भव नहीं है कि 1966 में विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भाग लेकर कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई। विदेशों में फिल्म समारोहों में भाग लेना उन उपायों में से एक है जो विदेशों में हमारी फिल्मों के प्रचार के लिये किये जाते हैं।

सुखाई गई झींगा मछली (प्रान) का बर्मा को निर्यात

314. श्री खगपति प्रधानी : श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा को सुखाई गई झींगा मछली का निर्यात कम हो गया है;

- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) . विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण बर्मा सरकार भारत से सुखाई गई झींगा मछली (प्रान) का आयात उत्तरोत्तर कम करती रही और अप्रैल 1966 के बाद से उसने इसका आयात बिल्कुल बन्द कर दिया है ।

(ग) झींगा मछली (प्रान) की जो मात्रा पहले सुखाई जाती थी, उसके एक बड़े भाग का लाभप्रद उपयोग, अब निर्यात के लिये डिब्बों में बन्द करने तथा जमाने के लिये किया जाता है । झींगा मछली की शेष मात्रा अन्य स्थानों को निर्यात की जा रही है ।

बाल बेयरिंग का निर्माण

315. श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि बाल बेयरिंग का निर्माण कम हो गया है; और
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं, बाल बेयरिंगों का उत्पादन वास्तव में 1965 में 82,49,960 से बढ़कर 1966 में 91,90,981 हो गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Kota-Chitorgarh Railway Line

316. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the Survey of Kota-Chitorgarh Railway line has been completed ;
(b) if not, the progress made in this regard ; and
(c) the amount of expenditure likely to be incurred ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). A traffic survey has been carried out for this line at an estimated cost of Rs. 41,310/-. The survey report is now under examination.

Railway Bridge Near Gangapur

317. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the construction of Banas Railway bridge near Gangapur has not been completed so far ;

- (b) if so, the names of companies to whom the contract has been given ;
- (c) the expenditure incurred on the construction of the bridge so far ; and
- (d) the present progress thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

- (b) (i) Shri S. S. Goel.
- (ii) M/s. Shib Banerjee & Co. Private Limited, Calcutta.
- (c) Rs. 22 lakhs approximately.
- (d) Both the abutments and two piers out of four have been completed. Third pier is nearing completion. For the fourth pier, work on well sinking is under progress.

Demolition of Quarters of Harijan Employees of Kota Railway Deptt.

318. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the quarters of all the Harijan Railway Employees at Kota have been demolished ;
- (b) if so, the reason therefor ;
- (c) the arrangements made by Government for their dwellings ;
- (d) whether it is also a fact that they have 15 to 20 years' service at their credit ; and
- (e) if so, the reasons for which they have not been allotted quarters ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Out of 300 katcha mud-walled hutments erected unauthorisedly on Railway land at Kota about 7 years ago by class IV Railway staff including Harijans and 45 outsiders, 250 have been demolished and demolition of the rest is in progress.

(b) The construction of these hutments was most haphazard and had given rise to extremely insanitary conditions. Consequently it was decided to demolish all of them.

(c) it has not been found possible to make alternative arrangement for housing the staff displaced in this manner so far.

(d) Not all the Harijan employees concerned have 15 to 20 years service at their credit.

(e) Quarters for the Railway staff are constructed on a programmed basis within the available resources the first priority being given to essential staff. Within the available financial resources it has not been possible so far to programme quarters at Kota for housing the concerned staff.

Training of Ticket-Collectors on Western Railway

319. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that many persons who had received training as Ticket Collectors on the Western Railway have been idle for the last 3 years for want of employment ;
- (b) whether it is also a fact that thousands of new persons are being enrolled every year for training ; and
- (c) the reasons for not providing employment to these trained persons ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No. Only 5 Ticket Collectors on Kota Division who had completed their training by 21-3-64 have not been absorbed.

(b) No. Recruitment is made only according to the requirements.

(c) Trained persons could not sometimes be appointed immediately on completion of training due to the fact that vacancies which were anticipated had not materialised. The 5 Ticket Collectors referred to in (a) above have shown their unwillingness for posting in any other Division.

रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

320. श्री स० मो० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त : श्री जे० एम० बिस्वास :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी संघ ने मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जाने तथा सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था किये जाने के बारे में रेलवे कर्मचारियों की मांगों को सरकार के विचारार्थ पुनः पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा ये मांगें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । 14-4-66 को आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमंत्री से मिला था और उसने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेल कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन बोर्ड स्थापित करने और 1949 से पहले की तरह की सहायता-प्राप्त अनाज की दूकानें खोलने की मांग शामिल थी । नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मेन ने भी यह मांग की है ।

(ख) जहां तक अलग वेतन बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 25-2-66 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 220 के उत्तर में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गयी थी कि रेल कर्मचारियों के वेतन-मान उन वेतन आयोगों की सिफारिशों पर आधारित हैं जिन्होंने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के समग्र कर्मचारियों के वेतन-ढांचों तथा सेवा की शर्तों पर विचार किया है । सरकार रेल कर्मचारियों के लिये अलग वेतन बोर्ड स्थापित करना जरूरी नहीं समझती ।

सस्ते अनाज की दूकानों से आशय सम्भवतः सहायता-प्राप्त अनाज की दूकानों से है । सहायता-प्राप्त अनाज की जो दूकानें पिछले विश्व-युद्ध के दौरान खोली गयी थीं, उनमें भ्रष्टाचार फैल जाने के कारण संसद् में तथा अन्यत्र उनकी कड़ी आलोचना हुई थी । पिछले अनुभव को देखते हुए रेलों पर फिर से सहायता-प्राप्त अनाज की दूकानें खोलने का विचार नहीं है ।

लखनऊ में नियुक्त उत्तर रेलवे के कैंटीन कर्मचारी

321. श्री स० मो० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
 श्री स० चं० सामन्त : श्री जे० एम० बिस्वास :
 श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में नियुक्त उत्तर रेलवे कैंटीन कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताये गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ख) क्या उन्हें आत्मरक्षा करने के लिये निम्नतम सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठता ।

सीमेंट बनाने की नई विधि

322. श्री प्र० के० देव : श्री के० पी० सिंह देव :
 श्री गु० च० नायक : श्री अ० दीपा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरहाट स्थित प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला में सीमेंट बनाने की जो सफल विधि निकाली है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस नई दंड भट्ठा विधि (शैफ्ट किल्न प्रोसैस) और वर्तमान विधि में क्या अन्तर है; और

(ग) वर्तमान विधि की अपेक्षा यह नई विधि कितनी लाभदायक है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट (आसाम) ने सीमेंट बनाने के लिये खड़े आकार के एक गोल भट्ठा संयंत्र का डिजाइन तैयार करके उसे स्थापित कर दिया है जिसकी क्षमता 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन है । देश में पहली बार स्थापित किये गये इस प्रकार के दो संयंत्रों में से यह एक संयंत्र है । इतनी ही क्षमता का दूसरा स्तम्भाकार भट्ठा संयंत्र मद्रास राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा मद्रास के डालमियापुरम में स्थापित किया गया है ।

इस समय देश में सीमेंट का उत्पादन आर्द्र और शुष्क दोनों ही प्रकार के घूम-घूम कर चलने वाले भट्ठे की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसकी क्षमता लगभग 600 टन प्रतिदिन

है। देश के सीमेंट कारखाने प्रमुख रूप से आर्द्र प्रक्रिया काम में ला रहे हैं। स्तम्भाकार भट्ठों का इस्तेमाल केवल शुष्क प्रक्रिया के लिये किया जा सकता है। घूम-घूम कर चलने वाले भट्ठों की तुलना में स्तम्भाकार भट्ठों का लाभ यह होता है कि ये कारखाने छोटे आकार के होने के कारण उन्हें लगाने की लागत कम आती है, जगह कम लगती है तथा ईंधन का खर्च भी कम आता है। जोरहाट और डालमियापुरम में जिस प्रकार के गोल भट्ठे स्थापित किये गए हैं उनसे लाभ यह है कि इस प्रकार के छोटे गोल भट्ठे संयंत्र कम चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों के निक्षेपों को खोदने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होते हैं। ये संयंत्र उन क्षेत्रों के लिये भी विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे जिनमें चूने के पत्थर के निक्षेप या तो सीमित हैं अथवा जहां परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। 60 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले प्रतिमानित पुराने ढंग के कारखानों में उत्पादन लागत नया तरीका इस्तेमाल किये जाने वाले छोटे कारखानों की अपेक्षा कम आती है।

नये उद्योगों के लिए लाइसेंस

323. श्री वाई० जी० गौड़ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस प्राप्त के लिये आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले से आये हैं; और

(ग) इनमें से कितने प्रार्थियों को लाइसेंस दिये गये तथा किन-किन उद्योगों के लिये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश में नये औद्योगिक उपक्रमों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में 43 आवेदन-पत्र, जिनमें दो कुरनूल जिले के भी शामिल हैं तथा मैसूर राज्य में 26 नये औद्योगिक उपकरणों के लिए आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे जो 1966 में विचार करने के लिए स्वीकार कर लिए गये थे।

(ग) कुल 6 लाइसेंस जारी किये गये हैं जिनमें से केवल एक आंध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले में कांच पर आधारित उपकरण बनाने के लिए नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय के अधीन संविहित बोर्डों का गठन

324. श्री वाई० जी० गौड़ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन कितने तथा कौन-कौन से संविहित बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन बोर्डों के सदस्यों का चुनाव होता है अथवा सरकार उनका नाम निर्देशन करती है;

(ग) इनमें से वर्ष 1966 में कितने बोर्डों का पुनर्गठन हुआ; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के किन्हीं व्यक्तियों को उनमें से किसी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दो—कम्पनी कानून बोर्ड तथा केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।

(ख) कम्पनी कानून बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 ड की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । केन्द्रीय बायलर बोर्ड के 15 सदस्यों का नामांकन, अध्यक्ष को सम्मिलित कर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है इनमें संघ राज्य क्षेत्रों का एक प्रतिनिधि भी शामिल होता है । प्रत्येक राज्य सरकार (जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर जिसमें यह अधिनियम लागू नहीं होता) एक-एक सदस्य का नामांकन करती है । ये नामांकन भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 27 क (2) के उपबन्धों के अधीन किये जाते हैं ।

(ग) कम्पनी कानून बोर्ड का 1966 में दो बार पुनर्गठन किया गया था । 1966 में केन्द्रीय बायलर बोर्ड के सदस्यों की सेवा निवृत्ति, स्थानान्तरण आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों के अलावा कोई भी पुनर्गठन नहीं किया गया था । इसके सदस्यों में (अध्यक्ष के सम्बन्ध में होने वाले परिवर्तन को छोड़कर जो पदेन सदस्य होता है) सात परिवर्तन किये गये थे ।

(घ) जी नहीं ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

325. श्री वाई० जी० गौड़ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० को यह निर्देश दिया है कि वह खंडसारी चीनी कारखानों को कोई ऋण न दे; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवायकार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समस्तीपुर-जयनगर बड़ी रेलवे लाइन

326. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में समस्तीपुर से जयनगर तक बड़ी रेलवे लाइन को बढ़ाने का विचार है क्योंकि उस सीमा क्षेत्र का सामरिक महत्व बहुत अधिक है; और

(ख) क्या मधुबनी अथवा जयनगर को एक ओर निर्मली से तथा दूसरी ओर सीतामढ़ी से मिलाने की भी कोई योजना विचाराधीन है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बड़ी लाइन को समस्तीपुर से जयनगर तक बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) जी नहीं । ये स्थान पहले से ही दरभंगा के रास्ते रेलवे लाइनों से जुड़े हैं ।

मधुबनी, सकरी और चिकना स्टेशन

327. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मधुबनी और सकरी स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों में शौच तथा स्नान की असंतोषजनक व्यवस्था में सुधार करने और चिकना स्टेशन का चहुमुखी सुधार करने लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मधुबनी और सकरी स्टेशनों के प्रतीक्षालयों में शौच और स्नान का प्रबन्ध संतोषजनक समझा जाता है, क्योंकि इनमें साफ-सुथरे शौचालय, स्नानघर और पेशाबघर की व्यवस्था की जा चुकी है और उनमें किसी तरह के और सुधार की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

चिकना केवल एक ठेकेदार द्वारा संचालित हॉल्ट स्टेशन है । ऐसे हॉल्ट स्टेशनों पर जिन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे, पटरी तल जितना ऊंचा प्लेटफार्म, एक छोटा सा प्रतीक्षा-शेड और प्लेटफार्म पर बत्तियाँ, वे पहले ही मौजूद हैं । इनके अलावा इस स्टेशन पर 5 बेंचों और एक हथ-पम्प की भी व्यवस्था की गयी है । इस हॉल्ट स्टेशन पर इस समय और कोई सुधार करने का विचार नहीं है ।

बम्बई-हावड़ा ट्रंक लाइन पर जनता एक्सप्रेस गाड़ी

328. श्री के० जी० देशमुख : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-हावड़ा ट्रंक लाइन पर बरासता नागपुर जाने वाली एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी के कब से चलाये जाने की आशा है ; और

(ग) वर्तमान परिस्थितियों में इस मार्ग पर होने वाली भीड़ को कम से कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). बम्बई-हावड़ा लाइन पर नागपुर के रास्ते जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, लेकिन पारिचालन की दृष्टि से ऐसा करना अभी व्यावहारिक नहीं पाया गया है, क्योंकि रास्ते के खण्डों पर क्षमता की कमी है और साथ ही बम्बई वी० टी० में टर्मिनल सुविधाएं नहीं हैं । इन सुविधाओं को

जुटाने के लिए पहले से ही निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं और यदि धन उपलब्ध हुआ तो 1970 तक इन कामों के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) 1.4. 1967 से इस मार्ग पर दोनों ओर से सप्ताह में एक बार वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जायेगी। यह भी प्रस्ताव है कि यदि डीजल इंजन उपलब्ध हुए तो चौथी योजना में, नागपुर होकर जाने वाली बम्बई-हाबड़ा डाक गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाया जाये। इससे भी कुछ हद तक भीड़-भाड़ कम हो जायेगी।

अमरावती रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

329. श्री के० जी० देशमुख : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरावती रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल के निर्माण-कार्य में अत्यधिक देरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नियमानुसार रेलवे को इस ऊपरी सड़क-पुल के केवल पुल सम्बन्धी हिस्से का निर्माण करना है और राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण अपने खर्च पर करेगी। खास पुल का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1964 में पूरा हो गया था लेकिन पहुंच मार्गों का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) मालूम हुआ है कि राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माणकार्य 1967 के अंत तक पूरा कर लेगी।

डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, लखनऊ के कार्यालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

330. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ स्थित डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी 'पर्सनल ब्रांच' में काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त ब्रांच में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 40;

(ख) 7;

(ग) और (घ). प्रतिनिधित्व के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है। पूरे दफ्तर में कुल जितने स्थान खाली होते हैं, केवल उन पर की जाने वाली भर्ती के लिए कोटा आरक्षित है।

आन्ध्र प्रदेश में एस्बेस्टस का सामान बनाने का कारखाना

331. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुड्डप्पा जिले में पुलिवेंडला तालुक में एस्बेस्टस का सामान तैयार करने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कुड्डप्पा जिले के कुड्डप्पा नगर में (पुलिवेन्डला तालुक में नहीं) एस्बेस्टस सीमेंट के उत्पाद तैयार करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। कुड्डप्पा एस्बेस्टस सीमेंट प्राइवेट्स के श्री एस० सुलेमान के नाम हाल ही में एक आशय-पत्र जारी कर दिया गया है,

(ख) इस संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 30,000 मीट्रिक टन एस्बेस्टस की चादरें (नालीदार और आधी नालीदार), पाइप और बोर्ड, ईटें, पट्टियां इत्यादि हैं। यह योजना कुड्डप्पा और कुरनूल जिलों में उपलब्ध देशी मशीनों और एस्बेस्टस रेशे पर आधारित है। कच्चे माल या मशीनों के लिये कुछ भी विदेशी मुद्रा नहीं दी जायगी;

(ग) पार्टी के अनुसार 30,00,000 रु०;

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अधीन दूसरी खान की खुदाई

332. श्री बी० कृष्णमूर्ति : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की लिग्नाइट की मांग की पूर्ति करने के लिए दूसरी खान की खुदाई की स्वीकृति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) नहीं महोदय। अनुमोदित योजनाओं की मांग को वर्तमान खान के कटाव से पूर्ण किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सागर, दमोह और सतना स्टेशनों के रेलवे फाटकों पर मार्ग

333. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के सागर, दमोह तथा सतना स्टेशनों के मुख्य रेलवे फाटकों पर

यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऊपरी अथवा भूमिगत मार्ग बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये निर्माण कार्यक्रम इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त तीन जिलामुख्यालय स्टेशनों पर वर्तमान रेलवे फाटकों के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल प्रशासन वर्तमान व्यस्त समपारों की जगह ऊपरी/निचले सड़क-पुल बनाने के लिए हमेशा तैयार है, बशर्ते ये योजनाएं राज्य सरकार की ओर से आयी हों और राज्य सरकार अथवा सड़क प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए सहमत हों। मोटे तौर पर 24 फुट तक चौड़े खास पुल की लागत रेलवे देती है और ढलवां पहुंच मार्गों तथा खास पुल की अतिरिक्त चौड़ाई की लागत राज्य सरकार या सड़क प्राधिकारियों को देनी होती है।

सतना में वर्तमान समपार की जगह ऊपरी सड़क-पुल बनाने के एक सुझाव के अतिरिक्त, सागर और दमोह के वर्तमान समपारों की जगह ऊपरी/ निचले सड़क-पुल बनाने के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई निश्चित सुझाव नहीं मिला है।

(ख) सतना पर ऊपरी सड़क-पुल बनाने का काम हो रहा है।

(ग) जी नहीं।

उड़ीसा में उद्योग समूह

334. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचर उद्योग समूह स्थापित करने का कार्य आरम्भ करने के लिए 1967-68 में सरकार ने कितनी राशि नियत की है ;

(ख) इस प्रायोजन के लिए अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) उद्योग-समूह बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) तालचर में एक औद्योगिक कोम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। 1967-68 के बजट आंकलन में इस परियोजना के लिए कोई उपबंध नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मोर के पंखों का निर्यात

335. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). तीसरी पंचवर्षीय योजना में मोर के पंखों के निर्यात से कितनी आय हुई ;

- (ख) इसमें उड़ीसा को कितनी आय हुई ;
 (ग) क्या विदेशों में मोर के पंखों की मांग बढ़ रही है ; और
 (घ) यदि हां, तो क्या इसके निर्यात को अधिक व्यवस्थित ढंग से करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1965-66 में 1,38,000 रु० के मोर पंखों का निर्यात हुआ। तीसरी योजना अवधि के इससे पहले के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उस समय इस मद का वर्गीकरण अलग से नहीं किया गया था।

(ख) राज्य-वार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े समूचे देश के सम्बन्ध में रखे जाते हैं।

(ग) और (घ). मोर-पंखों के अंधाधुन्ध संग्रह को रोकने की दृष्टि से उनके निर्यात की अनुमति, इस प्रयोजन के लिये नियत वार्षिक कोटे के अनुसार ही दी जाती है क्योंकि इस प्रकार के संग्रह से मोरों की संख्या पर और अन्ततोगत्वा पंखों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

336. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में उड़ीसा में कोई नयी औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह बस्ती कहां स्थापित की जायेगी तथा उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य में स्थापित की गयी औद्योगिक बस्तियां सुचारु रूप से चल रही हैं तथा क्या इस दिशा में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां. तो इसका ब्योरा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फहरुद्दीन अली अहमद) (क) से (घ).

यह जानकारी उड़ीसा की सरकार से इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Extension of Railway Lines in Indo-Nepal Border

337. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trains running to and from three stations viz., Raxaul, Jaynagar and Nirmali on the North-Eastern Railway on the Indo-Nepal border pass through Darbhanga Railway Junction ;

(b) whether it is the only route through Darbhanga to link these stations with other parts of India by Railway ;

(c) whether it is proposed to extend broad gauge railway line upto Jaynagar or at least upto Darbhanga in view of traffic, trade and security ; and

(d) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes, so far as Jaynagar and Nirmali stations are concerned. Raxaul station is also connected by rail with other parts of India via Narkatiaganj on the one hand and Sagauli on the other besides Darbhanga.

(c) No.

(d) Does not arise.

Resumption of Railway Traffic on Indo-Nepal Border

338. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the railway line between Supaul and Nirmali Railway Stations on the North-Eastern Railway was damaged by the current of Kosi river ;

(b) whether it is proposed to resume traffic on this line in view of its location on the Nepal border and with a view to link up Darbhanga and Saharsa District, particularly the two parts of Saharsa ;

(c) whether the resumption of traffic on this line has become possible with the construction of Kosi Dam ; and

(d) if so, whether Government propose to link Railway lines between Nirmali and Supaul or Nirmali Bathnaha-Birganj ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The old alignment between Nirmali on one side of the Kosi river, and Supaul on the other via Bhaptiahi, was washed away and abandoned in 1937-38 due to floods of the Kosi river.

(b) Restoration of a portion of the old alignment between Supaul and Thurbhita (12.78 KMs.) only, has been taken in hand recently and the work is in progress.

(c) Although the regime of the Kosi river has been largely controlled by the Kosi flood protection works, it is proposed to watch and study the working of Supaul-Thurbhita portion after restoration for a few years before deciding on further restorations in this area.

(d) No such proposal is under consideration.

Tea Stall at Chakia Station

339. **Shri Kamla Mishra Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tea stall at Chakia Station of the North-Eastern Railway was constructed at Government expense ;

(b) if so, the purpose for which it is being utilised ;

(c) if it is not being utilised as a tea stall, the reasons therefor ; and

(d) the action being taken to utilise it as a tea stall ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c). The Tea stall provided in August, 1962, was run by two contractors for varying periods till May, 1965. The contractors surrendered the contract due to poor sales. A third contractor appointed in February, 1966 did not start working for the same reason and the stall is lying vacant at present.

(d) Necessary notification is being issued again calling for fresh applications for running the tea stall.

Night Duty to Railwaymen

340. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Administration pays night duty allowance to the Booking Clerks, Drivers, Fitters and Khalasis put on night duty ;

(b) whether it is also a fact that some of the Coal Checkers working in Danapur (Eastern Railway) Loco Shed are put on the night duty, but are paid neither night duty allowance nor given any promotion in any form ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, subject to certain specific criteria in regard to 'continuous application' to work being fulfilled.

(b) and (c). The category of Coal Checkers do not qualify for the grant of night duty allowance in terms of the criteria of 'continuous application' to work laid down by the Government for the purpose.

As regards granting promotion to these staff, it is governed entirely by different considerations viz., availability of vacancies in the higher grade posts and the seniority and suitability of the person concerned.

Substitute Labour at Danapur Loco Shed

341. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 67 labourers and workers have been working as substitutes for the last seven or eight years in the Danapur (Patna) Loco Shed ;

(b) whether it is also a fact that they were appointed on Rs. 70/- as pay and Rs. 47/- as dearness allowance per month but they are being paid only Re. 1.5 paise at the rate payable to the casual labour ;

(c) whether according to the Railway Rules, there is a provision to make available permanent jobs to substitute labourers and workers ;

(d) whether the substitute employees of the Railway Divisions, except Danapur, are provided with the facilities of Privilege Passes, P. T. Os., casual leave, L. A. P., increments, medical treatment, and the said employees are deprived of the same ; and

(e) if so, the reasons for this disparity and the remedial measures proposed to be taken in this behalf?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) No.

(c) No.

(d) and (e). Substitutes on completion of six months continuous service on Railways including Danapur Division of Eastern Railway are entitled to all the rights and privileges as are admissible to temporary railway servants and the question of disparity does not arise.

बरुइपुर रेलवे स्टेशन के निकट पुल

342. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री अ० क० गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरुइपुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) के परिसर के अन्दर सब प्लेटफार्मों को मिलाने वाला पुराना पुल अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या उसके स्थान पर सब प्लेटफार्मों को मिलाने वाला एक नया पुल बनाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उक्त पुल हटा दिये जाने से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष में रेलवे स्टेशन के परिसर के अन्दर कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नया पुल बनाने का है और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। इसकी जगह पर एक मानक ऊपरी पैदल पुल बनाया गया था और उसका स्थान बदल दिया गया था।

(ख) यह बदलाव और स्थान-परिवर्तन मार्च, 62 में किया गया था ताकि वर्तमान अमानक और जीर्ण-शीर्ण पुल की जगह एक मानक पुल बनाया जाये और मानक आयामों के उल्लंघन की सम्भावना दूर हो जाये।

(ग) नया पुल, जिसका निर्माण हो चुका है, सभी प्लेटफार्मों को मिलाता है और उसमें वे सभी सुविधाएं हैं जो पहले पुल में मौजूद थीं।

(घ) जब से उक्त पुल गिराया गया है तब से जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी संख्या नीचे दी गयी है, लेकिन ये दुर्घटनाएं अनधिकृत रूप से लाइन पार करने के कारण हुईं :

1962	1
1963	कोई नहीं
1964	2
1965	1
1966	कोई नहीं
1967	
(24-3-67 तक)	कोई नहीं

(ङ) सवाल ही नहीं उठता।

बरुईपुर रेलवे स्टेशन

343. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री अ० क० गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में बरुईपुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे, सियालदह दक्षिण डिवीजन) से कुल कितनी राशि का राजस्व प्राप्त हुआ है ; और

(ख) अधिकारियों ने उस स्टेशन पर यात्री-सुविधाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-183/67]

सियालदह दक्षिण स्टेशन पर प्लेटफार्म गेट

344. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री अ० क० गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सियालदह दक्षिण स्टेशन पर कितने प्लेटफार्म गेट हैं ;

(ख) रविवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में स्टेशन से औसतन कितने यात्री गुजरते हैं ;

(ग) उक्त स्टेशन पर प्रत्येक पाली में दरवाजों पर कितने टिकट कलेक्टर होते हैं ;

(घ) कितने दरवाजे दिन भर खुले रहते हैं तथा अधिक भीड़ वाले समय में कितने दरवाजे खुले होते हैं ; और

(ङ) स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) वहां यात्रियों के लिए आठ और सामान के लिए दो फाटक हैं ।

(ख) प्रतिदिन लगभग 100340 यात्री इन फाटकों से गुजरते हैं ।

(ग) इन फाटकों पर 6.30 बजे से 21.30 बजे तक दो पालियों में सात टिकट कलेक्टर तैनात किये जाते हैं । रात की पाली में 21.30 बजे से 6.30 बजे तक पांच टिकट कलेक्टर तैनात रहते हैं ।

(घ) 6.30 बजे से 21.30 बजे तक यात्रियों के लिए पांच और सामान के लिए दो फाटक खुले रहते हैं । रात के समय यात्रियों के लिए तीन और सामान के लिए दो फाटक खुले रहते हैं ।

(ङ) इस समय फाटकों पर जितने आदमी तैनात किये गये हैं वे सामान्य स्थिति में पर्याप्त समझे जाते हैं। आवश्यक होने पर अतिरिक्त फाटक खोले जायेंगे।

Divi-Dasgaon Railway Line

345. **Shri S. D. Baswant**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether the construction of Divi-Dasgaon railway line has been completed ;
- (b) the number of passenger trains running on this line ;
- (c) whether any complaint regarding the slow running of trains has been received from passengers ; and
- (d) if so, when it is proposed to run the trains at normal speed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) With a view to help the economic growth of the Konkan region and to relieve congestion around Bombay, a B. G. Railway line from Divi to Apta via Panvel was sanctioned in 1961. The Divi-Panvel section was opened for goods traffic on 31-10-1964 and for passenger traffic on 28-12-1964. The section beyond Panvel to Apta was opened for goods traffic on 9-4-66 and is yet to be opened for passenger traffic. The proposal for further extension of the line beyond Apta to Dasgaon is yet to be finalised.

(b) One passenger train and one mixed train each way on all the days of the week and one passenger train each way on Saturdays is running between Divi and Panvel.

(c) Yes.

(d) Steam engines cannot be operated on this branch line, because suitable watering facilities cannot be developed at Divi. As the trains are limited to 48 KM. per hour, which is the maximum permissible speed for the WDS. 2 type Diesel engines working on these trains, it is not possible to increase their speed.

मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी

346. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम समिति ने सुवाखेड़ा (नीमच के निकट, मध्य प्रदेश) में नई सीमेंट फैक्टरी लगाने का काम आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस फैक्टरी में (एक) निर्माण-कार्य किस तारीख से आरम्भ होगा और (दो) इस कारखाने में सीमेंट का उत्पादन बिक्री के लिये कब से उपलब्ध होने लगेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस समय सीमेंट कारपोरेशन सुवाखेड़ा (नीमच के निकट), मध्य प्रदेश में चूने के पत्थर के भंडारों की खोज करने के काम में लगा हुआ है। इस स्थान पर सीमेंट का कारखाना लगाने के प्रश्न पर जांच-पड़ताल की रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जायगा।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल

347. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के आगामी पांच वर्षों के बजटों में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है ;
- (ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने धन की व्यवस्था की गई है ; और
- (ग) इस उपक्रम के कार्यसंचालन में सुधार होने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल फैक्ट्री की परियोजना रिपोर्ट में पहले कुछ वर्षों से लेकर उत्पादन के ग्यारहवें वर्ष तक हानि होने का अनुमान लगाया गया है । नवीनतम अनुमान के अनुसार कारखाने में 1970-71 तक हानि चलते रहने की आशा है । इन हानियों का अनुमान निम्न प्रकार है :

1967-68 रु० 876 लाख (हानि)

1968-69 रु० 697 लाख (हानि)

1969-70 रु० 407 लाख (हानि)

1970-71 रु० 145 लाख (हानि)

1971-72 के दौरान आशा की जाती है कि कारखाना 168 लाख रुपये लाभ कमायेगा ।

(ग) कार्य संचालन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. निर्माण करने की प्रविधि में सुधार तथा उत्पादन में वृद्धि ;
2. खर्च के प्रत्येक मद पर और अधिक कड़ा नियंत्रण ; तथा
3. संयंत्र और उपकरणों का अधिक कारगर ढंग से इस्तेमाल तथा निर्माण करने के लिये उन वस्तुओं का चुनाव करना जिनसे अधिक से अधिक लाभ हो ।

भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में शिकायतें

348. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार परियोजना के प्रभारी रूसी चीफ इंजीनियर ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की है कि भारी इंजीनियरी निगम, रांची से उपकरणों का संभरण संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह संभरण मात्रा तथा गुण-प्रकार दोनों हस्तियों से अपर्याप्त है, जिससे भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) क्या इन शिकायतों की कोई व्यापक जांच की गई है, और यदि हां, उसका क्या परिणाम रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भिलाई की छठी धमन भट्टी के लिए देशीय संयंत्रों तथा उपकरणों आदि की सप्लाई में कुछ कमी और कुछ देरी हो गई । ये त्रुटियां गम्भीर नहीं थीं और इन्हें दूर कर दिया गया है । इससे निर्माण कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने संभरणकर्त्ताओं से कहा है कि वे त्रुटियों को दूर करें और माल को शीघ्र भेजें । तब से लेकर सप्लाई में सुधार हो गया है ।

लमडिंग और डिब्रुगढ़ के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का बन्द किया जाना

349. श्री यशपाल सिंह :

श्री राम किशन :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर आसाम में लमडिंग और डिब्रुगढ़ के बीच रात में चलने वाली यात्री गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह आदेश कब तक लागू रहेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग तिनसुकिया खण्ड पर दो बार विस्फोट होने के फलस्वरूप, जिनमें से पहला विस्फोट 18-2-67 को हुआ, जिसके कारण खरकटिया और परियानी के बीच एक खाली इंजन पटरी से उतर गया और दूसरा 2-3-67 को तितवार और खरकटिया के बीच हुआ जिसके कारण एक सर्चलाइट विशेष गश्ती गाड़ी पटरी से उतर गयी और परिणामस्वरूप अनुरक्षक दल के एक रक्षक की मृत्यु हो गयी और पांच रक्षकों को चोटें आयीं । यात्रियों की संरक्षा की दृष्टि से 18-3-1967 से लमडिंग और सापेखाटी के बीच (लमडिंग और डिब्रुगढ़ टाउन के बीच नहीं) रात में (17.30 बजे से 4.30 बजे तक) सवारी गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है ।

(ग) जब तक इस क्षेत्र की स्थिति सुधर नहीं जाती और सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियों का चलना निरापद नहीं समझा जाता ।

बरेली-आगरा फास्ट-पैसेंजर ट्रेन में हत्या

350. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि 17 मार्च, 1967 को प्रातःकाल बरेली-आगरा फास्ट पैसेंजर ट्रेन (356 डाउन) के दूसरी श्रेणी के एक डिब्बे में एक यात्री को छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क)* जी, हां । 16-3-67 (न कि 17-3-67) को रात्रि को लगभग 2 बजकर 59 मिनट पर जब 356 डाउन पैसेंजर ट्रेन अतरौली रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी के तृतीय श्रेणी के एक डिब्बे में यह देखा गया कि एक यात्री को छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई है और एक अन्य यात्री गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है ।

(ख) मुरादाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/307 (हत्या तथा हत्या करने का प्रयास) के अन्तर्गत अपराध संख्या 15 दिनांक 17-3-1967 को एक मामला दर्ज कर लिया है । पुलिस मामले की जांच कर रही है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उद्योग

351, श्री के० लक्ष्मण : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उद्योग हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उद्योग ने कितनी प्रगति की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Vaitarna Railway Station

352. **Shri S. D. Basvant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date when the new railway station of Vaitarna on the Western Railway was inaugurated ;

(b) the date since which tickets are being sold to passengers ; and

(c) the number of passenger trains that halt at that station at present ?

* ऊपर छापा गया उत्तर मंत्री द्वारा मूल उत्तर के स्थान पर रखने के लिए बाद में भेजा गया था ।

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) Vaitarna station was opened for passenger traffic with effect from 20-2-1967 and tickets are being sold to passengers from the same day.

(c) Four passenger trains, two in each direction, halt at Vaitarna station.

साइकिल के टायरों तथा ट्यूबों का निर्यात

353. श्री प्र० के० देव : श्री के० पी० सिंह देव :
श्री गु० च० नायक : श्री अ० दीपा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल की टायरों तथा ट्यूबों का निर्यात अमरीका को करने का विचार है ;

(ख) इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन वस्तुओं के विश्व-मूल्य की तुलना में हमारे साइकिल की टायरों तथा ट्यूबों का मूल्य कितना कम अथवा अधिक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) एक टायर कम्पनी ने 1967 में अमरीका को 5 लाख टायर भेजने के लिये आर्डर प्राप्त किये हैं ।

(ख) इस निर्यात का अनुमानित मूल्य 1967 में 32 लाख रुपये होने की सम्भावना है ।

(ग) साइकिल टायर तथा ट्यूबों के जहाज तक पहुंचाने तक का इकाई मूल्य क्रमशः 6 रु० तथा 1.90 रु० है, जब कि इसकी तुलना में साइकिल टायरों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 3.90 रु० से लेकर 6 रु० तथा साइकिल ट्यूबों का मूल्य 1.90 रु० से लेकर 2.10 रु० तक है ।

व्यवस्था का प्रश्न POINT OF ORDER

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । इस समय सभा के समक्ष ध्यान दिलाने वाली सूचना है । आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति नहीं दी है । मैं आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं करता परन्तु कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल में 3500 कर्मचारियों की नौकरी छूटने वाली है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । मैं लोकतन्त्र के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : लोकतन्त्र के नाम पर हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते । इस समय चर्चा का सम्बन्ध पेट्रोलियम तथा रसायन से है । लक्ष्मी रतन काटन मिल का मामला सदन के समक्ष नहीं है । इस पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत में उर्वरक का उत्पादन

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं भारत में उर्वरक उत्पादन में विदेशी पूंजी लगाई जाये इस उद्देश्य से विदेशी तेल कम्पनियों के लिए नियत समय के सरकार द्वारा बढ़ाये जाने के प्रश्न की ओर पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान दिलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : भारत सरकार वर्ष 1971-72 तक खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भरता के प्रश्न को बहुत अधिक महत्व देती है । इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में करना है । सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बड़ी तथा आधुनिक परियोजनायें शुरू की हैं । उनके 1969 तथा 1970 में पूरा हो जाने से नाइट्रोजन का उत्पादन प्रति वर्ष 936,000 मीट्रिक टन बढ़ेगा ।

उर्वरक उद्योग में गैर-सरकारी भारतीय तथा विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ निर्णयों की घोषणा की गई है । सब से महत्वपूर्ण निर्णय प्रति वर्ष 964,000 टन नाइट्रोजन की कुल क्षमता वाली अभी हाल ही में मंजूर की गई परियोजनाओं को यह स्वतंत्रता देना है कि वे प्रत्येक मामले में वाणिज्यिक काम शुरू होने से सात वर्ष तक अपने उत्पादन बिना मूल्य-नियंत्रण के बेच सकेंगे । परन्तु सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उनसे उत्पादन का 30 प्रतिशत तय किये हुए मूल्यों पर ले सके । सरकार ने अप्रैल, 1966 में निर्णय किया है कि जिन कारखानों में पहले से उत्पादन हो रहा है अथवा जिन्हें पहले लाइसेंस दिये गये हैं, उन्हें भी मूल्य तथा क्रय सम्बन्धी नियंत्रणों से धीरे-धीरे मुक्त कर दिया जायेगा ।

अब नाइट्रोजन का उत्पादन 28 लाख मीट्रिक टन है जिसमें से 16 लाख मीट्रिक टन सरकारी क्षेत्र से निकलता है । इसके अतिरिक्त सरकार को यह अधिकार होगा कि गैर-सरकारी कारखानों से 300,000 मीट्रिक टन उर्वरक खरीदे और उनका वितरण अपने अभिकरणों द्वारा करें । इस उद्योग के विकास के लिए उठाये गये कदमों के आधार पर इस बात की सम्भावना है कि उर्वरक के सम्भरण की स्थिति लगभग तीन वर्ष में सुधर जाये, इन बातों से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उपभोक्ताओं के लिए उर्वरक के मूल्य उचित हों ।

सरकार द्वारा अपनाये गये नवीनतम उपायों से यह आशा होने लगी है कि आगामी तीन अथवा चार वर्षों में देश उर्वरक और दूसरे सम्बन्धित उद्योगों के लिए कारखाने बनाने में तथा उपकरण बनाने में बहुत हद तक आत्म-निर्भर हो जायेगा, इसके पश्चात उर्वरक कारखाने स्थापित करने में अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी । सरकार ने निर्णय

किया है कि विचाराधीन सभी प्रस्तावों पर दिसम्बर, 1965 की नीति के अमुसार निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती नारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार उर्वरक का स्वयं उत्पादन करने के प्रश्न पर विचार करेगी। क्योंकि दल टन नाइट्रोजन उर्वरक के लिए 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विदेशी फर्मों के साथ बातचीत नये सिरे से करने के लिए, स्वदेशी तकनीकी जानकारी का प्रयोग करने के लिए तथा अपने साधनों से उर्वरक के उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए विचार करेगी ?

श्री अशोक मेहता : स्वदेशी तकनीकी जानकारी हमने खरीद ली है तथा हम डिजाइन तथा इंजीनियरी क्षमता का निर्माण करके उसका उपयोग कर रहे हैं। यह कहना कठिन है कि 100 करोड़ की विदेशी मुद्रा उर्वरक उद्योग के लिए पृथक रखी जायेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the dispute with foreign firms relates to the capital to be invested or to the use of indigenous naphtha ?

Shri Asoka Mehta : Indigenous naphtha will be used in the manufacture of nitrogenous fertilizers.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : May I know whether Government is not sorry over not helping Dr. Mussadaq in his attempt to nationalise foreign oil companies in Iran.

श्री अशोक मेहता : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

Shri George Fernandes (Bombay East) : May I know the number of applications received from foreign firms to set up fertilizer factories in India after the announcement of concessions for a period of seven years along with the number of applications considered and the decision taken thereon ?

Shri Asoka Mehta : After the announcement of this policy licenses were issued for a 2 lakh ton plant at Kanpur, 1,60,000 ton plant in Goa, 1,30,000 ton plant at Kotah and 92,000 ton plant in Gujarat. In addition to it, a letter of intent was issued in favour of Phillips Petroleum. Negotiations are still going on with eight companies.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : May I know whether the concession will be allowed to those companies with whom negotiations are going on or whether it will be extended to other companies also ?

Shri Asoka Mehta : Concessions will also be extended to such other companies which obtain the industrial licence before 31st December and agree to commence the production within three years.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

Shri George Fernandes (Bombay East) : On a point of order, Sir, Dr. Ram Manohar Lohia raised the question of a gift of diamonds to the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi.

There was an editorial in 'Hindustan Times' relating to this matter.....(Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई अन्य मामला नहीं उठाया जा सकता ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I have seen the papers relating to the question of privilege raised by Shri George Fernandes.....

अध्यक्ष महोदय : यह मामला कार्य-सूची में दर्ज नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Kindly listen to Shri Joshi ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री एस० एम० जोशी : * *

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों तो किसी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir, According to May's Parliamentary practice.....

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न केवल उसी मामले के सम्बंध में उठाया जा सकता है जो सभा के सामने हो ।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फरूद्दीन अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-162/67]

खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 369 में प्रकाशित हुए थे [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-163/67]

* * कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* * Not Recorded.

नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों के बारे में अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1966 तक की अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के प्रवर्तन के बारे में अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-164/67]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1966 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 90 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 91 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1966 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 92 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-165/67]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) नकली रेशम का कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3532 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कपड़ा (विद्युत-करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3616 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3617 में प्रकाशित हुआ था।

- (चार) कपड़ा (बुनाई, कसीदाकारी, लेस बनाने तथा छपाई की मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 4 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 374 में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 445 में प्रकाशित हुआ था।
[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-166/67]
- (3) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के, 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-167/67]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

- (एक) कि लोक-सभा द्वारा 27 मार्च, 1967 को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि लोक-सभा द्वारा 27 मार्च, 1967 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (तीन) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1967 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (चार) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1967 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (पांच) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1967 को पास किये गये गोवा, दमण और दीव विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(छः) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1967 को पास किये गये गोवा, दमण और दीव विनियोग विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I wanted to know whether a point of order can be raised in between two items on the agenda.....

अध्यक्ष महोदय : जिस मामले की मैंने अनुमति न दी हो, वह इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 3 अप्रैल, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

- (1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आगे चर्चा।
- (2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना।
 - (क) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967
 - (ख) भूमि अर्जन (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 1967
 - (ग) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक, 1967
 - (घ) अत्यावश्यक वस्तुयें (संशोधन) विधेयक, 1967
 - (ङ) वित्त विधेयक, 1967
 - (च) संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़) : परमाणु हथियारों का उत्पादन बन्द करने के मामले में मैंने एक अनियत दिन वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी। मेरा निवेदन है उसे भी लिया जाये।

डा० राम सुभग सिंह : हम एक अनियत दिन वाला प्रस्ताव लेना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य अधिक समय तक बैठने के लिए तैयार हों तो हम ऐसे और प्रस्ताव ले सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : "Hindustan Times" has always been accusing and defaming me. That newspaper is not covering all the events in the House * * *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : * * *

***कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not Recorded.

Shri Ram Sewak Yedav (Bara Banki) : In spite of our repeated requests the Bills and other papers are not circulated in Hindi. I would also like to know whether the Hon. Prime Minister is giving a statement about the diamonds.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I would like to request you that time for the consideration of the report of the Monopolies Commission may also please be allotted. The Hon. Law Minister should give a statement on the judgement of the Supreme Court regarding fundamental rights after scrutinizing the judgement. The Hon. Minister of Commerce should also give a statement about Laxmi Cotton Mills as three and half a thousand workers are being retrenched.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would request you to allot some time for the discussion of the Education Commission's report and Centre State relations in the next week.

Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : As Shri Ram Sewak Yedav has suggested we will try our best to distribute bills and other papers in Hindi also, so far as the points raised by Shri Banerjee are concerned, I would request the Hon. Minister of Commerce but I do not think he will be in a position to give any information about the Laxmi Cotton Mills today. As regards other points I would say that time at our disposal is very short.

So far as points raised by Shri Madhu Limaye are concerned we will try our best to do whatever is possible.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Some of the important bills as Lands Acquisition Bill should be taken up next week.

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में
RE : POINT OF ORDER

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए समय दिया जाये कि क्या कोई सदस्य जिसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की हो देश से पृथकता की बात कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव-जारी
MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Ujjain) : The Hon. President has not made any mention to various problems facing the country. In the general elections many irregularities have been committed by the Government. Government machinery was used in propaganda campaigns of the Congress candidates.

The problem of rising prices has brought a lot of misery and hardship to the common man. Due to the high prices and short supply of foodgrains people are in a very bad condition in Madhya Pradesh. The Central Government has failed to supply adequate quantity of

foodgrains to that state. No supply was made till twenty days after the day of election and the supply which was made afterwards was rotten and unfit of human consumption.

The food zones should be done away with. Restrictions on the inter-state and then inter-district movement of the foodgrain are mainly responsible for these hardships and high prices of foodgrains. So I would request the Government to end these restrictions.

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूँ कि साम्यवादी दल (माक्स) तथा प्रजा समाजवादी दल ने इसमें भाग नहीं लिया है। दो बजे के बाद जब सभा पुनः समवेत होगी तो श्री गोपालन बोलेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे ०५ पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई नई बात नहीं है जिससे कि लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके। इससे लोगों के कष्टों के मूल कारणों का तथा पूरी अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान संकट को दूर करने के लिए सत्ताधारी दल की अनिच्छा का पता लगता है।

इसमें कहा गया है कि सरकार 1970 तक अनाज के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर देगी। दूसरे कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार यथासम्भव कार्यवाही करेगी और तीसरे सरकार अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करती रहेगी जिससे 1976 तक विदेशों पर निर्भरता न रहे।

जहां तक वर्तमान स्थिति तथा अपनाई जा रही नीति का सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल विष भरी आशाएं हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि प्रश्न यह नहीं है कि हम कितना रुपया खर्च करते हैं बल्कि यह है कि हम लोगों में कितना उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं यदि लोगों में उत्साह पैदा किया तथा इतना ही धन व्यय किया जाये तो भी उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। परन्तु इसके बावजूद भी लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक किसानों को भूमि देने के बचनों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता तब तक लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। गत पांच-छः वर्षों से कई राज्यों में भूमि सुधार कानून पास

किये गये हैं परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। हदबन्दी के बाद जो भूमि फालतू है उसका वितरण नहीं किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसी लगभग 52,000 एकड़ भूमि पड़ी है। इसी प्रकार आसाम तथा दूसरे राज्यों में बहुत सी भूमि पड़ी है जिसका वितरण नहीं किया गया है। उड़ीसा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में हदबन्दी कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है। देश में लाखों कृषि मजदूर हैं जो कि बेकार हैं यदि उनको भूमि दी जाये तो निश्चय ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। और साथ-साथ ग्रामों में बेरोजगारी का प्रश्न भी हल हो सकता है। परन्तु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

योजना आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में दो प्रकार के किरायेदार हैं। एक तो वह जिनको पट्टे की अवधि की समाप्ति के पश्चात निकाला जा सकता तथा दूसरे हैं सुरक्षित किसान। इनको तभी निकाला जा सकता है जबकि भूस्वामी ने स्वयं खेती करनी हो। योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अधिकारों के बारे में अभिलेखों की अनुपस्थिति में किसानों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून निष्प्रभाव हैं। साधारणतौर पर भूस्वामी इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसान उनकी मांग को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए भूमि सुधार कानून एक कपट है। मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परन्तु सरकार के आश्वासनों के बावजूद इनको बढ़ने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जब तक इस ओर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती तब तक यह कहना कि मूल्य कम हो जायेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, गलत है। सूती कपड़े की लगभग 60 मिलें बन्द हो गईं और एक लाख मजदूर बेकार हो गये हैं।

सरकार द्वारा अनुसरण की गई नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है तथा लोगों की दशा और अधिक बिगड़ गई है। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक मजूरी कम हो गई है। आर्थिक स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है।

हथकरघा उद्योग की स्थिति भी बिगड़ रही है। समाचारों से पता लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश में कारखानों के बन्द हो जाने के कारण लगभग बारह लाख मजदूर बेकार हो गये हैं, अथवा उनके पास पूरा काम नहीं है। सूत के महंगा होने के कारण केरल में हथकरघा उद्योग के साठ हजार मजदूरों को अपना रोजगार बदलना पड़ रहा है। देश के अन्य भागों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सरकार को उन लोगों की सहायता करनी चाहिए।

इंजीनियरिंग उद्योग, चाय बागान तथा चीनी उद्योग को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति के और अधिक बिगड़ जाने की आशंका है।

केरल में काजू के लगभग 40 कारखाने बन्द हो चुके हैं आज भी लगभग 19,000 कर्मचारी बेकार हैं। काजू उद्योग ने वर्ष 1966-67 में लगभग 36 करोड़ 26 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। नये कर लगाये जाने से इस उद्योग में भी असन्तोष फैला है।

रबड़ उद्योग की स्थिति भी गम्भीर है क्योंकि रबड़ के मूल्य बहुत कम हो गये हैं।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। टाइम्स आफ इंडिया में इन्हीं सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये 37 दिन हड़ताल रही। रबड़ बागान के मजदूरों ने 40 दिन तक हड़ताल की है। दिल्ली में भी तार बाबुओं को 'नियमानुसार काम करो' हड़ताल का आश्रय लेना पड़ा। पुलिस में भी हड़ताल हुई जहाँ कि पहले कभी नहीं हुई। अभी सभा में एक विधेयक पास किया गया है कि पुलिस वालों को संघ नहीं बनाना चाहिए।

देश में महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। अब जब कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है सरकार देश में यंत्रीकरण चालू करने के बारे में विचार कर रही है। श्री मोरारजी ने कहा है कि यंत्रीकरण के कारण किसी व्यक्ति की छंटनी नहीं की जायेगी, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसका भविष्य में नई भर्ती पर कुप्रभाव पड़ेगा और नई भर्ती बन्द हो जायेगी। देश में लाखों व्यक्ति पहले ही बेरोजगार हैं और नये यंत्रों से नये व्यक्तियों को रोजगार मिलना बन्द हो जायेगा, इसलिए हम इस यंत्रीकरण का समर्थन नहीं कर सकते।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्थिति की जांच के लिए गजेन्द्रकर आयोग नियुक्त किया है परन्तु इसका प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है।

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकता के बारे में शुद्ध भावनाएं व्यक्त की हैं। परन्तु इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्ताधारी दल के दैनिक व्यवहार से इन भावनाओं का पता नहीं लगता है। मैं यह मानता हूँ कि समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी हुई है परन्तु औद्योगिक विकास में कुछ राज्यों की उपेक्षा की गई है। यह स्वभाविक ही है कि उन राज्यों में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि केन्द्रीय सरकार उनसे सौतेली मां सा सलूक करती है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सर्वेक्षण से पता चलता है कि छः राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित हैं। इसलिए यदि हम वास्तव में राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर हैं तो इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में केरल की उपेक्षा की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में वहाँ पर कोई धन नहीं लगाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल 79 लाख रुपये का विनिधान किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 28 करोड़ 4 लाख रुपये का विनिधान किया गया है। जनसंख्या के आधार पर केरल को तीनों योजनाओं में अधिक भाग मिलना चाहिए था। केरल देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अतः इसका कुछ भाग केरल को मिलना चाहिए। केरल को कारखाने आदि लगाने के लिये 250 करोड़ रुपये का विशेष ऋण दिया जाना चाहिए।

जहाँ तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धों का सम्बन्ध है आशा है कि कोई संघर्ष नहीं होगा परन्तु जैसा कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि केन्द्रीय सरकार ने सहयोग नहीं दिया तो वह लोगों में उसका भंडाफोड़ कर देंगे। इसलिये केन्द्रीय सरकार को भी सावधानी से काम करना होगा। इस चेतावनी की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

अब यहां एक मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि वह केन्द्र के साथ सहयोग करेंगे परन्तु पन्द्रह या पच्चीस दिन पश्चात वह सरकार को चेतावनी देते हैं कि 'केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों का निरीक्षण हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं केन्द्र के साथ सहयोग न कर सका तो उसका कारण यह होगा कि मैंने अपनी जनता को वचन दे रखा है। उस समय मैं केन्द्र की सरकार के बारे में सारी जनता को बता दूँगा कि वह उनकी राह में रोड़ा अटका रही है।' आप इसे एक मूर्ख की बात न समझें।

कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार बनने पर मैंने भी कहा था कि यदि केन्द्र के रवैये में परिवर्तन न हुआ तो राज्यों तथा केन्द्र के बीच झगड़ा होगा।

अब मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा है कि केन्द्र से सहयोग नहीं मिल रहा उन्होंने कहा कि वह बर्मा से वस्तु विनिमय के आधार पर चावल मंगाना चाहते हैं। ऐसे ही यदि केन्द्र केरल को चावल नहीं दे सकता तो हमें बता दे ताकि हम मंडक निर्यात करके अन्न प्राप्त कर सकें।

कलकत्ता से छपने वाले "कैपिटल" के अनुसार भारत में राज्य सरकारों का व्यय 1951-52 से 1965-66 तक चौगुना हो गया है अर्थात् 409.22 करोड़ रु० से बढ़कर 1810.01 करोड़ रु० हो गया है। इसलिए गैर-कांग्रेसी सरकारों को उस कठिनाई में कार्य करना पड़ रहा है जो कांग्रेस सरकारों ने गत वर्षों से वहां इकठ्ठी कर दी थीं। वह समाचार-पत्र आगे चलकर लिखता है कि कोई नीति सम्बन्धी बड़ी घोषणा राज्य सरकारों के परामर्श के बिना नहीं करनी चाहिये। केन्द्र को राज्य सरकारों की आयकर में अधिक अंश प्राप्ति की मांग पर भी विचार करना होगा। ऐसे ही राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें निर्यात की कमाई में से पर्याप्त भाग देना होगा।

इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। यही बात कुछ अन्य मुख्य मंत्री भी सोचते होंगे परन्तु उन्होंने चेतावनी नहीं दी है। केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों को सुधारने के लिये यदि संविधान में परिवर्तन करना पड़े तो उस पर भी विचार करना चाहिए।

अब मैं एकाधिकारिता के बारे में कुछ कहूँगा। अभी हाल ही में आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा सबसे बड़ी 200 कम्पनियों के सर्वेक्षण के पश्चात समाचार दिया है कि देश में जो कुल औद्योगिक उत्पादन होता है उसकी 19 प्रतिशत बिक्री केवल बड़ी-बड़ी दस कम्पनियों के हाथ में है। यह 200 कम्पनियां 7600 करोड़ रु० की बिक्री के लिये जिम्मेदार हैं जोकि सार्वजनिक लिमिटेड तथा सरकारी कम्पनियों का 50 प्रतिशत भाग से अधिक है।

जब पूंजी का केन्द्रीकरण इतने ऊंचे स्तर पर होता हो तो इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों की मुनाफे-खोरी भी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यह कम्पनियां बिना कांग्रेसी सरकार की सहायता के इतना मुनाफा नहीं कमा सकती थीं। साथ ही यह भी बता दूँ कि यह तो इनके घोषित किये लाभ की बात है, बिना घोषित किये लाभों को काले धन में बढ़ावा दे रहे हैं।

प्रश्नों के घंटे के समय आज निर्यात पर चर्चा हुई। भारत का पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने से, विशेषकर अमरीका पर निर्भर रहने से देश के विभिन्न उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

सरकार द्वारा सलफर की कमी ने हमारे रसायन तथा खाद उद्योगों को रोका है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने पीछे जो परिवर्तन हुए उससे कुछ नहीं सीखा है तथा वही खाद्य तथा आर्थिक नीतियां चल रही हैं जो पहले चल रही थीं। यही बात सरकार की राजस्थान तथा हरियाणा में चलाई जा रही बातों से विदित है। मेरा कहना यह है कि आज जो कुछ हो रहा उससे सबक सीखिये तथा वैसा ही अपना आचरण कीजिये।

वत्सात्रेय कुण्टे (कोलाबा) : इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन करने वाले दो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह सदन का अपमान है जबकि प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक हो सके उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिये।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Mr. Deputy Speaker, from the speeches on the President's address it appears that the question of bread has dominated the discussion. I can appreciate the importance of the question of bread but it cannot be the "be-all and end-all" of all other questions. Even in U.S.A. where people do not suffer from the problem of bread yet they too are not happy.

It was decided by the Constituent Assembly that Hindi would replace English after a period of 15 years. This was to take place on 26th January, 1965. But in 1963 we passed another law whereby English was to continue along with Hindi for an indefinite period. Although Pandit Nehru gave some assurance about it then but now more assurances are being sought for.

I am sometimes misunderstood regarding my love for Hindi. I may say that I love all the other Indian languages equally. About English too, no literary person can hate English language. But English language has done damage to India. About U.P.S.C. examinations we have stated that we can have all the 14 national languages of India as the medium of answering questions.

Similarly I want to say that there should be facilities in Parliament so that members may speak in their own languages. All the Indian languages will have to replace English.

The address also mentions about ban on cow slaughter. I want to say that I am a worshipper of not only cow but of Indian culture also.

Some judgements have been delivered by the Supreme Court also about it. I want some arrangements to be made so that this problem may be solved once for all. I think the drought in the country is due to the cruelty which we have perpetrated over the cows over the years. In this country which has an ancient culture the sin of slaughter of cow is reflected in the occurrence of famines. We should ban slaughter of cows even if we have to amend our constitution or summon a new Constituent Assembly.

I hope Government will give consideration to these.

यन्त्रीकरण पर रोक लगाने के बारे में प्रस्ताव
RESOLUTION RE : BAN ON AUTOMATION

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० अनिरुधन अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री के० अनिरुधन : (चिरायिनकिल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“इस सभा की राय है कि जीवन बीमा निगम, तेल कम्पनियां और सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों की अन्य कम्पनियों में यन्त्रीकरण पर रोक लगाने के लिए सरकार को तुरन्त कार्यवाही करना चाहिए।”

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस समय पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। यन्त्रीकरण के प्रश्न का वित्त मन्त्रालय ने विरोध किया है। इसलिए अच्छा हो यदि कोई उस मन्त्रालय से अथवा श्रम-मन्त्रालय से भी यहां उपस्थित हो।

श्री के० अनिरुधन : मैं सरकार के सामने उस विरोध को रखना चाहता हूँ जो यन्त्रीकरण के विरुद्ध सामान्य जनता में और विशेषकर कर्मचारी वर्ग में फैल रहा है।

जो मशीन आयात की जा रही हैं उनमें स्वयंचालित गणक भी शामिल हैं। एक आई० बी० एम० 7093 गणक एक घंटे से भी कम में एक लाख क्लर्कों के एक दिन के कार्य को कर सकता है।

तीसरी योजना के अन्त में देश में बेरोजगार लोगों की संख्या 120 लाख व्यक्ति थी। यदि यन्त्रीकरण हो गया तो बेरोजगारों की संख्या और भी अधिक हो जायेगी। कलकत्ता स्थित काल्टेक्स के कार्यालय में 106 व्यक्ति पहले ही बेरोजगार हो गये हैं।

ऐसे ही गणक जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में लागू किये जा रहे हैं। 24 नवम्बर को भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केवल जीवन बीमा निगम में गणकों के कारण 383 स्थान समाप्त किये जायेंगे। हां 225 नये स्थान उत्पन्न किये जायेंगे। परन्तु इंग्लैंड के अन्दर इसी प्रकार गणकों के कारण 51,000 स्थान समाप्त कर दिये गये थे और केवल 8,000 नये स्थान उत्पन्न हुए। ऐसी ही स्थिति गणकों के कारण अमरीका में हो रही है। वहां की संसद ने तो इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय आयोग भी नियुक्त कर दिया है।

यह सच है कि जीवन बीमा निगम अधिकारी यह आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा। परन्तु ठीक इसी प्रकार का आश्वासन तीन कम्पनियों ने दिया था लेकिन अब उनके कर्मचारी सड़कों पर घूम रहे हैं। हमें पता है कि सरकार कहेगी कि गणकों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा नहीं देगी किन्तु जीवन बीमा निगम ने जो मशीनें खरीदी हैं उनके लिये एक करोड़ की विदेशी मुद्रा पहले ही दे दी है। गणकों की खरीद के सम्बन्ध में अमरीकी और ब्रिटिश कम्पनियों के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी है। उसके बाद हम अमरीका और ब्रिटेन पर निर्भर रहेंगे और वह उसका अनुचित लाभ उठाये बिना नहीं रहेंगे।

श्रमिक वर्ग ने इस चाल को पहले ही मांग लिया है और इसी कारण वह पिछले ढाई वर्ष से गणकों के संचालन के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा है। दिसम्बर 1965 में दिल्ली में 30 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 33 मजदूर संघों ने एक बैठक में गणकों के संचालन के विरुद्ध प्रस्ताव पस किया। 25 नवम्बर 1966 को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल भी की। चौथे आम चुनावों में भी कर्मचारियों ने यन्त्रीकरण के आधार पर चुनाव लड़े तथा जनता ने उस पर अपना मत व्यक्त किया। फिर भी सरकार तथा जीवन बीमा निगम के प्रबन्धक जीवन बीमा निगम में तथा अन्य संस्थाओं में गणकों के लगाये जाने पर कमर बांधे हुए हैं।

सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर यन्त्रीकरण मानने के लिए जोर डाल रही है। परन्तु सरकार को याद रखना चाहिये कि मार्च 1967 का भारत पहले वाला भारत नहीं है। कर्मचारियों ने इसके विरुद्ध लड़ने का फैसला किया हुआ है। यदि सरकार ने कलकत्ता में दूसरा गणक लगा दिया तो वे लगातार हड़ताल कर देंगे। कुछ राज्य सरकारों ने तो इस विषय पर चुनाव लड़ा और इसी कारण आज की पश्चिमी बंगाल की सरकार जनता को दिये गये वचन का पालन कर रही है तथा यन्त्रीकरण को समाप्त कर रही है। उसके पश्चात बाकी सरकारें भी वैसा ही करेंगी।

समाप्त करने से पूर्व मैं उपप्रधान मंत्री से एक अपील करूंगा कि आम चुनाव से 6 या 7 मास पूर्व उन्होंने बेरोजगारी को देखते हुए यन्त्रीकरण का विरोध किया था। फिर क्या कारण है कि अब वह अपना विचार बदल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी पूर्व की धारणा पर अमल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

“इस सभा की राय है कि जीवन बीमा निगम तेल कम्पनियों और सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों की अन्य कम्पनियों में यन्त्रीकरण पर रोक लगाने के लिए सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।”

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Mr. Deputy-Speaker, I rise to support this resolution. The subject matter of this resolution affects not only the LIC but other important economic issues. We have three economic issues viz. agriculture, unemployment and rise in prices. All the three are inter-related.

We are faced with food problem. The basic problem is purchasing power. In Bihar people are dying of starvation. In fact we do not suffer from lack of foodgrains but from lack of money to purchase that food. There is famine of purchasing power. Why we have the problem of purchasing power? It is due to unemployment.

[श्री मनोहरन पीठासीन हुए]
Shri Manoharan in the Chair

The food is available but money is scarce.

Hence the only test of the country's economic condition is whether work is available or not. I am sorry to say that our economic policies have failed. According to the data of the Planning Commission the number of unemployed people in the country is 130 lakh and more than three crore people are under-employed.

The land in our country is less whereas population is more. Hence our economic policies should be labour-oriented. But I am sorry to say that we are going in for automation.

Automation was used in U.S.A. and U.K. as there is shortage of manpower whereas the capital is in abundance. So their economy is capital-oriented.

The Government says that automation will not lead to retrenchment of people. My question is whether or not it will affect the employment potential of the country to which the Government gives evasive replies.

Our rulers appear to be belonging to slave dynasty. They are imitating the west in introducing automation when we already have a large number of unemployed people.

We should not copy the European countries in the matter of introduction of automation in industry as it does not suit the conditions prevailing in India. Our Economic policies and programmes should be labour-intensive and not capital-intensive. Instead of begging capital from foreign countries, we should employ our surplus manpower. We should not take any such step which may reduce our employment potential.

It has been said that by introducing automation, the L.I.C. would be able to provide better service for their policyholders. But the reason is not this. The bureaucratic machinery and over-centralisation are the reasons which come in the way of better service to the policyholders. The whole insurance system should be decentralised and small branches should be opened in sufficient numbers.

I request the ruling party to view this resolution in its correct perspective and give to it their whole-hearted support.

Shri Manibhai J. Patel (Damoh) : There is acute shortage of agricultural experts in this country which needs immediate attention. Farms of five to 20 acres of land should be set up and farmers should be made their shareholders—their share being the market value of their holdings. By this way the whole land would be put to use and there will be more of production.

My third suggestion is that two canals 25 feet wide should be constructed at every 25 miles from east to west and from north to south. This can be done if the surplus man-hours are put to use.

I oppose the suggestions made here by the other side.

श्री पाशाभाई पटेल (बड़ौदा) : यन्त्रीकरण काम को अधिक कार्यकुशलता से करने के लिये बहुत ही आवश्यक है। इससे बेकारी नहीं बढ़ती अपितु लोगों के काम में परिवर्तन हो

जाता है। उन्हें और अच्छा काम मिल जाता है। अमरीका में सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है परन्तु फिर भी वहां पर बेकारी नहीं है।

वित्त मंत्री यह आश्वासन दे चुके हैं कि यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, उनको अन्य किसी काम पर लगाया जायेगा। यन्त्रीकरण को प्रगति के चिह्न के रूप में लिया जाना चाहिये। यन्त्रीकरण के माध्यम से काम आसानी से किया जा सकता है। हमें कुछ हजार व्यक्तियों के हितों की अपेक्षा 50 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिये। यन्त्रीकरण भारत के हित में है और जितनी जल्दी हम इसे अपनाएंगे उतना ही अच्छा होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह संकल्प बहुत ही उपयुक्त समय पर लाया गया है। इसके लिये इस संकल्प के प्रस्तावक बधाई के पात्र हैं। इससे हमें यन्त्रीकरण के बारे में नए वित्त मंत्री के विचारों का पता लग जायेगा। इस पद पर आसीन होने से पहले उन्होंने कहा था कि हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि कम्प्यूटरों का उपयोग कर सकें। हम जानना चाहेंगे कि क्या अब भी उनका ऐसा ही विचार है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग 16-17 कम्पनियों को चार-पांच करोड़ रुपये की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर आयात करने की अनुमति दी है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने की अपेक्षा सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है और कुछ कम्पनियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिये बहुत बड़ी रकम दे रही है।

कालटेक्स और बर्मा शैल कम्पनियों में यन्त्रीकरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उनमें असंख्य कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। अतः यह कहना बिल्कुल गलत है कि यन्त्रीकरण से भविष्य में अधिक धंधे उत्पन्न होंगे। यहां तक कि अमरीका में भी श्रमिक वर्ग यन्त्रीकरण के विरुद्ध जी जान से लड़ रहा है। जन शक्ति तथा यन्त्रीकरण साथ-साथ नहीं चल सकते। यदि यन्त्रीकरण किया जायेगा तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर बेकारी फैल जायेगी। इसलिये हम इसके पूर्ण रूप से विरोधी हैं।

मैं इस बारे में वित्त मंत्री के सही-सही विचार जानना चाहता हूँ।

मैं श्री बनर्जी तथा मेरे नाम में दिये गये संशोधन के साथ इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I have given notice of one substitute motion. I did not get any opportunity to move it. If you allow, I can move it just now.

The Hon. friends opposite have said that we should not go in for automation. We are living in a scientific age and cannot afford to revert to the bullock-cart age. We would like to travel by fastest trains to attend the sessions of Parliament. If we were to use bullock carts for this purpose we will be missing the sessions completely.

I am therefore in favour of automation. Because it is a sign of progress. Modern means and scientific discoveries have proved a boon to the common man. We are on the way to progress and we do not to deviate from that.

We should adopt automation even if some persons are rendered unemployed. They can be employed in agricultural field. They will thus help us in increasing foodgrain production which is a paramount need of today.

Shri George Fernandes (South Bombay) : Mr. Chairman, on the 23rd in reply to my question, Shri Morarji Desai replied "that the employment potential will increase by the more efficient working of the L. I. C. because then its work will go on advancing and developing. More people will be employed as a result thereof. If that is not done, less people will be employed." In fact I never expected such a reply from him. If there is retrenchment due to automation, the work of L. I. C. is not going to increase thereby. You will have to make a provision that people have more money in their pocket. The idea of introduction of automation here can emanate from a dull headed person only.

So far as it relates to automation in private companies, I have to say only this much that they are concerned more with their profits than anything else. But this cannot behove the Government of India to copy them in this respect.

An American company know as International Business Machines is responsible for installation of automation. I may read here a sentence of Mr. Thomas J. Watson who is the head of I. B. M. He said that its greatest economic benefit and most effective rally appeal is that it is a substitute for human operation and control. He further said that automation's greatest potential benefit would be elimination of labour. The Government has announced that the number of unemployed people in India is 150 lakh.

L. I. C. is a place where the boys and girls of middle class families are employed. What will be result of introduction of automation in it? Those boys and girls who will pass Matriculation, Intermediate and B. A. Examinations will not be able to get jobs there.

The main problem with automation will be the number of persons in substitution for whom the automatic machine will work.

This Government is so shameless that it granted foreign exchange to an American company to the tune of Rs. 35 Lakh to start a biscuit factory in Madras. The representations of All India Biscuit Manufacturers Association had no effect on the Government. This sum was sanctioned even after devaluation of rupee was announced.

In this connection I want to state what Mr. John Kenneth Galbraith in "Economic Development" has written about automation. He said : This technology should not be taken over by countries in the earlier stages of development. To do so is to waste scarce resources and handicap development and much more than incidentally, to add to unemployment". I want the Hon. Minister to ponder over these remarks.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

I want this problem to be viewed from two angles—one that till such time as all the people, especially literate young people are given jobs, the automation should not be introduced here. Secondly the foreign exchange should not be given to those schemes which will render people unemployed. It should be utilised only for increase in food production and for small scale industries.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय श्री जार्ज फरनेन्डीज ने स्वतन्त्र दल के सदस्य पर अमरीका का एजेंट होने का आरोप लगाया है। उन्हें यह शब्द वापिस लेने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री पाशाभाई पटेल (बड़ौदा) मैं आई० बी० एम० का एजेंट नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं 10 वर्ष तक ओरियेन्टल बीमा कम्पनी का निर्देशक था और इसलिये बीमा के बारे में बहुत अधिक पता है। वहाँ मेरा कार्य यह था कि बीमा कराने वालों के हितों की रक्षा करना था। वहाँ यदि मैं अपने बीमा के बारे में पता लगाना चाहता था तो 15 दिन लग जाते थे। लेकिन यन्त्रीकरण से कार्य शीघ्र हो जाया करेगा।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : महोदय, अभी श्री पटेल ने अपना स्पष्टीकरण दिया। परन्तु नियमों के अनुसार ऐसा करने से पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य महोदय आपस में आरोप लगाते रहें तो कार्य चलाना कठिन हो जायेगा।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Mr. Deputy-Speaker, whensome allegations are made you are to give ruling on that. But in the present case you have not done so.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मेरी गैरहाजिरी में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तो मैं उन पर विचार करूंगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy-Speaker, there are three aspects of the resolution under discussion. The first relates to human problem. Secondly it relates to unemployment. Thirdly it relates to its practical and scientific aspect. This relates to the livelihood of 40 thousand people who are employed in L. I. C. and other places. I do not agree with Shri George Fernandes to drag the Government on every issue.

But so far as the employment of the 40,000 people of L. I. C. is concerned, that requires consideration. The minister should ponder over it in a sympathetic manner.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके कारण किसी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा।

Shri Randhir Singh : Then this resolution is unfounded, Where there is no cause of action, the action does not lie.

The present period is of progress and science. Machines are being used in every sphere of life. We find their use in Parliament House too. Gandhiji did not oppose science if it did not lead to unemployment. Are we to make use of science or not? The present is an age of science and use of science is an inevitable fact. I want automation. I want to tell Shri Fernandes that 40 lakh poor peasants were killed in Russia when collectivisation was introduced in land.

there. We are against state control of land. Those who are rendered unemployed due to introduction of machines, are utilised elsewhere. We in the Congress have sympathies with labourers and employees. The member should withdraw his resolution.

श्री वी० कृष्ण मूर्ति (कूडलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से मैं इस संकल्प तथा संशोधन का समर्थन करता हूँ ।

हमारा निर्धन लोगों का देश है जहां एक व्यक्ति की आय 70 पैसे अथवा 1 रु० है । हमें अमरीका से मुकाबला नहीं करना चाहिए । यहां लाखों लोग बेरोजगार हैं । फिर सरकार यन्त्रीकरण क्यों लागू कर रही है । बम्बई में उन्होंने इसे लागू कर दिया है । मद्रास में भी लागू कर रहे हैं । मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि वह इसे मद्रास तथा कलकत्ता में लागू नहीं कर सकेंगे । पहले ही स्वर्ण नियन्त्रण की नीति के कारण लाखों लोग बेकार हो गये थे । अब भी सरकार वही तर्क दे रही है जो स्वर्ण नियन्त्रण के समय देती थी कि कोई व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं होगा । कांग्रेस वालों को चाहिये कि 53 व्यक्ति क्यों मंत्री पद पर हैं । वहां भी यन्त्रीकरण करो । वह कहते हैं कि अब भी गांधी जी के चेले हैं । परन्तु वे नहीं, हम हैं गांधी के असली चेले । इस यन्त्रीकरण के यन्त्रों पर 6 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होगी । क्या हमें खाद्य की कमी के समय ऐसा करना ठीक है ? देश के हित तथा श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए यन्त्रीकरण को समाप्त करना चाहिए ।

Shri Shiv Narain (Basti) : Mr. Deputy-Speaker, I rise to oppose this resolution. The Finance Minister has stated that no one will be retrenched. So the automatic machines should be introduced in this country. I am against capitalists. Only those people know about the inefficiency in L. I. C. who have insured themselves. Vast areas of land are lying unused in this country. We want to have good farmers who can produce more. We want automation for strengthening this country.

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : मुझे खेद है कि सत्तारूढ़ दल के सभी वक्ताओं ने इस महत्वपूर्ण विषय पर पक्षपातपूर्ण विचार प्रकट किए हैं । इस विषय में मुख्य रूप से दो बातें हैं एक तो कर्मचारियों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करना और दूसरे कांग्रेस दल की उद्योग सम्बन्धी नीति से जनता में बेरोजगारी बढ़ना ।

गान्धी जी तो स्वयं छोटे उद्योगों के पक्ष में थे । परन्तु कांग्रेस दल के सदस्य गान्धी जी के इस विचार से सहमत नहीं हुए और इसलिए उन्होंने ऐसी मशीनों का प्रयोग आरम्भ किया जिससे श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़े । इसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ेगी । इसलिए मैं सत्तारूढ़ दल से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विषय पर शान्तिपूर्वक फिर से विचार करें क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही से बेकारी बढ़ेगी । यदि हम इतनी बड़ी इलेक्ट्रानिक मशीनों की स्थापना करेंगे तो बेकारी की समस्या का कभी समाधान हो ही नहीं सकता ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों में मैट्रिक पास 9 लाख लोगों के नाम पंजीकृत थे । चतुर्थ योजना के अन्त में इसकी संख्या 2.5 करोड़ हो जायगी ।

जीवन बीमा निगम ने कुछ लोगों को काम पर लगाया है परन्तु वर्ष 1965 से कोई भरती नहीं हुई। अब जीवन बीमा निगम का व्यापार भी पहले से कम हो गया है। ऐसी अवस्था में बेकारी की समस्या पर शान्तिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से सोचना चाहिए।

यह ठीक है कि विकसित देशों में स्वचालित मशीनों से काम होता है, परन्तु व्यवस्था वहीं सफल होती है जहाँ श्रमिक न मिलते हों। जापान और जर्मनी में ऐसी स्थिति है। इन देशों का चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ भी व्यापार चलता है। परन्तु भारत में ऐसी बड़ी मशीनें लगाने से बेकारी बढ़ जायगी। हम यह नहीं चाहते कि मशीनें मनुष्यों की जगह काम करें। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस दृष्टि से इस विषय पर विचार करेंगे।

श्री प्रसन्न कुमार घोष (रांची) : श्री अनिरुधन के संकल्प पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। विरोधी दलों के रचनात्मक सुझावों को मानने में हमें संकोच नहीं होना चाहिये। यह सत्य है कि स्वचालित मशीनों की स्थापना से बेकारी और बढ़ जायगी। परन्तु कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ स्वचालित मशीनों के बिना काम नहीं चल सकता जैसे टेलीफोन एक्सचेंज आदि। परन्तु यदि स्वचालित यन्त्रों का प्रयोग जीवन बीमा निगम में किया गया तो लगभग 30,000 कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। वित्त मंत्री ने छूटनी न करने का वचन पहले ही दे दिया है। इन परिस्थितियों में यदि हम इन फालतू कर्मचारियों को काम पर लगाते हैं तो नये व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिला सकते और इसके फलस्वरूप जनता में असंतोष फैल जायेगा।

यदि जीवन बीमा निगम को स्वचालित मशीनें लगाने की आज्ञा दी जाती है तो अन्य उद्योग भी ऐसा ही करेंगे और बेकारी की विकट समस्या और गम्भीर रूप ले लेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश में स्वचालित मशीनों का उत्पादन बन्द कर देना चाहिए और विदेशों से भी ऐसी मशीनों का आयातन किया जाना चाहिए। क्योंकि इस आयात का लाभ तो केवल पूंजीपतियों को हो रहा है। इस विदेशी मुद्रा का उपयोग ऐसे उद्योगों के लिए किया जाना चाहिए जिससे देश में बेकारी की समस्या के समाधान में सहायता मिले।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं संकल्प के प्रस्तुतकर्ता सदस्य का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार का एक संकल्प पंद्रहवें श्रम सम्मेलन में भी स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार ऐसे वैज्ञानिक या यन्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है जिससे बेकारी बढ़े। इस संकल्प पर चर्चा के समय बहुत से माननीय सदस्यों ने जीवन बीमा आयोग की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। जहाँ तक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का सम्बन्ध है इसकी इतनी समस्या नहीं है। आई० बी० एम० के सौदों का भुगतान तो अवरुद्ध रूपया व्यवस्था के अधीन होगा। इसमें विशेष बात यह है कि इस आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दी जायगी और न ही विक्री द्वारा अर्जित धनराशियों को 10 वर्षों तक भेजने की अनुमति दी जायगी। परन्तु कुछ वायदों के लिए व्यवस्था करने के बाद कम्पनी को निर्यात से होने वाली वास्तविक विदेशी मुद्रा की आय का 50 प्रतिशत भेजने की अनुमति दी जायेगी। इसके साथ ही

भारत में अपने खर्च को पूरा करने के लिए रुपया निधियों का प्रयोग किया जा सकता है। आइ० सी० टी० गणक का क्रय मूल्य भी रुपयों में दिया जा सकेगा। इन गणकों के आयात के लिए धन की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रबन्ध पर सरकार अभी विचार कर रही है। इसलिए विदेशी मुद्रा का प्रश्न उठाना अभी उचित नहीं।

अब प्रश्न यह है कि यंत्रीकरण से बेकारी बढ़ जायेगी। गणक प्रणाली के फलस्वरूप लगभग 383 व्यक्ति बेकार हो जायेंगे परन्तु इसके साथ ही गणक मशीनों के चलाने के लिए 225 पद और बन जायेंगे जिससे केवल 158 व्यक्ति बेकार होंगे जबकि जीवन बीमा निगम में प्रत्येक वर्ष 1500 पद नये बनते हैं। हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बेकारी बढ़े।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोट्टै) : क्या मंत्री महोदय को जीवन बीमा निगम के इस गुप्त दस्तावेज का पता है जिसमें यंत्रीकरण के फलस्वरूप होने वाले व्यक्तियों के आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार ऐसे बेकार व्यक्तियों की संख्या 30,000 है। इसलिए मंत्री महोदय की बात बिलकुल असत्य है।

श्री ल० ना० मिश्र : श्री उमानाथ की गोपनीय दस्तावेजों तथा अमरीकी गुप्तचर विभाग के दस्तावेजों तक पहुंच है, परन्तु उनकी पहुंच इस दस्तावेज तक नहीं।

श्री उमानाथ : यह जीवन बीमा निगम का दस्तावेज है जीवन बीमा निगम वाले आपको गलत आंकड़े दे रहे हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : वे गलत सूचना क्यों देंगे ?

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : On a point of order, Sir. There are two different versions before the House. We do not know which one is correct. How to find out the truth?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री ल० ना० मिश्र ने केवल श्री सचीन्द्र चौधरी की बात की ही पुनरावृत्ति की है। यंत्रीकरण से बेकारी बढ़ेगी। एक ब्रिटिश समाचार एजेन्सी के अनुसार यंत्रीकरण से 51,000 पद समाप्त हो जायेंगे और 8,000 पद नये बनेंगे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसियेशन मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहती है कि छटनी नहीं की जायगी। इसलिए इस प्रश्न पर फिर से चर्चा की जानी चाहिए ताकि हम यह प्रमाणित कर सकें कि मंत्री महोदय द्वारा दी गई सूचना गलत है।

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : मैं श्री यादव के व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। परन्तु इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं क्योंकि कोई भी दस्तावेज.....

श्री आनन्द नम्बियार : आपने उसे अस्वीकार कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक गोपनीय दस्तावेज है जिसे श्री उमानाथ प्राप्त कर सकते हैं। वह दस्तावेज किस बारे में है, कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में.....

श्री आनन्द नम्बियार : आप उस दस्तावेज की जांच कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे सभा-पटल पर रखने की आज्ञा नहीं दूँगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री महोदय ने यह बात मानी है कि यन्त्रीकरण के फलस्वरूप नौकरी की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यन्त्रीकरण से केवल 50 व्यक्ति प्रभावित होंगे परन्तु श्री उमानाथ के पास जीवन बीमा निगम का जो दस्तावेज है, उसमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या 30,000 बताई गई है। सभा को सच्चाई का पता चलना ही चाहिए।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने पहले भी यह आश्वासन दिया था और अब फिर सरकार की ओर से सभा को आश्वासन दिलाता हूँ कि संगणक (कम्प्यूटर) लग जाने से किसी प्रकार की छंटनी नहीं होगी। हम संकल्प में निहित भावना को स्वीकार करते हैं और हम सिद्धान्त रूप में इससे सहमत हैं। यदि विरोधी दल किसी राजनैतिक विचार से इस बात का विरोध न करते हों तो हम आपस में बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।

जहां तक तेल कम्पनियों का सम्बन्ध है, हम स्वयं इस समस्या के समाधान के लिए चिन्तित हैं। कुछ दिन पूर्व इस विषय पर हमने श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य मजदूर नेताओं से बातचीत की थी। हम तेल कम्पनियों में भी यन्त्रीकरण या वैज्ञानिकीकरण के फलस्वरूप किसी प्रकार की छंटनी नहीं करना चाहते। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम अगले महीने एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुला रहे हैं।

श्री सरोज चौधरी ने लोक सभा में यन्त्रीकरण के विरुद्ध एक याचिका भेजी थी। तृतीय लोक सभा की याचिका समिति ने इस याचिका पर विचार करने के बाद कुछ सुझाव दिये थे। समिति की पहली सिफारिश यह थी कि समिति ने यह महसूस किया है कि सरकार ने याचिका-दाता का बेकारी सम्बन्धी भय दूर करने का प्रयास किया है और उसे यह भी बताया है कि गणकों के आयात के लिये कुछ सीमित विदेशी मुद्रा का ही उपबन्ध है और देश में ही ऐसी मशीनों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है। जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के कार्यालयों में छंटनी नहीं होगी। समिति के अनुसार अब इस विषय पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हम समिति की इन सिफारिशों से सहमत हैं।

हम स्वयं ऐसी परिस्थितियों से सम्भावित बेकारी और छंटनी के खतरों से परिचित हैं। हम कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हैं। अब मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संकल्प को वापिस ले लें।

श्री के० अनिरुधन (चिरपंकील) : मैं मंत्री महोदय के विचारों से सहमत नहीं हूँ। मुझे आज ही दुर्गापुर से एक तार मिला है जिसमें लिखा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में अप्रैल, 1967 में इलैक्ट्रॉनिक गणक लग जाने की आशा है। यहां के कर्मचारी यंत्रिकरण के विरुद्ध हैं और उनके मन में भारी नाराजगी है। मंत्री महोदय छंटनी न करने के आश्वासन देते हैं परन्तु इन आश्वासनों का कार्यान्वयन नहीं होता। तेल कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए भी ऐसा आश्वासन दिया गया था परन्तु वे अब गलियों में घूम रहे हैं। जब तक मानव-शक्ति का हम पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते तब तक हम सुदृढ़ भारत का निर्माण नहीं कर सकते। मैं केरल का प्रतिनिधि हूँ इस राज्य में चार लाख से अधिक शिक्षित नौजवान बेकार पड़े हैं। चार सौ से अधिक तो इंजीनियर स्नातक ही बिना रोजगार के हैं। इतने डाक्टर, इंजीनियर आदि शिक्षित वर्ग के होते यंत्रिकरण की आवश्यकता ही क्या है। माननीय मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने श्री इन्द्रजीत गुप्त को कुछ मास पूर्व एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका यंत्रिकरण का कोई विचार नहीं। सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिये बेकारी को दूर करना आवश्यक है। इसलिए मैं मंत्री महोदय के यंत्रिकरण सम्बन्धी विचार से सहमत नहीं हो सकता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधन इकट्ठे रखूंगा।

अध्यक्ष द्वारा सभी संशोधन संख्या 1, 2 तथा 3 मतदान के लिये
रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The Amendments No. 1, 2 and 3 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

“इस सभा की यह राय है कि जीवन बीमा निगम, तेल कम्पनियों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की अन्य कम्पनियों में यंत्रिकरण पर रोक लगाने के लिये सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए”।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was negatived.

कपड़ा उद्योग में संकट के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. CRISIS IN TEXTILE INDUSTRY

श्री पी० पी० एस्थोस (मुवात्तुपुजा) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कपड़ा उद्योग में विद्यमान संकट को देखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप मिलें बन्द हैं, और बुनकर भारी संख्या में बेरोजगार हो गये हैं, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी बन्द मिलों का प्रबन्ध तुरन्त अपने हाथ में ले ले”।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोट्टै) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री के० रुग्णी (कोयम्बटूर) : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री पी० पी० एस्थोस : आज देश में हथकरघा बुनकरों और कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के सामने बड़ी कठिन स्थिति है। कपड़ा उद्योग में भारी संकट होने के कारण वह सरकार से सहायता चाहते हैं। वर्ष 1966 में कपड़ा उत्पादन में भारी कमी हुई है। हथकरघा उद्योग की गति भी बहुत धीमी हो गयी है। कपड़ा उद्योग में जनवरी से अगस्त तक की अवधि में 7,83,000 लोग काम करते थे जबकि 1965 में 8,34,000 लोग काम कर रहे थे अर्थात् इस संख्या में 50,000 की कमी हो गई। वर्ष 1967 के प्रथम तीन महीनों में स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। 45 लाख औद्योगिक कर्मचारियों में से सूती कपड़ा उद्योग में 9 लाख व्यक्ति काम करते हैं। हथकरघा उद्योग में 30 लाख से 60 लाख तक व्यक्ति काम करते हैं।

भारत में 600 मिलें हैं। इसलिए कपड़ा उद्योग के संकट की स्थिति से पर्याप्त जनसमूह की हानि होगी।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1967 को पास किये गये राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1967 को पास किये गये राजस्थान विनियोग विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

श्रीमती स्वेतलाना अलेलुइवा के भारत से पश्चिमी देश को

चले जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: DEPARTURE OF SVETLANA ALLILUEVA FROM INDIA TO WEST

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): The Svetlana issue is a matter between India and Mrs. Svetlana. Some persons have made an attempt to induct U. S. S. R. and U. S. A. in discussing the matter.

The Minister of External Affairs had stated in the House on the 21st March, 1967 that it was absolutely incorrect to say that Mrs. Svetlana had made any request to the External Affairs Ministry or to any Minister or to the Prime Minister to stay in this country. He also stated that they had extended the **Visa** and there was no question or suggestion that she wanted to stay on in India. He also said that she had expressed no desire whatever to continue to stay in this country. But in the letter which Mrs. Svetlana wrote to Shri Devander Bihari she had stated that since Raja Sahib was happy to learn that she was going to Moscow she could stay in Kalakankar to her satisfaction. She had also stated that she had grown sick and tired of this matter. It was so because whenever she had expressed her desire to stay in India to the External Affairs Ministry or to a Minister she was discouraged. She had also talked to some judges in Allahabad about her wish to stay in India. Then in her address at a meeting in the Lion's Club at Allahabad on the 24th February, she had stated that she loved India and that she desired to stay here for long.

Regarding citizenship we consider it on a physical point of view. Besides we also take into consideration the mental, cultural point of view.

Mrs. Svetlana is not only the daughter of Stalin but she is the widow of late Shri Brajesh Singh and from that point of view she is Indian.

Her going to the West, where newspapermen would try to draw her out on everything, was worse for the Soviet Union than if she had stayed here.

Government should take steps to bring Mrs. Svetlana back to this country. This will not strain the relations between India and U. S. S. R. that would improve our relations with that country.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सदस्यों की सूची है। आधा घन्टा इस प्रकार लग चुका है। क्या इस पर आधा घन्टा और विचार किया जाये ? माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें और फिर मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): This discussion can go for 2½ hours. Otherwise there will be no difference between half-an-hour discussion and this discussion. Let this discussion go for two hours.

अध्यक्ष महोदय : 2½ घन्टे तो अधिकतम समय है। इस पर एक घन्टा चर्चा काफी है। केवल उन ही सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा जिन्होंने इसकी सूचना दे दी है। यदि सभा एक घन्टा और बैठने को तैयार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी।

Shri Surendra Nath Dwivedi (Kendrapara): Mr. Speaker, Sir, the Svetlana issue is the major issue before Parliament. The statements made on behalf of the Government in both the Houses has only made this more mysterious. The External Affairs Minister has not come out with all the facts.

From the letter read out to us, it is clear that Shri Dinesh Singh, who was at that time a Minister in the Ministry of External Affairs, did not want Mrs. Svetlana to stay on in India. Was it because, being her aunt, Mrs. Svetlana's stay in India would have raised questions like her right in property?

Nobody on earth can agree with this point that Svetlana, who came here after travelling such a long distance and leaving her children in U. S. S. R., did not want to stay in India. She even expressed her desire to stay here. When so many things are being said, why does not Shri Dinesh Singh come before the House with all the facts?

It is not a correct stand that India would consider her return if she applies. We should call her without any application being made on her part.

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं डा० लोहिया के हर शब्द का समर्थन करता हूँ। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह कहां तक सच है कि इस महिला को भारत से बाहर भेजने के लिए श्री दिनेश सिंह जिम्मेदार हैं और इसमें उन्हें श्री एल० के० झा और सी० आई० ए० का सहयोग प्राप्त हुआ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोट्टै) : इस प्रश्न में हमारे देश और रूस के सम्बन्ध निहित हैं और दूसरी ओर हमारी अपनी प्रभुसत्ता का भी सवाल है। इसलिये इस प्रश्न पर किसी दल विशेष के दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिये।

मेरी जानकारी यह है कि श्रीमती स्वेतलाना को भारत लाने और फिर उन्हें यहां से पश्चिम देश को भेजने की व्यवस्था जनवरी, 1966 से ही की जा रही थी। दूसरे श्री दिनेश सिंह ने सोवियत सरकार के नेताओं से बातचीत करके श्रीमती स्वेतलाना के भारत आने की आर्थिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली थीं और तीसरे जब वह कालाकांकर और लखनऊ में थीं तो सी० आई० ए० के लोगों ने उनसे बातचीत की थी।

एक और जानकारी यह है कि भारत से स्विटजरलैण्ड जाने के दिन शाम को 4 बजे जब वह सोवियत दूतावास में थीं तो उन्हें टेलीफोन पर श्री दिनेश सिंह के घर जाने के बारे में और फिर विदाई भोज के लिये श्री टी० एन० कौल के घर जाने को कहा गया। उसके बाद वह श्री दिनेश सिंह के घर चली गईं और शाम को लगभग 7 बजे जब श्री टी० एन० कौल की पुत्री उनको लेने के बहाने सोवियत दूतावास पहुंची और जब वह श्री दिनेश सिंह के घर से नहीं लौटीं तो पूछताछ करने पर पता चला कि वह जमुना गई हैं। और इस प्रकार वह अमरीकी दूतावास तक जाने के लिये बहाना था।

वैदेशिक कार्य मंत्री ने बताया कि विदेशियों के लिये 'पी' फार्म की आवश्यकता नहीं है। मेरी जानकारी यह है कि नियम ये हैं कि यदि कोई विदेशी विदेशी मुद्रा में टिकट खरीदता है तो 'पी' फार्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि टिकट भारतीय मुद्रा में खरीदा जाता है तो 'पी' फार्म की आवश्यकता होती है। ये टिकट कुछ विदेशी मुद्रा देकर और कुछ भारतीय मुद्रा

देकर खरीदा गया। तो फिर उनको बिना 'पी' फार्म के कैसे जाने दिया गया। शायद श्री दिनेश सिंह ने हवाई अड्डा अधिकारियों को इस बारे में टेलीफोन किया हो कि उन्हें बिना 'पी' फार्म के जाने दिया जाये अन्यथा हवाई अड्डा अधिकारियों ने नियमों की अवहेलना की।

पता नहीं अमरीकी दूतावास में द्वितीय सचिव, श्री रे जो अमरीकी गुप्तचर विभाग का है, श्रीमती स्वेतलाना के साथ स्विटजरलैण्ड तक क्यों गया। उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी क्योंकि श्रीमती स्वेतलाना ने न तो अमरीका की नागरिकता स्वीकार की थी और न ही उसे अमरीका में शरण मिली थी। वह तो एक सोवियत नागरिक थी। इस प्रकार उन्होंने हमारी प्रभुसत्ता का हनन किया है। उनको यहां से वापस भेजा जाये।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं श्री लोहिया की बातों से सहमत हूं। हमारे देश में अनेक विदेशी रहते हैं। शिवानन्द आश्रम में विभिन्न देशों से आये व्यक्ति रहते हैं। श्रीमती स्वेतलाना के यहां व्यवहार से कि वह गंगा में नहाती थीं और हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर भगवान कृष्ण की पूजा करती थीं पता चलता है कि उसको भारत से लगाव था। यदि हम उसको इस देश में शरण देते हैं तो इससे रूस के साथ हमारे सम्बन्ध नहीं बिगड़ेंगे। हमें उसकी कठिनाइयों से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। हमें निडर होकर जो काम ठीक है, वह करना चाहिये। हमें इस महान देश की पुत्र-बधू को संरक्षण देना चाहिये।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि श्रीमती स्वेतलाना ने अमरीकी डालरों और भारतीय मुद्रा में स्विटजरलैण्ड का टिकट खरीदा। मंत्री महोदय यह बतायें कि उन्हें अमरीकी डालर कैसे प्राप्त हुए। यदि उन्होंने भारतीय मुद्रा में टिकट खरीदा तो उन्हें बिना 'पी' फार्म के कैसे टिकट दिया गया ?

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए]
[Shri Balraj Madhok in the Chair]

Shri Madhu Limaye : According to the New York Times of the 20th March, 1967, Svetlana "wanted nothing more than to remain in Kalakankar for at least a foreseeable future, if not for the rest of her days." I hope that the Hon. Minister will accept this fact and invite her to come back to this country with honour.

Shri George Fernandes (Bombay South) : Has the attention of the Minister of External Affairs been drawn or has he seen the letters written by Shri Dinesh Singh or Shri T. N. Kaul, or by both, to some official of the U. S. Embassy in Delhi? Has the Hon. Minister also been informed by the Indian Ambassador in Moscow that the Russian Foreign Minister Mr. Gromyko had called the U. S. Ambassador in Moscow and told him that there were papers to prove that certain Ministers and officers of the Indian Government had appealed to the U. S. Embassy in Delhi for help in sending Svetlana out of India? Thirdly the visa of Mrs. Svetlana expired on the 20th January and was extended only after the 2nd March. How did she stay in India between the 20th January and 2nd March?

Shri Randhir Singh (Rohtak): Keeping this thing into consideration, that Shri Brajesh Singh's one wife and her child are still alive, it is a sheer propaganda to suggest that Shri Dinesh Singh had arranged to send Mrs. Svetlana out of India as she might have claimed a share in the property of Shri Brajesh Singh.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाड़े) : क्या मंत्री महोदय ने इस बात की सत्यता का पता लगाया है कि श्रीमती स्वेतलाना ने भारत में रहने या किसी अन्य देश को जाने की अपनी इच्छा के बारे में व्यक्तिगत रूप से श्री दिनेश सिंह से बातचीत की थी ? क्या यह भी सच है कि उनके पासपोर्ट पर पृष्ठांकन नहीं किया गया था; और यदि हां, तो अधिकारियों ने इस बात का पता क्यों नहीं किया कि क्या श्रीमती स्वेतलाना सन्देशास्पद परिस्थितियों में भारत से बाहर जा रही थी ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री सु० क० चागला) : मैं श्रीमती स्वेतलाना के लिये माननीय सदस्यों की सहानुभूति की प्रशंसा करता हूँ। परन्तु यह स्मरण रखा जाना चाहिये कि यह ऐसा मामला नहीं है कि एक महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध इस देश से निकाला गया है। हम अपने देश में आने वाले सभी व्यक्तियों का सदा स्वागत करते हैं और हमने कभी किसी को जबरदस्ती देश से बाहर जाने के लिए नहीं कहा। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने इन महान परम्पराओं का उल्लंघन नहीं किया है।

यह कहना ठीक नहीं है कि श्री दिनेश सिंह और रूसी सरकार के बीच फैसला हुआ था कि वह स्वेतलाना की यात्रा का खर्च उठाएंगे और वह उसके भारत में निवास के लिये उत्तरदायी होंगे।

जहाँ तक श्रीमती स्वेतलाना और श्री ब्रजेश सिंह के परस्पर सम्बन्ध का प्रश्न है, श्री ब्रजेश सिंह की पत्नी भारत में रहती थी जो अदालती रूप से उससे अलग हो चुकी थी और उन्हें कानूनी तथा तकनीकी रूप से शादी नहीं करनी चाहिये थी परन्तु वे पति-पत्नी के रूप में रहे और एक-दूसरे के प्रति वफादार रहे।

स्वेतलाना रूसी पारपत्र पर भारत आई थी और उनके पास दो-सप्ताह के लिये 'वीसा' था। जब उस 'वीसा' की तिथि समाप्त हो गई तो हमने उसे वापस जाने के लिये नहीं कहा। 24 फरवरी को रूसी दूतावास के माध्यम से 'वीसा' की तिथि बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र दिया गया। 15 मार्च को 'वीसा' की तिथि बढ़ाई गई। फिर भी 7 मार्च को रूसी दूतावास ने श्री कौल को सूचित किया कि श्रीमती स्वेतलाना पिछली रात रोम के लिये रवाना हो गई हैं। यह बिल्कुल गलत है कि श्री कौल और श्री एल० के० झा ने अमरीकी खुफिया विभाग के एक एजेंट के साथ उसे अमरीका ले जाने के लिये सांठगांठ की थी।

स्वेतलाना के चले जाने के बारे में रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय से पता लगाया गया है। दो टिकट जारी किये थे। एक टिकट स्वेतलाना के लिये था और दूसरा अमरीकी सज्जन के

लिये था जो स्वेतलाना के साथ गया। इन टिकटों का कुछ भुगतान डालरों में और कुछ भारतीय मुद्रा में किया गया था। जहां तक 'पी' फार्म का सम्बन्ध है, यदि विदेशी थोड़ी अवधि के लिए ठहरें तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिये सांठगांठ की सारी बात बिल्कुल निराधार है।

श्री उमानाथ : यदि एक विदेशी टिकट के मूल्य का कुछ भाग भारतीय मुद्रा में देता है तो क्या उस अवस्था में 'पी' फार्म की आवश्यकता नहीं होती? क्या मन्त्री महोदय को इस बारे में पूरा विश्वास है?

श्री मु० का० चागला : मैंने यहां पर जो भी वक्तव्य दिया है उसकी सत्यता का पता लगा लिया गया है। एक विदेशी भारतीय या विदेशी मुद्रा देकर टिकट खरीद सकता है और 'पी' फार्म की आवश्यकता नहीं है। यदि श्री दिनेश सिंह, श्री कौल, श्री एल० के० झा, अमरीकी दूतावास और अमरीकी खुफिया विभाग के बीच उसे अमरीका भगा ले जाने की साजिश होती तो उसे पालम हवाईअड्डे पर ले जाने तथा एक घण्टे तक वहां पर रखने की नौबत ही न आती।

अब मैं इस पत्र पर आता हूं जिसकी ओर डा० राम मनोहर लोहिया निर्देश कर रहे हैं। इस पत्र पर 10 फरवरी की तारीख पड़ी हुई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने 'वीसा' को 24 फरवरी को बढ़ावाया था। यदि श्री दिनेश सिंह अथवा वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कोई अधिकारी उसके यहां रहने में खुश नहीं था तो 'वीसा' बढ़ावाया ही क्यों जाता।

Dr. Ram Manohar Lohia : She was duped. She was told to go on the assurance that she would be called back in October. She was told about her children, her health because of the hot climate of this country. Why does the Hon. Minister not read the portion wherein she says: "I am tired and disgusted to continue the talk"?

श्री मु० का० चागला : डा० राम मनोहर लोहिया की स्वेतलाना से व्यक्तिगत रूप से जो बातें हुई हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पत्र में जो कुछ लिखा है उससे यह संकेत नहीं मिलता कि उसे भारत छोड़ने के लिये बाध्य किया गया था। मैं यह साफ-साफ कह सकता हूं कि उसने श्री दिनेश सिंह से भारत का वैदेशिक कार्य राज्य-मंत्री होने के नाते या अपना रिश्तेदार होने के नाते मौखिक अथवा लिखित रूप में भारत में रहने के लिये कोई आग्रह नहीं किया था।

हमने उसे यहां से जाने के लिये नहीं कहा। इस समय वह स्विटजरलैण्ड में स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रह रही है। यदि उसने वहां पर हमारे दूतावास को 'वीसा' के लिये आवेदन पत्र दिया तो हम उस पर अवश्य ही विचार करेंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने 'न्यूयार्क टाइम्स' से पढ़कर सुनाया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस पत्र में जो कुछ लिखा होता है उसे वह कब से सत्य मानने लगे हैं?

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है और मैं उसका स्पष्ट उत्तर देना चाहता

हूं। श्री कौल या श्री दिनेश सिंह या वैदेशिक कार्य मंत्रालय के किसी अधिकारी ने किसी अमरीकी अधिकारी को कोई पत्र नहीं लिखा है और यह कहना अपमानजनक है कि इनमें से किसी व्यक्ति की अमरीकी अधिकारियों के साथ सांठगांठ थी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले से राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश न की जाए। हमें अपने देश तथा मित्र देशों के बीच कोई गलतफहमी उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ताकि हमारे बीच में कोई दरार पैदा न हो।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 3 अप्रैल, 1967/13 चैत्र, 1889 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 3, 1967/Chaitra 13, 1889 (Saka)